

अहम्



अहिंसादिगर्शन

MARSHANDAY P
BENARES.



कर्ता

शास्त्रविशारद-जैनाचार्य-श्रीविजयधर्मसूरि ।

अमदावादवाले शाह वाडीलालमगनलाल की माता
वाई वाली तथा
रतीलालमगनलाल की सहायता से
दूसरी बार छपा ।

PRINTED AND PUBLISHED BY SHAH HARKHCHAND BHURABHAI
AT THE DHARMABHYUDAYA PRESS,
BENARES CITY.

वीरसंवत् २४३८ ।

सूचना ।

पाठकलोग जानते ही हैं कि हमारे परमपूज्य शास्त्रविशारद-जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसूरिमहाराजने कुछ महीने पहले इस पुस्तक की रचना की थी और थोड़ेही रोज़ हुए कि मैंने इसकी प्रथमावृत्ति को प्रसिद्ध किया था । साथहीसाथ मुझे यह कथन करते हुए अत्यन्त हर्ष उत्पन्न होता है कि हमारे हिन्दीभाषा के प्रेमियोंने अत्यन्त श्लाघनीय रीतिसे इस पुस्तक का सत्कार किया है इतनाही नहीं बल्कि बड़ाबजार गजट, सद्धर्मप्रचारक, जैन तथा जैनगजट वगैरह साप्ताहिक, भारतधर्मनेता, जैनमित्र और सत्संग आदिपाक्षिक और सरस्वती, सुधानिधि, गढवाली, ब्राह्मणसर्वस्व, दिगम्बरजैन, सनातनधर्म तथा जैन-हितैषी आदि मासिकपत्रकारोंने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है, इसी कारण से प्रथमावृत्ति थोड़ेही दिनों में समाप्त भी हो गई अतएव मुझे दूसरी आवृत्ति के प्रसिद्ध करने का अवसर मिला है ।

इस दूसरी आवृत्ति में मैंने ग्रन्थकर्त्ता महाराज श्रीविजयधर्मसूरिजी का संक्षिप्तजीवनचरित्र और उनका सुन्दर फोटो भी दिया है आशा है कि हमारे पाठकलोग इस पुस्तक से पुनः पुनः अवश्य लाभ उठावेंगे ।

अंग्रेजीकोठी
वनारस सिटी.

} संतों का सेवक
हर्षचन्द्र भूराभाई.

एक दूसरा ही निबन्ध तैयार हो जाय, किन्तु उन दूसरी बातों को छोड़कर सब धर्मवालों की माता 'अहिंसा' महादेवी की आशातना करनेवाले, धर्म के निमित्त से हिंसा करने वाले, देविओं के सन्मुख उनके पुत्रों को मारनेवाले क्रूरात्माओं पर उत्पन्न हुई भावदया के कारण, 'यावद्बुद्धिवलोदयस्' इस नियमानुसार मैंने 'अहिंसादिदर्शन' नामक ग्रन्थ लिखकर भव्य पुरुषों के सन्मुख उपस्थित किया है।

इस निबन्ध में केवल जैन शास्त्रों के ही नहीं बल्कि विशेष करके महाभारत, पुराण, मनुस्मृति और गीता आदि हिन्दुधर्मवालों के माननीय ग्रन्थों के ही प्रमाण देकर 'अहिंसा' की पुष्टि की गई है।


प्रसङ्गानुसार मुझे यह कहते हुए संतोष होता है कि इस ग्रन्थ के प्रकाशक को इसकी दूसरी आवृत्ति प्रसिद्ध करने का बहुत ही शीघ्र अवसर मिला—इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का यही एक अत्युत्तम उदाहरण है और मैंने इस दूसरी आवृत्ति में कुछ अंश बढ़ा भी दिया है कि जिस से पाठकों को विशेष लाभ मिले।

अन्त में मेरा यह करुणाभाव संपूर्ण जगत् के समस्त प्रदेशों में निवास करे इतनाही कहकर मैं इस छोटीसी प्रस्तावना को समाप्त करता हूँ।

ग्रन्थकर्ता ।



शास्त्रविशारद जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसूरिजी का संक्षिप्त जीवन ।



काशी की जैन-यशोविजय पाठशाला की कई पुस्तकों की समालोचना सरस्वती में निकल चुकी है । उसने पाठकों को उस पाठशाला के नाम से जल्दही परिचय होगया होगा । आज हम इस पाठशाला के अध्यक्ष आचार्य श्रीविजयधर्मसूरि का संक्षिप्त चरित पाठकों को सुनाते हैं । ये ऐसे महात्मा हैं कि भारत के अनेक प्रतिष्ठित विद्वान् इनका आदर करते हैं और इन पर बड़ी ही श्रद्धा रखते हैं । आपका चरित, कुछ समय हुआ, बंगला की वाणी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । उसी से प्राप्त सामग्री से यह लेख प्रस्तुत हुआ है ।

काठियावाड में महुवा नामक एक गाँव है । वहीं वीशाश्रीमाली जातीय वैश्य के घर सन् १९२४ में जैनगुरु श्रीविजयधर्मजी का जन्म हुआ । इनके पिता का नाम सेठ रामचन्द्र और माता का नाम कमलादेवी था । दीक्षाग्रहण करने के पहले इनका नाम मूलचन्द्र था । ७ वर्ष की उम्र में ये पाठशाला में भरती किये गये, किन्तु वहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा । इनके पिता ने जब देखा कि ये लिखने पढ़ने में मन नहीं लगाते तब वे इन्हें अपने घर का काम काज सिखाने लगे । कुछ दिन बाद इनके हृदय में विद्याभिरुचि का अङ्कुर उग आया । अतएव काम से छुट्टी मिलने पर ये परिश्रमपूर्वक गुजराती भाषा सीखने लगे । इनके पिता ने थोड़ी ही उम्र में इन्हें अपने व्यवसाय में निपुण कर दिया । परन्तु पन्द्रहवें वर्ष में सग-दोष से इन्हें सटा और जूआ खेलने की बुरी आदत पड गई । बीसवें वर्ष में एकाएक इनका स्वभाव बदला । ये सोचने लगे कि इस तुच्छ सांसारिक सुख के लिए जितना परिश्रम करता हूँ-जितना समय नष्ट करता हूँ-उसका शतश भी यदि आध्यात्मिक

उन्नति में लगाऊँ तो बहुत उपकार हो । यह ख्याल आते ही इनका मन सांसारिक मायाजाल से हट गया । इन्होंने शीघ्र ही गृह-त्याग करके सद्गुरु की खोज में धूमना शुरू किया । सौभाग्यवश इन्हें एक सद्गुरु मिल भी गये । अपने शुभ गुणों के कारण ये शीघ्र ही गुरु के कृपापात्र बन गये । इनके गुरु ने इन्हें जैन साधु होने के लिए माता पिता की आज्ञा लेने को घर भेजा । इनकी पुत्रवत्सला माता तो अपने पुत्र का साधु हो जाना पसन्द नहीं करती थी, किन्तु दूरदर्शी पिता ने देखा कि पुत्र का मन ससार से एकदम विरक्त हो गया है । इससे यदि मैं रोकूँगा भी तो वह न मानेगा । अतएव उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इन्हें साधु होने की आज्ञा दे दी । अब मूलचन्द्र के दीक्षाग्रहण करने के मार्ग में कोई रूकावट न रही । इन्होंने ज्येष्ठ कृष्ण पञ्चमी, संवत् १९४३ को, भावनगर के विख्यात महात्मा शान्तमूर्ति श्रीवृद्धिचन्द्रजी महाराज से दीक्षा ग्रहण की । तब से इनका नाम “ धर्मविजय ” हुआ ।

जैन मत में साधुओं के जीवन का प्रधान उद्देश आत्मोन्नति और जगत् का उपकार करना है । जैनी साधु धर्म की शिक्षा देकर संसार का उपकार करते हैं । धर्मोपदेश के लिए विशेष शास्त्रज्ञान होना जरूरी है । पूरे शास्त्रज्ञान के बिना सर्वसाधारण पर उपदेश का अच्छा असर नहीं पड़ता । इस कारण ये महात्मा भी दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु-मेधा में तत्पर रह कर उनसे धर्मशिक्षा ग्रहण करने लगे । ये गुरु-मेधा में अधिक मन लगाते थे । पर उस समय इन्हें संस्कृत-भाषा का ज्ञान नहीं था । इससे इनकी धर्मशिक्षा शीघ्र सम्पन्न नहीं हुई । केवल प्रतिक्रमण अर्थात् पंचसंन्या मीत्यने में इन्हें ढेढ़ वर्ष लगा । इस कारण इनके गुरुभाई और दूसरे साधु इनकी हीमी किया करते थे । परन्तु ये कभी हतोत्साह नहीं हुए, बरबाबर धीरे धीरे अपना कार्य करते गये ।

इनकी गुरुभक्ति और धर्म-निष्ठा देख कर इनके गुरु ने अपने अन्तिम समय में इनको ‘ पंचसंन्या ’ उपाधि देने के लिए अपने शिष्यों को आदेश किया । संवत् १९४९ की वैशाख शुद्धा षष्ठमी को इनके गुरु का शरीरपात

— जैनी लोग संन्यासग्रहण को प्रतिक्रमण कहते हैं । अपने किये हुए पापादि के निवारणार्थ जैन पाँच प्रतिक्रमण करते हैं,—प्रात संन्या, नाय संन्या, पाक्षिक संन्या, चातुर्मासिक संन्या और वार्षिक संन्या ।

हुआ। इसके बाद इन्होंने भायनगर परिव्याग किया। सन् १९४९ का वा-
मुनांन्य इन्होंने तीनों नगर में बिताया। इस तरह गुजरात के अनेक नगरों
में घूम घूम कर इन्होंने लोगों को धर्मोपदेश देना शुरू किया। इस कार्य
में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। इनके धर्मोपदेश में जिनसे के सिवा अन्यान्य
सम्प्रदायवालों का भी बहुत उपकार हुआ। इस समय इनका विद्यानुराग भी
बहुत प्रबल हो उठा। तदनुसरण में निरमित रूप में समाहित न होने के
कारण उनकी बुद्धि मन्त्र पट गई थी। तथापि अपार परिश्रम करके इन्होंने
संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। धर्म और
व्यक्तित्व का भी इन्होंने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया।

सुतप्राय जैन-धर्म का पुनरुत्थार करना इनके जीवन का प्रधान उद्देश
है। इस उद्देश की सिद्धि के निमित्त इन्होंने अनेक तरह के कार्य किये हैं।
सन् १९५० में इन्होंने सार्वभौमिक जैन-सम्प्रदाय के अनेक विचारों को
मिटा कर बहुत कुछ से राजपुर के जैन-भोक्तव्यरत्नसिद्ध की परामर्श की।
१९५३ में इन्होंने उपनिषदों का संग्रह करवाया। यह संग्रह भौषण्यी मंत्र
से चारह दोम पर है। यों फाल्गुन शुद्धाष्टमी को बहुत बड़ा मेला होता है।

१९५७ मध्य में, श्रावणी पूर्णिमा के दिन, इन्होंने परममार्ग के जिनियों
को इत्यादि करके एक बड़ा पुनरुत्थार कार्यपत्र करवाया। इसका नाम
“ धर्मविजय पुनरुत्थार ” पड़ा। इसके सिवा इन्होंने माराष्ट्र, गुजरात, मध्य,
काठियावाड़ भादि देशों के अनेक सुतप्राय और सङ्घ-सिद्ध जैन-जीवियों
का उत्थार किया और अनेक स्थानों में संस्कृतपाठशालाएँ तथा ज्ञानागार
स्थापन कराये।

प्राचीन समय में संस्कृत और प्राकृत साहित्य में जिनियों का जो स्थान
था उसको पुनः प्राप्त करने की इन्हे इच्छा हुई। बहुत सोच विचार कर
इन्होंने यह निश्चय किया कि कार्गी में एक जैन पाठशाला स्थापित करके जैन
छात्रों को संस्कृत की उत्तम शिक्षा दी जाय तो इस उद्देश की सिद्धि हो
सकती है। अतएव इन्होंने इसके लिए प्रयत्न करना आरम्भ किया। अनेक
स्थानों में घूम घूम कर इन्होंने लोगों पर अपने विचार प्रकट किये। इनके
परमोपयोगी स्वल्प का हाल सुनकर अनेक लोग इनके तत्प्रायक हुए। वीर-
मर्गादि में एक कार्यकारिणी समिति प्रतिष्ठित हुई। यह समिति पाठशाला

क खर्च क लिए रुपये जमा करने लगी । कुछ धन इकट्ठा होने पर धर्मविजयजी कुछ विद्यार्थियों और जैन साधुओं को साथ लेकर काशी को रवाना हुए । जैन-संप्रदाय में साधुओं को किसी सवारी पर चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना मना है । अतएव ये लोग पैदल ही रवाना हुए । रास्ते में स्थान स्थान पर धर्मोपदेश देते हुए सब लोग चार महीने में काशी पहुँचे ।

ये लोग, संवत् १९५९ की वैशाख शुक्ल तृतीया को, काशी में उपस्थित हुए । इसके पहले काशी में जैन-साधुओं का बहुत कम आवागमन था । इससे वहाँ के गृहस्थ जैन अपने साधुओं का उचित सत्कार करना नहीं जानते थे । काशी में जैन यति ही अधिक रहते थे । इससे वहाँ के गृहस्थ जैनो को यतियों के आचार-व्यवहार का ही ज्ञान था । यति और साधु का भेद वे नहीं जानते थे । अतएव मुनि महाराज और उनके साधु शिष्यों के आचार व्यवहार उन्हें नवीन से मालूम होने लगे । जो हो, विजयधर्म सूरि और उनके संग के साधुओं ने काशी के जैन गृहस्थों को अपने उपदेशों द्वारा साधुजीवन की श्रेष्ठता समझा दी इसका फल यह हुआ कि वहाँ के जैनो की इन पर दिन दिन अधिक श्रद्धा-भक्ति होने लगी । इसी समय मुनिजी ने एक प्राचीन धर्म-शाला में जैन-पाठशाला का कार्य आरम्भ कर दिया । इस पाठशाला का नाम श्रीयशोविजय जैन-पाठशाला रक्खा गया । उसके बाद मुनि महाराज श्रीधर्म-विजयजी को पाठशाला के लिए एक अच्छा मकान प्राप्त करने की फिक्र हुई । उन्होंने नन्दन साधु के महल्ले में “ अँगरेजी कोठी ” नामक मकान उसके लिए उपयुक्त समझा । मुनि महाराज के उपदेशानुसार उनके गृहस्थ शिष्य ध्वंई-निवासी सेठ वीरचन्द दीपचन्द, सी० आई० ई०, जे० पी० तथा सेठ गोकुलभाई मूलचन्द ने पच्चीस हजार रुपये में उक्त मकान पाठशाला के लिए खरीद दिया । इस मकान में पाठशाला आजाने पर श्रीधर्मविजयजी ने चेष्टा करके वहाँ एक संस्कृत-पुस्तकालय भी स्थापित किया । उसका नाम “ हेमचन्द्राचार्य-विद्याभाण्डार ” रक्खा गया ।

❀ जैनियों में ‘यति’ उनको कहते हैं जो द्रव्य और धातु छूते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सवारी पर जाते हैं, छुर से हजामत बनवाते हैं । ‘साधु’ उन्हें कहते हैं जो ये काम नहीं करते । जैन यति शुक्ल वस्त्र पहनते हैं और जैन साधु पीले ।

संवत् १९६२ में, प्रयाग में, कुम्भ का मेला हुआ । उस समय पण्डित मदनमोहनजी मालवीय के उद्योग से वहाँ “ सनातन-धर्म-महासभा ” का अधिवेशन हुआ । उस सभा में भारतवर्ष के नव स्थानों से पण्डित लोग आये थे । श्री धर्मविजय महाराज भी निमन्त्रित होकर पाठशाला के छात्रों और साधुओं के साथ वहाँ गये थे । इन्होंने माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन उस सभा की ज्ञानगोष्ठी के ‘ऐक्य’ विषय पर एक बहुतही उत्तम ज्ञान-गर्भित वक्तृता दी थी । उस अधिवेशन में उत्कलखण्ड के शङ्कराचार्यजी सभापति हुए थे ।

वहाँ से मुनि महाराज फिर काशी लौट आये और पाठशाला की उन्नति के लिए अनेक यत्न करने लगे । फिर संवत् १९६३ की कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन, श्रीधर्मविजयजी श्रीपार्श्वनाथ तीर्थ (संमेशिखर) की यात्रा को रवाना हुए । इस समय उनके साथ बहुत से विद्यार्थी और साधु शिष्य थे ।

पार्श्वनाथ-यात्रा समाप्त करके ये बीस विद्यार्थियों और पाँच साधुओं को साथ ले कर बंगदेग की ओर चले । कुछ दिनों में ये कलकत्ते पहुँचे । वहाँ भी इन्होंने जैन धर्म का प्रचार शुरू किया । जैनियों की तो कोई बात ही नहीं, दूसरे लोग भी बड़ी श्रद्धा से इनके उपदेश सुनने लगे । अनेकानेक बंगाली युवकों का धर्म, ज्ञान और विद्या में विशेष अनुराग देख कर इन्होंने राय बदरीदास बहादुर के मकान में कई व्याख्यान दिये । इसी समय महामहोपाध्याय पण्डित सतीशचन्द्र विद्या-भूषण का मुनि महाराज से परिचय हुआ । पण्डित महाशय मुनिजी के अगाध-शास्त्रज्ञान पर मुग्ध हो गये । उन्होंने इनसे जैन दर्शन पढा और उनके उपदेश से मांस-मछली खाना छोड़ दिया ।

बङ्गीय-साहित्य-परिषद् के सभ्यों के अनुरोध से श्रीधर्मविजयजी ने उसके दो अधिवेशनों में सभापति का आसन ग्रहण किया । दोनों दफे उन्होंने बहुत ही सुन्दर और सारगर्भित व्याख्यान दिये । इनकी वक्तृता पर मुग्ध होकर बहुतों ने इनका मत ग्रहण किया ।

जैन पाठशाला का संस्कृत-शिक्षा-प्रणाली का संस्कार करने के निमित्त श्रीधर्मविजयजी ने कलकत्ते से बङ्गदेश के प्रधान विद्यापीठ नवद्वीप की यात्रा की वहाँ जाकर इन्होंने बहुत विचारपूर्वक वहाँ की शिक्षा-प्रणाली का निरीक्षण किया । नवद्वीप के महामहोपाध्याय पण्डितों ने इनका बड़ा आदर किया

वहाँ से ये काशी लौट आये । यहाँ पहुँच कर इन्होंने पाठशाला की बहुत ही बुरी दशा देखी । उसके छात्रों की संख्या ५३ से घट कर ८ हो गई थी । अतएव ये फिर से उसकी उन्नति की चेष्टा करने लगे । अब इस पाठशाला की दिन दिन उन्नति हो रही है ।

श्रीविजयधर्मजी के काशी लौट आने पर, संवत् १९६४ की श्रावण-शुक्ल-चतुर्दशी को, श्रीयशोविजय-जैन पाठशाला में एक बड़ी भारी सभा हुई । काशीनरेश महाराज प्रभुनारायणसिंह बहादुर, जी० सी० एस० आई० ने सभापति का आसन ग्रहण किया । इस सभामें भारतवर्ष के सब स्थानों के पण्डित एकत्र हुए थे । सब ने एक मत होकर श्रीधर्मविजयजी को “शास्त्र-विशारद जैनाचार्य” की उपाधि दी । प्रतिष्ठापत्र पर सब पण्डितों ने हस्ताक्षर किये ।

जैन पाठशाला में इस समय अच्छे अच्छे अध्यापक हैं । विद्यार्थियों को संस्कृत और प्राकृत भाषा की उत्तम शिक्षा दी जाती है । मुनि महाराज के सुयोग्य शिष्य इन्द्रविजयजी पाठशाला का बहुत ही सुन्दर प्रबन्ध करते हैं । परन्तु इतने पर भी श्रीधर्म विजय महाराज को संतोष नहीं । उनकी राय है कि पाली भाषा जाने बिना भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म की शिक्षा पूरी नहीं होती । इसी से उस साल, जब महामहोपाध्याय डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण, एम० ए० भारत-गवर्नमेंट की आज्ञा से सिंहल द्वीप (Ceylon) गये थे तब मुनि महाराज ने भी अपने दो गृहस्थ शिष्यों को पण्डित महाशय की निगरानी में रह कर पाली भाषा सीखने के लिये सिंहल भेजा था । उन दोनों ने वहाँ रह कर पाली भाषा का अध्ययन किया और उसमें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । वहाँ से लौटने के पहिले उन्होंने जैनधर्म पर पाली भाषा में एक व्याख्यान दिया । यह व्याख्यान सिंहल के प्रधान विद्यालय में वहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पण्डितों और पाली-भाषा-विशारद बौद्ध साधुओं के सामने हुआ था । उन विद्यार्थियों को इतने कम समय में पाली-भाषा में ऐसी योग्यता प्राप्त करते देख सुमङ्गलाचार्य आदि पाली-भाषा के आचार्यों ने उन्हें प्रतिष्ठापत्र और तालपत्र-लिखित पुस्तकों का उपहार दिया । परन्तु इतना खर्च करवाके श्रीधर्मविजयजी ने जिस उद्देश से विद्यार्थियों को सिंहल भेजा था वह सिद्ध

नहीं हुआ। मुनि महाराज ने विद्यार्थियों को यह जानने के लिए भेजा था कि जैन और हिन्दू-दर्शन शास्त्रों में बौद्ध मत का जो पूर्वपक्ष देख पड़ता है उसका मूल पाली ग्रन्थों में है या नहीं। किन्तु सिंहल में बौद्ध साधु दर्शन शास्त्र पर चर्चा नहीं करते इस कारण केवल भाषा मात्र की शिक्षा देकर ही इन लोगों ने दोनों विद्यार्थियों को विदा कर दिया। मुनि महाराज इन दोनों विद्यार्थियों को इस काम के लिए तिब्बत और ब्रह्मदेश भेजने का विचार कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों से क्यों, महापण्डितों से, एक बार काशी में मिल कर हमने बहुत आनन्द प्राप्त किया है।

लुप्त जैन-ग्रन्थों का उद्धार और उनका प्रचार करना भी इनके जीवन का एक उद्देश है। उस उद्देश की सिद्धि के लिए इन्होंने पाठशाला से “श्रीयशो-विजय-जैन-ग्रन्थमाला” प्रकाशित करना आरम्भ किया है। अब तक इसमें कोई १५, १६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यह ग्रन्थमाला हर महीने प्रकाशित होती है। इसके लिए पाठशाला में एक टापाखाना भी है। इस पुस्तकमाला से केवल जैनधर्म ही का उपकार नहीं होता; प्राचीन इतिहास और भाषातत्त्व की भी बहुत कुछ सामग्री इसमें इकट्ठी हो रही है।

श्रीविजयधर्म सूरि जी श्वेताम्बर सम्प्रदाय के जैनों के प्रधान आचार्य हैं। ये षडे ही दृढव्रत और सत्यनिष्ठ हैं। इनकी स्थापित की हुई जैन-पाठशाला में जैन-विद्यार्थियों के सिवा हिन्दू-विद्यार्थियों को भी शिक्षा दी जाती है। ये दोनों ही पर समान दृष्टि रखते हैं—दोनों ही के अभावमोचन की एक ही चेष्टा करते हैं। इनकी राय है कि प्रकट रूप से जैन धर्म ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैन धर्म के उपदेशों के अनुसार कार्य करना ही यथार्थ धर्मग्रहण करना है। ये जैन धर्म को ही भारत का आदि और मुख्य धर्म मानते हैं। योरप में जैन धर्म का प्रचार करने की ओर भी इनका ध्यान है। जैनशास्त्र के पण्डित और धर्मप्रचार-समर्थ दो तीन छात्रों को योरप भेजने का भी ये विचार कर रहे हैं। मुनि महाराज जैनशास्त्र और जैनधर्म में विशेष श्रद्धा रखनेवाले योरप के विद्वानों को प्राचीन जैनशास्त्र के ग्रन्थ पढ़ने को देते हैं और पत्र द्वारा उनकी शङ्काओं का समाधान किया करते हैं इन्होंने ‘विवलिओथिका इंडिका’ नाम की ग्रन्थमाला में योगशास्त्र आदि पुस्तकों का स्वयं सम्पादन किया है और अन्यान्य पण्डितों को अनेक प्राचीन जैन ग्रन्थों के सम्पादन में

सहायता दी है। इसके सिवा जैनतत्त्वदिग्दर्शन जैनशिक्षादिग्दर्शन आत्मोन्न-
 तिदिग्दर्शन, अहिंसादिग्दर्शन पुरुषार्थ-दिग्दर्शन, इन्द्रियपराजयदिग्दर्शन आदि
 कितने ही ग्रन्थों की इन्होंने रचना की है। इन ग्रन्थों को पढने से इनके गम्भीर
 विचारों का अच्छा परिचय मिलता है। ये हमेशा ससार की भलाई की ही
 चिन्ता किया करते हैं। भूतदया, अहिंसा और स्वार्थत्याग इनका मूलमन्त्र
 है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से एशियाटिक सोसायटी के जर्नल की तरह
 की एक पत्रिका निकलती है। उसका नाम है जर्नल एशियाटिकी [Journal
 Asiatque] उसके गतवर्ष के एक अंक में एक फरासीसी विद्वान् ने श्री-
 विजयधर्मसूरि का जीवन-चरित्र प्रकाशित किया है और उसमें इनके गुणों की
 भूरि भूरि प्रशंसा की है। अभी हाल में इन्होंने काशी में एक पशुशाला
 स्थापित की है। महाराज काशिराज उसके रक्षक हुए हैं। आप बड़े महात्मा
 हैं। इनके दर्शनों से हम कई वार कृतार्थ हो चुके हैं।

“ सरस्वती ”



अहम्

शान्तमूर्त्तिश्रीवृद्धचन्द्रगुरुभ्यो नमः ।

अहिंसादिगूदर्शन ।

नत्वा कृपानदीनाथं जगद्गुद्धारकारकम् ।

अहिंसाधर्मदेष्टारं महावीरं जगद्गुरुम् ॥ १ ॥

मुनीशं सर्वशास्त्रज्ञं वृद्धिचन्द्रं गुरुं तथा ।

समदृष्ट्या दयाधर्मव्याख्यानं क्रियते मया ॥ २ ॥

अनादि काल से जो इस संसार में प्राणीमात्र नये नये जन्मों को ग्रहण करके जन्म, जरा, मरणादि असह्य दुःखों से दुःखित होते हैं उसका मूल कारण कर्म से अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है । इसलिए समस्त दर्शन (शास्त्र) कारों ने उन कर्मों को नाश करने के लिए शास्त्रद्वारा जितने उपाय बतलाये हैं, उन उपायों में सामान्यधर्मरूप-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, निस्पृहत्व, परोपकार, दानशाला, कन्याशाला, पशुशाला, विधवाऽऽश्रम, अनाथाश्रमादि सभी दर्शनवालों को अभिमत हैं; किन्तु विशेषधर्मरूप-स्नान सन्ध्यादि उपाय में विभिन्न मत है, अत एव यहाँ विशेषधर्म की चर्चा न करके केवल सामान्यधर्म के संबन्ध में विवेचना करनाही लेखक का मुख्य उद्देश्य है और उसमें भी सर्वदर्शनवालों की अत्यन्तप्रिया दयादेवी का ही अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन करने की इच्छा है । उसीको आक्षेपरहित पूर्ण करने के लिए लेखक की प्रवृत्ति है । दया का स्वरूप-लोकव्यवहारद्वारा, अनुभवद्वारा और शास्त्रद्वारा लिखा जायगा; जिसमें प्रथम लोकव्यवहार से यदि विचार करें तो मालूम होता है कि जगत् के समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में दया का अवश्यही संचार है; अर्थात् दुर्बल जीव पर यदि कोई बलवान जीव

मार्ग में आक्रमण करता हो तो अन्य पुरुष, बलवान् से दुर्बल को बचाने के लिए अवश्यही प्रयत्न करेगा, जैसे कि यदि किसी को चोर रास्ते में छटता हो और वह चिल्लाता हो तो उसकी चिल्लाहट सुनतेही लोग इकट्ठे होकर चोर के पकडने की कोशिश अवश्यही करेंगे वैसेही कोई कैसाही क्यों न तुच्छ जीव हो उसको यदि बलवान् जीव मारता होगा तो उसके छुडाने का प्रयत्न लोग अवश्य करेंगे, याने छोटे पक्षी को बड़ा पक्षी, बड़े पक्षी को बाज, बाज को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, और कुत्तेको कुत्तामार (डोम) मारता होगा तो उसके छुडाने का प्रयत्न, देखनेवाला अवश्यही करेगा । इसीसे कृष्णजी (जिनको हिन्दू लोग भगवान् मानते है) की भी कपटनीति को देखकर लोग एक चार उनके भी कृत्यों की निन्दा करने में संकोच नहीं करते है । अर्थात् भारत युद्ध के समय चक्रव्यूह (चक्रावा) के बीच में जो अभिमन्यु से कृष्ण ने कपट किया था उसको सुनकर आजमी समस्त भक्तजन उनकी भी निन्दा करने को तैयार होते है । इससे यह सिद्ध होता है कि लोगोंके मनमें स्वाभाविकही दया बसी हुई है, किन्तु खेद की बात है कि जिह्वा इन्द्रिय के लालच से फिरभी अकृत्य को करते है अर्थात् मांसाहार में लुब्ध हो कर धर्म कर्म से रहित हो जाते है, क्योंकि यदि मांसाहार करनेवाला सहस्रों दान पुण्य करे तौभी एक अभक्ष्य आहार के द्वारा समस्त अपने गुणों को दूषित करदेता है । जैसे भोजन चाहे जितना सुन्दर हो किन्तु यदि उसमें लेशमात्र भी विष पड़जाय तो वह फिर प्राण नहीं रहता, वैसेही मांसाहारी कितनेही शुभ कर्म करे तौभी वे अशुभप्रायही है, क्योंकि जिसके हृदय में दया का संचार नहीं है उसका हृदय हृदय नहीं किन्तु पत्थर है । मांसाहारी ईश्वरभजन, सन्ध्या आदि कोईभी धर्मकृत्य के लायक नहीं गिना जासकता, उसमें कारण यह है कि विना स्नान के, सन्ध्या और ईश्वरपूजादि शुभकृत्य नहीं किए जाते और “मृतं स्पृशेत् स्नानमाचरेत्” इस वाक्य से मुरदे

को छूकर स्नान अवश्य ही करना चाहिये तब विचारने का समय है कि बकरा, भैसा, मछली आदि का मांस भी मुर्दाही है, उसके खाने से स्नानशुद्धि कैसे गिनी जायगी ? क्योंकि मासका अंश पेट से जल्दी नाश नहीं होता तब बाहर का स्नान क्या करलेगा ? इसी कारण से वराहपुराण में वराहजीने वसुन्धरा से अपने बत्तीस अपराधियों में से मांसाहारी को अठारहवाँ अपराधी कहा है, वहाँ उस प्रकरण में यह कहा है कि जो मांसाहार करके मेरी पूजा करता है वह मेरा अठारहवा अपराधी है । जैसे—

“ यस्तु मात्स्यानि मांसानि भक्षयित्वा प्रपन्नते ।

अष्टादशापराधं च कल्पयामि वसुन्धरे ! ” ॥

कलकत्ता गिरिशविद्यारत्न प्रेसमें मुद्रित पत्र ५०८ अ० ११७ श्लो० २१

“ यस्तु वाराहमांसानि प्रापणेनोपपादयेत् ।

अपराधं त्रयोविंशं कल्पयामि वसुन्धरे ! ” ॥

” ” श्लो० २६

“ सुरां पीत्वा तु यो मर्त्यः कदाचिदुपसर्पति ।

अपराधं चतुर्विंशं कल्पयामि वसुन्धरे ! ” ॥

” ” श्लो० २७

सज्जनगण ! केवल इतनाही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष दोषों से भी मांसाहार सर्वथाही त्याग करने योग्य है । देखिये— मांसाहारी के शरीर से सदैव दुर्गन्धि निकला करती है और उसका पसीना भी दुर्गन्धित रहता है । यद्यपि जीवोंका यह स्वभाव है कि जिस काम को वे किया करते हैं वह उन्हें अच्छाही मालूम होता है तौ भी उनको विचार करना चाहिये कि जैसे जिसको मांस का व्यसन पड़-जाता है तो वह उसे अच्छाही समझता है इतनाही नहीं बल्कि दूसरों के सामने प्रशंसा भी करता है, एवं मद्य को पीनेवाला मद्य पीने के समय औषधि की तरह पीता है वैसेही मांस खानेवाले से यदि पूछाजायं तो उसके वरतन (जिसमें कि उसने मांस पकाया है)

और उसके हाथ (जिससे उसने मांस खाया है) बहुत मुश्किल से साफ होते हैं; तथा मत्स्यादि मांस खानेके अनन्तर खानेवाले के मुखसे लार निकलती है जो कि पान, सुपारी आदि बिना खाये शुद्ध नहीं होती, ऐसे कष्टोंको सहन करता हुआ भी कोई २ जीव उसी आहार को अच्छा मानता है । अधिक क्या कहा जाय, डाक्टर की भांति फिर उसे उन पदार्थों से घृणाभी नहीं होती । जैसे डाक्टर पहिले जब मुरदे को चीरता है तो उसे कुछ घृणा भी आती है किन्तु पीछे धीरे २ बिलकुल घृणा जाती रहती है उसी तरह मांसाहारी का हाल समझना चाहिए । अगर मछली आदि खानेवाले से पूछा जाय तो मालूम होगा कि मछली आदि के काटने पर जो जल उसमें से निकलता है वह कैसी दुर्गन्धि पैदा करता है ? कि जिसकी दुर्गन्धि से भी मनुष्य को कय (वमन) होजाता है । हा ! ऐसे नीच पदार्थों को उत्तम पुरुष कैसे खाते होंगे ? यह भी एक शोचने की बात है । वनस्पति, जो कि सर्वथा मनुष्य को सुखकर है, उसका भी पुष्प यदि दुर्गन्धित होजाय तो उसे मनुष्य फेंक देते है, किन्तु मल, मूत्र, रुधिर आदि से संयुक्त, सड़ेहुए और कीड़ोंसे भरे हुए भी मांस को यदि मनुष्य नहीं छोड़ें तो उन्हें मनुष्य कैसे कहना चाहिए ।

कोई २ मांसाहारी जो यह कहते है कि मांस खाने से शरीरमें बल बढ़ता है और वीरता आती है वह उनलोगों की भूल है, क्योंकि यदि मांसाहार से बल बढ़ता होता तो हाथी से सिंह अधिक बलवान् होता, क्योंकि जो बोझा हाथी उठाता है वह सिंह कदापि नहीं उठा सकता । अगर कोई यह कहे कि हाथीसे सिंह यदि बलवान् नहीं होता तो हाथी को कैसे मारडालता है ? इसका उत्तर यह है कि हाथी फलाहारी होनेसे शान्तस्वभाव है और सिंह मांसाहारी होनेसे क्रूरात्मा है, इसलिए हाथी को दवा देता है, अन्यथा शुण्डादण्ड से यदि हाथी सिंह को पकड़ ले तो उसकी रग रग को चूर कर सकता है । अतएव यह बात सभीको स्वीकार करनी

पड़ेगी कि मांसाहार से क्रूरता बढ़ती है और क्रूरता किसी पुण्य-कृत्य को अपने सामने ठहरने नहीं देती है ; और यह भी सब लोग सहज में समझ सकते हैं कि जो मांसाहारी लोग अपने घर में झगड़े के समय मार पीट करने से बाज नहीं आते, वह क्या निर्दयता का फल नहीं है ? इसलिये मांसाहारही का फल निर्दयता स्पष्ट मालूम पड़ता है ।

अब रही वीरता—वह भी मांस का गुण नहीं है किन्तु पुरुष काही स्वाभाविक धर्म है ; क्योंकि अगर नपुंसक को ताकत देनेवाले हजारों पदार्थ खिलाए जावें तौभी वह युद्ध के समय अवश्य भागही जायगा ; इसमें प्रत्यक्ष दृष्टान्त यह है कि बङ्ग, मगध आदि देश के मनुष्य प्रायः मांसाहारी होने पर भी ऐसे कातर होते हैं कि यदि चार आदमी भी छपरे जिले के हों तो बङ्गदेशीय ५० पचास आदमी भाग जायेंगे ; लेकिन बेचारे छपरे जिले के आदमी प्रायः सत्तूही खाकर गुजर करते हैं ।

गुरु गोविन्दसिंह के शिष्य सिक्खलोग, जो कि किले के फतह करने में अब्बल नम्बर के गिने जाते हैं वे भी प्रायः फलाहारी ही देखने में आते हैं ; इसका कारण यह है कि जैसी लड़ाई स्थिरचित्त से फलाहारी लोग लड़ते हैं वैसी मांसाहारी कदापि नहीं लड़ सकते । उसमें दूसरा कारण यह भी है कि मांसाहारी को गर्मी बहुत लगती है और श्वास भी ज्यादा चलती है किन्तु फलाहारी को नतो वैसी गर्मी लगती है और न श्वासही बढ़ती है ।

पाठकगण ! आपलोगों ने सुना होगा कि जब रूस और जापान की लड़ाई हुई थी तब प्रायः कच्चेही मांस के खानेवाले बड़े भयानक रूसियों को भी, मिताहारी और विचारशील जापानी वीरों ने परास्त करके संसार में कैसी आश्चर्यकारिणी अपनी जयपताका फहराई थी । यदि मांसाहार से ही वीरता बढ़ती होती तो रूस की सेना में मनुष्य बहुत थे इतनाही नहीं किन्तु मासाहार करने में भी कुछ कमी नहीं थी, फिरभी उन्हीं लोगों की क्यों हार हुई ? इससे साफ मालूम

हुआ कि हार का मूल कारण अस्थिरचित्तताही है ।

मनुष्य की प्रकृति मांसाहार की न होने पर भी जो इन्द्रिय की लालच से निर्विवेकी जन मांसाहार करते हैं उसका बुरा फल सबको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है । अर्थात् मांसाहारी प्रायः मद्य का सेवक, वेश्यागामी तथा निर्दयहृदय होता है । यद्यपि कोई २ मांसाहारी वैसा दुर्गुणी नहीं होता तौभी उसके शरीर में बहुत रोग हुआ करते हैं । जैसे मत्स्यमांसादि के पाचन न होने से खानेवाले को रात्रि में खट्टी डकारें आती हैं, और बहुतें का खून बिगड़ जाता है, तथा शरीर पीला पड़जाता है, हाथ पैर सूख जाते हैं, पेट बढ जाता है, और किसी २ के तो पैर भी फूल जाते हैं, तथा गले में गांठ पैदा हो जाती है; और यहां तक देखने में आया है कि बहुत से मांसाहारी कुष्ठादि रोग से पीड़ित होकर परम कष्ट सहते हुए मरभी जाते हैं । जो कोई इन कष्टों से बच भी जाता है तो उसमें पापानुबन्धी पुण्य का उदय ही कारण समझना चाहिए । अर्थात् जब उस पुण्य का क्षय होगा तब जन्मान्तर में वह अत्यन्त दुःख का अनुभव करेगा ।

गोस्वामी तुलसीदास जी कहगये हैं:—

“ जवतक पुरविल पुण्यकी पूजी नहीं करार ।

तवतक सब कुछ माफ है औगुन करो हजार ” ॥ १ ॥

प्रायः मांसाहारी की मृत्यु भी विशेष दुःख से ही होती है और उसके मृत्यु के समय कितनेही स्पष्ट तथा गुप्त रोग उत्पन्न होते हैं, इस बात का लोग प्रायः अनुभव किया करते हैं ।

मनुष्यों की स्वाभाविक प्रकृति फलाहारीही है क्योंकि मांसाहारी जीवों के दाँत मनुष्य के दाँतो से विलक्षण होते हैं और जठराग्नि भी उनकी मनुष्यों से भिन्न प्रकार की ही होती है, तथा स्वभाव भी विचित्र दिखलाई देता है, एव समस्त मांसाहारी जीव जिह्वा ही से जल पीते हैं किन्तु मनुष्य जाति तो मुख से पीती है । अतएव यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य की जाति स्वाभाविक मांसाहारी नहीं है, फिरभी जो

मांस खाते है वे पलाद (पलमत्तीति पलादः) गिने जाते है ।

मुसलमान और हिन्दुओं में खान पान ही से विशेष भेद है, क्योंकि मुसलमान के हाथ का जल हिन्दू नहीं पी सकते और न प्रायः उनके आसन पर बैठ सकते है, किन्तु उन्हें हिन्दुओं के हाथ का पानी और उनके आसन के ग्रहण करने में कोई परहेज नहीं है । उसमें कारण यह है कि मुसलमान अपने भोजन में प्रधान मांसही रखते हैं । यदि हिन्दू भी वैसाही करने लगे तो फिर परस्पर भेदही क्या रहेगा ? अर्थात् जैसे प्रायः सभी मुसलमान बकरीद के दिन बकरे बगैरह जानवरों की जान लेते हैं, वैसाही बहुत से हिन्दू लोग नवरात्र में बकरे आदि जीवों को मारते है; एव जैसे मुसलमान अपनी दावत में यदि मत्स्यमांस का विशेष व्यवहार करते है तो वह दावत उत्तम गिनी जाती है, वैसाही यदि श्राद्ध में हरिणादि मांस का व्यवहार हिन्दू लोग करें तो वह श्राद्ध उत्तम गिना जाता है, तथा जैसे मुसलमान लोग खुदा के हुक्म से जीव मारने में पाप न मानकर खुदा के हुक्म की तामीली करने से खुश होते है, वैसाही हिन्दूलोग देव-पूजा-यज्ञक्रिया-मधुपर्क-श्राद्धादि में जीवहिंसा को हिसा न मानकर अहिंसाही मानते हैं, इतनाही नहीं, बल्कि मरनेवाले और मारनेवाले दोनों की उत्तम गति मानते है । अब यहां पर मध्यस्थ दृष्टि से विचार करने पर हिन्दू और मुसलमानों में बहुत भेद मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जो हिन्दूलोग मांस नहीं खाते और मुसलमानों के हाथ का जल नहीं पीते है वे तो ठीकही है किन्तु मांसाहार करने परभी जो हिन्दू सफाई दिखाते हैं वह उनका बिलकुल पाखण्डही है, क्योंकि दोनों मरकर बराबर दुर्गति पावेंगे, अर्थात् दोनों एकही रास्ते पर चलनेवाले हैं । इसपर कबीर ने कहा है:-

“ मुसलमान मारे करद सो हिन्दू मारे तरवार ।

कहैं कबीर दोनों मिलि जैहैं यम के द्वार ” ॥

इसीसे मांसाहारकरनेवाले हिन्दू आर्य नहीं कहेजासकते क्योंकि

आर्य शब्द से वेही लोग व्यवहार करने योग्य हैं जिनके हृदय में दया-भाव, प्रेमभाव, शौच आदि धर्म विद्यमान हैं, किन्तु मांसाहारी के हृदय में न तो दयाभाव रहता है और न प्रेमभाव ।

एक मांसाहारी (जिसने उपदेश पाकर मांसाहार त्याग दिया) मुझे मिला था, वह जब अपनी हालत कहने लगा तो उसकी आंख से अश्रुपात होने लगा । अश्रुपात होनेका कारण जब मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा कि मेरे समान निर्दय और कठोरहृदय, इस दुनियां भर में थोड़ेही पुरुष होंगे । क्योंकि कुछदिन पहले मैंने एक बड़े सुन्दर बकरे को पाला था, वह मुझे अपना प्रेम पुत्रसे भी अधिक दिखलाता था और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता था, अतएव वह प्रायः दाना चारा मेरे हाथ से दिये बिना नहीं खाता था और जब मैं कहीं बाहर चला जाता था और आने में दो चार घण्टे की देर हो जाती थी तो वह रास्ते को देखकर व्यर्थ क्रिया करता था, अगर कहीं एक दो दिन लग जाता था तो चारा पानी बिलकुल नहीं खाता था और मेरे आने पर बड़ा आनन्द प्रकट करता था; उसी बकरे को मैंने अपने हाथसे मांस के लिए मार डाला और उस मांस को आए हुए पाहुनों (प्राचूरिणिक) के साथ मैंने भी खाया । यदि उस बकरे के मरनेकी हालत मैं आपके सामने कहूँ तो मुझे आप पूरा चाण्डाल ही कहेंगे । हा ! जब २ वह बकरा मुझे याद आता है तब २ मेरा कलेजा फटने लगता है, इसलिये मैं निश्चय और मजबूती से कहता हूँ कि जो मांसाहार करता है वह सबसे भारी पापी है क्योंकि अन्य अकृत्यों से जीवहिंसा ही भारी अकृत्य है ।

यदि कोई यह कहे कि हम भारते नहीं और न हमें हिंसा होती है तो यह कथन उसका वृथा है क्योंकि यदि कोई मांस न खावे तो कसाई बकरे को जवह क्यों करें । अत एव धर्मशास्त्र में भी एक जीव के पीछे आठ मनुष्य पातक के भागी गिने गये हैं । यथा—

“ अनुमन्ता विशसिता निहन्ता ऋयधिक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः” ॥ १ ॥

भावार्थ— मारने में सलाह देनेवाला; शस्त्र से मरेहुए जीवों के अवयवों को पृथक् २ करनेवाला, मारनेवाला, मोललनेवाला, बेचनेवाला, सँवारनेवाला, पकानेवाला और खानेवाला ये सब घातकही कहलाते हैं ।

यहाँ पर कोई कोई मांसाहारी लोग यह प्रश्न करते हैं कि फलाहारी भी तो घातकही है क्योंकि आस्रकारों ने पौधों में भी जीव माना है, फिर फलाहारी और धर्मान्ध पुरुष केवल मासाहारी ही पर व्यर्थ आक्षेप क्यों करते हैं ? । इसका उत्तर यह है कि जीव अपने २ पुण्यानुसार जैसे २ अधिकाधिक पदवी को प्राप्त करते हैं वैसे २ अधिक पुण्यवान् गिने जाते हैं, इसी कारण से जो एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय रूप से जगत में जीवों के मूल भेद पाच माने गए हैं, उनमें एकेन्द्रिय जीव से द्वीन्द्रिय अधिक पुण्यवान् होता है और द्वीन्द्रिय से त्रीन्द्रिय, तथा त्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय—इस तरह सर्वोत्तम जीव पञ्चेन्द्रिय समझना चाहिए । और पञ्चेन्द्रिय में भी न्यूनाधिक पुण्यवाले हैं; अर्थात् तिर्यक् पञ्चेन्द्रिय (बकरा, गौ, भैसे आदि) में हाथी अधिक पुण्यवान् है, और मनुष्यवर्ग में भी राजा, मण्डलाधीश, चक्रवर्ती और योगी अधिक पुण्यवान् होने से अवध्य गिने जाते हैं, क्योंकि संग्राम में यदि राजा पकड़ा जाता है तो मारा नहीं जाता । इससे यह सिद्ध हुआ कि एकेन्द्रिय की अपेक्षा द्वीन्द्रिय के मारने में अधिक पाप होता है, एव अधिक २ पुण्यवान् के मारने से अधिक २ पाप लगता है । इसलिए जहातक एकेन्द्रिय जीव से निर्वाह हो सके, वहां-तक पञ्चेन्द्रिय जीव का मारना सर्वथा अयोग्य है । यद्यपि एकेन्द्रिय जीव का मारना भी पापबन्ध का कारणही है किन्तु कोई उपायान्तर न रहने से गृहस्थों को वह कार्य अगत्या करनाही पड़ता है । अत एव कितनेही भव्य जीव इस पाप के भय से धन, धान्य, राज, पाट

बगैरह छोड़कर साधु होजाते हैं, और अपने जीवनपर्यन्त अग्नि आदि को भी नहीं छूते, तथा भिक्षामात्र से उदरपोषण करलेते हैं । गृहस्थ भी जो अगत्या एकेन्द्रिय का नाश करते है उस पाप के परिहार के लिए साधुओं की सेवा, दान, धर्म और दोनों सन्ध्या आदि पुण्य-कृत्य जन्मभर किया करते हैं ।

भिक्षामात्रजीवी साधुओं के ऊपर आरम्भ का दोष नहीं है, क्योंकि गृहस्थ लोग जो अपने लिए आहार बनाते हैं उसमें वे लोग अत्यन्त आवश्यक तथा निर्दोष पदार्थ मात्र को ग्रहण करते हैं तिसपर भी गृहस्थों को यह नहीं मालूम रहता कि आज मेरे घर साधुलोग भिक्षा लेने आवेंगे । अनायास ही भोजन के समय गृहस्थ के घर पर साधु जाकर समयोचित आहार ग्रहण करता है जिससे कुछ भी दोष पूर्व-काल या उत्तर काल में उसे नहीं लगता ।

यदि यहां पर कोई यह प्रश्न करे कि तब साधुओं को सन्ध्यादि क्रिया करने से क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह है कि आहार नीहारादि के लिए उपयोगपूर्वक भी गमनागमन क्रिया करने में जो अनुपयोगरूप से दोष लगता है उसके प्रायश्चित्तनिमित्त ही वह क्रिया की जाती है ।

महाशय ! लोक व्यवहार से अनुभव द्वारा विचार करने पर एक सामान्य न्याय दिखाई पड़ता है कि " जैसा आहार वैसा विचार " याने उत्तम आहार खाने से उत्तमही विचार उत्पन्न होगा और मध्यम आहार से मध्यम, किन्तु तुच्छ आहार करनेसे तुच्छही विचार होगा; इसलिए समस्त दर्शनवालों के महात्मा लोग जब योगारूढ़ होते हैं तब उनका आहार कैसा अल्प होता है वह भी देखने ही के लायक है । तात्पर्य यह है कि सर्वोत्तम आहार में मूँग की दाल और चावल तथा उसके साथ में वनस्पति की किसी प्रकार की तरकारी गिनी गई है; क्योंकि भात हलका और पौष्टिक भोजन है, इसीलिए प्रायः समस्त देशोंमें वह भोजन श्रेष्ठ गिना

जाता है और प्रायः चावल खानेवाले बुद्धिमान् ही दिग्गद् पड़ते हैं । वर्तमान के अल्पज और रमनेन्द्रिय के लोगों, ऐसे उत्तम भोजन में कुत्सित मान को मिलाकर भानके सर्वोत्तम और स्वतन्त्र (बुद्धि बढ़ानेवाले) गुण को नष्ट कर देते हैं । और बाकी सब हुए गुण को भी जो मांसादि का ही गुण मानते हैं, वह उनकी कितनी भारी भूल है । अगर मछली गान को छोड़ कर-के दाल भात का ही आहार रक्खा होता तो आज दिन बङ्गाल वगैरह देश बुद्धिबल में बहुतही बढ़ जाते, अतएव उल्लेन्ड जो आजकल बुद्धिबल में तेज है वह भी भात का ही प्रताप है । यद्यपि बुद्धिबल मुख्य गुण आत्मा का ही है तथापि वायु के वेग से वह गम्य हो जाता है, और मांसाहार वायु को विशेष बढ़ाना है । अतएव केवल मांसाहार करनेवाला जंगली (निर्बुद्धि) गिना जाता है । जो किसी २ देश में मनुष्य, विशेष बुद्धिमान् होते हैं उसका भी कारण उन देश में वायु का प्रकोप कम होनाही मानना चाहिये । जिस आहार में वायु का प्रकोप कम होता है वह आहार उत्तम गिना जाता है, जैसे चावल, दाल, और वनस्पति वायु को नहीं बढ़ाते, इसलिए वह उत्तम ही भोजन है; परन्तु गेहूँ की रोटी, उट्ट की दाल मध्यम आहार गिना जाता है, क्योंकि उसमें बुद्धि की वृद्धि और हानि दोनों का प्रायः-सम्भव है, किन्तु वायुकारक होने से सबसे अधम मासही का आहार गिना गया है । अतएव मनुष्यों को उत्तम आहारही ग्रहण करना योग्य है और अधम सर्वथा त्याज्य हैं । जिस देश में मांसाहार का विशेष प्रचार है वह देश इतिहासों से असभ्य सिद्ध होता है, किन्तु भारतवर्ष सर्वदा और सर्वथा शिल्पकला, धर्मकला आदि में प्रवीण होने से असभ्य नहीं माना जाता । अब रही बात यह कि जो उसके कितनेही भागों में और कितनीही जातियों तथा धर्मों में मांसाहार प्रवेश करगया है उसका कारण यह है कि श्रीमहावीर स्वामी के बाद बारह वर्ष का दुष्काल तीन बार पड़गया, उस

समय अन्न के अभाव होने से बहुत मनुष्य अपने २ प्राण की रक्षा के लिए मांसाहारी बन गए. किन्तु धीरे २ अकाल की निवृत्ति होने पर भी मांसाहार का अभ्यास दूर न हुआ । अतएव जैन साधुओं का विहार सर्वथा पूर्व देशादि में शुद्धाहार के न मिलने से तथा मुसलमानों के उपद्रव होने से बन्द हो गया था, इसलिए लोगों को अहिंसा धर्म का उपदेश नहीं मिला ।

कितने ही कल्याणाभिलाषी भव्य जीवों ने मांसाहारी ब्राह्मणों से यह प्रश्न किया कि महागज ! मांसाहार करने वाले को शास्त्रों में भारी दण्ड लिखा है अर्थात् पशु की देह पर जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष मारनेवाला नरक के दुःख का अनुभव करता है तो अपने लोगों की मांसखाने से क्या गति होगी ? इसके उत्तर में ब्राह्मणों ने कहा कि अविधिपूर्वक मांस खाने से ही नरक होता है, किन्तु विधिपूर्वक मांस खाने से धर्म ही होता है । अतएव तुम लोग भी यदि देवपूजा, या श्राद्धादि में मांस खाओगे तो हानि नहीं होगी । इसी तरह साथही साथ पूर्वोक्त बात का उपदेश भी करना प्रारम्भ कर दिया और जैसा मन में आया वैसे श्लोक भी बना दिये ।

देखिये स्वार्थ और इन्द्रियस्वाद में लुब्ध अपनी झूठी कीर्ति के लिए उन लोगों ने कैसा अनर्थ किया ? क्योंकि विचार करने की बात है, यदि हिंसाही से धर्म होता हो तो फिर अधर्म किसे कहा जायगा ? क्योंकि मांसाहार करने वाले का मन प्रायः दुःखित और मलिन रहता है और किसी जीव के देखने पर उसके मनमें यही भाव उत्पन्न होता है कि यह जीव कैसा सुन्दर है और इसका मांस स्वादिष्ट तथा पुष्टिकर ही होगा, तथा इससे कितना मांस निकलेगा । इसलिए मांसाहारी को वन में जानेपर हरिणादि जीवों को देखकर उनके पकडने की ही अभिलाषा उठती है । अथवा तालाब या नदी के किनारे पर मत्स्य को देखकर मारने ही की अभिलाषा उत्पन्न होती है । इसी तरह आठपहर हिंसक जीव रौद्रपरिणामवाला बना रहता है । जैसे व्याघ्र, सिंह, विल्ली आदि हिंसक जीवों को, खाने के लिए

कोई जीव न मिलने पर भी वैसे कर्मबंधन करने से नरकादि गति अवश्य मिलती है वैसी ही मांसाहारी जीव की दशा जाननी चाहिए। हा ! मांसाहारी जीव सुन्दर पक्षियों का नाश करके जङ्गलों को शून्य कर देते हैं और सुन्दर बगीचे में अपने कुटुम्ब के साथ आनन्द से बैठे हुए पक्षियों को बन्दूक वगैरह से मारकर नीचे गिरा देते हैं। मुझे विश्वास है कि उस समय के वीभत्स दृश्य को दयालु पुरुष तो कभी नहीं देख सकता, लेकिन मांसाहारी तो उसीको देखकर बड़ी प्रसन्नता से मारनेवाले को उत्तेजना देता है कि वाह ! एकही गोली से कैसा निशाना मारा।

यहाँ पर एक यह भी विचारने की बात है कि एक पक्षी को मारनेवाला एकही जीव का हिंसक नहीं है किन्तु अनेक जीवों का हिंसक है, क्योंकि जिस पक्षी की मृत्यु हुई है यदि वह स्त्री जाति है और उसके छोटे २ बच्चे हैं तो वह माँ के मरजाने से जीही नहीं सकते, फिर उन सबके मरजाने से घोर पापकर्म का बन्ध मारने वाले को होगा। इसलिए कर्मबन्धन होनेसे पहिले ही बुद्धिमान् पुरुषों को चेतना चाहिए।

अब दूसरी बात यह रही कि हिंसा न करने पर भी कितनेही लोग जो पक्षियों को पींजरे में बन्द करते हैं उसमें भी भारी कर्मबन्ध होता है, याने जो लोग जङ्गल से नये २ पक्षियों को पकड़वाने में हजारों रुपया खर्च करते हैं और उनके खाने पीने के लिए अनर्थ भी करते हैं, उन शौकीन और धनाढ्य लोगों को समझना चाहिए कि पक्षियों की वनविषयक स्वतन्त्रता को भङ्ग करके कैदी की भाँति पींजरे में डालकर और अधर्म को धर्म मानकर जो यह समझते हैं कि हम पक्षियों को दाना चारा अच्छा देते हैं और दूसरों के भय से मुक्त रखते हैं और बाजार में विकते हुए जीवोंको केवल जीवदयाही से मोल लेकर रक्खा है, सो यह उनका समझना विलकुल असत्य है क्योंकि यदि उनको भी कोई उनके कुटुम्ब से अलग

करके बंधन में डालकर अच्छा भी खाना पीना दे तो क्या वे उसे अच्छा मानेंगे ? और जो बाजार में पक्षी विकने आते हैं उन्हें यदि कोई न खरीदे तो बेचनेवाले कर्मी नहीं ला सकते; क्योंकि मांसाहारी वैसे २ पक्षियों का मांस प्रायः नहीं खाते हैं । उसमें कारण यह है कि खर्च ज्यादा होकर भी मांस कम मिलता है, इसी लिए जिस देश में पक्षी पालने की चाल नहीं है वहांपर भिन्न २ तरह के लाखों पक्षी रहने पर भी एक भी बाजार में नहीं विकता, क्योंकि बेचनेवाले को पैसा नहीं मिलता है । गुजरात वगैरह देश में नीच, और दूसरे देशोंसे आए हुए प्रायः करके वावा और फकीर लोग ही पक्षियों को पालते हैं; किन्तु वहां के वासी गृहस्थलोग दयालु होने से पशुशाला में जीवोंको छुड़वा देते हैं । प्रसन्नवश से यहांपर एक बात यह याद आती है कि समस्त देशों में जिसके कन्या पुत्र नहीं होते हैं वह अनेक देव देवी की मानता करता है और मन्त्र यन्त्र तन्त्रादि का भी प्रयोग करता है तौ भी उसके सन्तति नहीं होती है । उसका कारण प्रायः यही है कि पूर्व भव में उसने अज्ञान दशा से किसिके बच्चों को अपने मांवाप से वियोग कराया होगा, या पक्षियों को पीजरे में डाला होगा; इसीलिए उस समय उनके बालकों को दुःख देने से इस भवमें उस पापके उदय होनेसे कितनेही लोगों के पुत्र उत्पन्नही नहीं होता और जिनके होता भी है तो जीता नहीं है । यद्यपि निष्पुत्र लोग पुत्रके लिए संन्यासी, साधु, फकीर वगैरह की पूजा करते हैं; क्योंकि “सेवाधीन सब कुछ है” यह सामान्य न्याय है, यदि किसी समय योगी और फकीर को प्रसन्न देखकर पुत्र प्राप्तिके लिए लोग प्रार्थना भी करते हैं तो यही करते हैं कि “महाराज ! एक पुत्र की वांछा है उसकी प्राप्ति के लिए कोई उपाय बतलाइये” लेकिन वैसे योगियों और फकीरों को तत्त्वज्ञान तो प्रायः रहता ही नहीं है केवल बाह्याडम्बर ज्यादा रहनेसे लाभकी अपेक्षा जिसमें हानि विशेष होती है उसी कार्य को वे प्रायः बतलाते हैं । इसमें दृष्टान्त यह है

कि जैसे-चीटियों के बिल के पास लोग उनके खाने के लिए आटा और चीनी डालते हैं, जिससे विशेष चीटी वहां आ जाती है और वही उपाय पुत्रोत्पत्ति का मानते हैं क्योंकि विचारे भोलें लोग धर्म-तत्त्व के अनभिज्ञ कर्मप्रकृति के अविश्वासी लाभालाभ को न विचार कर कितनेही देशोंमें ऐसी क्रिया करते हुए पाये जाते हैं; लेकिन यहाँ पर विशेष विचार का अवसर है कि जब आटा और चीनी फाई जाय खा-जायगा तो बहुतसी चीटियों का संहार होजायगा । प्रायः देगन में भी आया है कि पक्षी आटा खाकर चीटियों का संहार कर डालते हैं । यह एक बात हुई, दूसरी यह है कि चीटी संगूच्छन जीव होने से विना माता पिता से भी उत्पन्न होती है, तो आटा और चीनी के मिलने से हवा का संयोग होने पर नयी चीटियां भी उत्पन्न होती हैं, तब उनकी भी हिंसा होती है; इससे स्पष्ट है कि जैसे कार्य में धर्म की अपेक्षा अधर्म विशेष है । पुत्र-प्राप्तिका उपाय तो परोपकार, शील, सन्तोष, दया, धर्म वगैरह ही हैं और ऐसीही धर्मकृत्योंके करने से पुत्र की प्राप्ति हो ससती है । लेकिन सपाप क्रिया करने से वैसा फल नहीं मिलता । अत एव जिसमें लाभ की अपेक्षा हानि विशेष हो वह क्रिया नहीं करनी चाहिए । समस्त तत्त्ववेत्ताओंने परोपकार को ही सार माना है और परोपकार जीवदया का पुत्र है, क्योंकि जैसे विना माता के पुत्र का जन्म नहीं होता वैसे ही दया विना परो-पकार नहीं होता है । देखिये इसी परोपकार पर व्यासजी का वचन-

“ अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्”॥ १ ॥

अर्थात्-अठारह पुराणों में अनेक बातें रहने पर भी मुख्य दो ही बातें हैं । एक तो परोपकार, जो पुण्य के लिये है और दूसरा (पर पीडन) दूसरे को दुःख देना, जो पाप के लिए है । अर्थात् परपीडा से अधर्म ही होता है और जीवदया रूप परोपकार होने से पुण्यही होता

है और इसीसे स्वर्ग तथा मोक्ष मिलता है । अब लोकन्यवहार से विरुद्ध, अनुभवसिद्ध शास्त्रद्वारा अहिंसा के स्वरूप का यथावत् दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है—

सकल दर्शनकारों ने हिंसा को अधर्म में परिगणित किया है और सबसे उत्तम दयाधर्म ही माना है, इसमें किसी आस्तिक को भी विवाद नहीं है, तौ भी हरएक धर्मवालों को यहां पर शास्त्रीय प्रमाण देनेसे विशेष दृढ़ता होगी, इसलिए हिन्दूमात्र को माननीय मनुस्मृति तथा महाभारत और कूर्मादिपुराणों की साक्षी समय २ पर दी जायगी ।

उनमें पहिले मनुस्मृति को देखिये—

“ योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

स जीवन्श्च मृतश्चैव न कश्चित् सुखमधते ” ॥

निर्णयसागर की छपी म० अ० ५ श्लो० ४५ पृ० १८७

अर्थात्—आहिंसक (निरपराधी) जीवों को जो अपने सुख की इच्छा से मारता है वह जीता हुआ भी मृतप्राय है क्योंकि उसको कहीं सुख नहीं मिलता ।

तथा

“ यो वन्धनवधक्लेशान् प्राणिनां न चिकीर्षति ।

स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते” ॥ ४३ ॥

भावार्थ—प्राणियों के वध, बन्ध आदि क्लेशों के करने को जो नहीं चाहता वह सबका शुभेच्छु अत्यन्त सुख रूप स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त होता है ।

और भी देखिये—

“ यद् ध्यायति यत् कुरुते धृतिं वध्नाति यत्र च ।

तद्वामोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन” ॥ ४७ ॥

तात्पर्य—जो पुरुष दंश मशकादि सूक्ष्म अथवा बड़े जीवों को नहीं मारता है वह अभिलषित पदार्थ को प्राप्त होता है और जो करना चाहे वही कर सकता है या जहां पुरुषार्थ ध्यानादि में लक्ष्य

बांधे उसे अनायासही पा जाता है अर्थात् अहिंसा करनेवाला प्रतापी पुरुष जो मन में विचारे उसे तुरन्त ही पासकृता है ।

और यह भी लिखा है कि—

“ नाऽकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कश्चिन् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्” ॥४८॥

भावार्थ—प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस कभी पैदा नहीं होता, और प्राणिका वध स्वर्गनुत्त नहीं देता. इसलिए मांस को सर्वथा त्याग करदेना ही उचित है ॥ और भी वही कहा है—

“ समुत्पत्तिं च मांसस्य वधवन्धौ च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणान्” ॥ ४९ ॥

तात्पर्य—मांस की उत्पत्ति, और प्राणियों का वध तथा वन्ध को देखकर सर्व प्रकार के मांसभक्षण से मनुष्य को निवृत्त होना चाहिये ।

विवेचन—पूर्वोक्त मनुस्मृति के पञ्चम अध्याय के ४४ से ४९ तक के श्लोकों का रहस्य जाननेवाला कदापि मांसभक्षण नहीं करेगा । क्योंकि सीधा रास्ता छोड़कर विवादास्पद मार्ग में चलने की फाई भी हिम्मत नहीं करेगा । ४९ वें श्लोक में सब मांसों के भक्षण से निवृत्त होने का मनुजी ने उपदेश किया है । इससे विधिपूर्वक मांस खाने से दोष नहीं माननेवालों का पक्ष सर्वथा निर्दल ही है; क्योंकि देवताओं की मांसाहार करने की प्रकृतिही नहीं है । यदि तौ मन मांस देवता के सामने रक्खा जाय तो भी एक छुट्टाक भी कम नहीं होगा । दस वकराओं को अगर देवता के मन्दिर में रात को रखकर चारों तरफ उस मन्दिर की रक्षा की जाय फिर प्रातःकाल अगर मन्दिर खोलकर देखा जाय तो उन दस वकरों में से एक भी कम नहीं होगा । इससे यह स्पष्ट होता है कि मांसमात्र के लोभी लोग, विचारे भोले भाले लोगों को भरमाकर नाहक दूसरे के प्राणों का नाश कराते हैं । अपनी जिहा की क्षणभर तृप्ति के लिये विचारे जीवों के जन्म को नष्ट कराते हैं । कई एक भक्तलोग देवी के सामने मनाती करते हैं कि “ हे

माता जी ! मेरा लड़का यदि अमुक रोग से मुक्त होगा तो मैं आपको एक बकरा चढ़ाऊँगा ” । अगर कर्म के योग से बालक के आयुष्य बलसे आरामी हुई तो मानता करनेवाले लोग समझते हैं कि माता जी ने कृपा करके मेरे लड़के का जीवदान दिया, तब खुशी होकर निरपराधी बकरे को बाजे गाजे के साथ भूषित करके देवी के पास लेजाते हैं और वहाँपर उसको नहलाकर और फूल चढ़ाकर तथा ब्राह्मणों से स्वर्ग को प्राप्त करानेवाले मन्त्रों को उसके मारने के समय पढ़ाकर बकरे का प्राण निर्दय रीति से निकालते हैं—यहाँपर एक कवि का वाक्य याद आता है कि:—

“ माता पासे बेटा मांगे कर बकरे का साँटा ।

अपना पूत खिलावन चाहे पूत दूजे का काटा ।

हो दिवानी दुनियां ” ।

देखिये ! दूमरे के पुत्र को मार कर अपने पुत्र की शान्ति-चाहनेवाली स्वार्थी दुनियां को । यहाँपर ध्यान देना उचित है कि पहिले मानतारूप कल्पना ही झूठी है, अगर मानता से देवी आयुष्य को बढ़ाती होती तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं, जो लोग मानता मानते हैं उनसे अगर शपथपूर्वक पूछा जाय तो वह भी अवश्यही यह स्वीकार करेंगे कि सभी मानता हमलोगों की फलीभूत नहीं होती । कितनी ही दफे हजारों मानता करने पर भी पुत्रादि मरण को प्राप्त ही होता है । अतएव मानता दोनों प्रकारसे व्यर्थ ही है—क्योंकि रोगी की अगर आयुष्य है तो कभी मरनेवाला नहीं है तब मानता का कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि आयुष्य नहीं है तो बचनेवाला नहीं है, तौ भी मानता निष्फल है ।

और भी विचारिये कि यदि बकरे की लालच से देवी तुम्हारे रोगों को नष्ट करेगी तो वह तुम्हारी चाकरानी ठहरी, अथवा रिश्वत (घूस) लेनेवाली हुई क्य़ांकि जिससे माल मिले उसका तो भला करे और जितसे न पावे उतका भला न करे । घूस खानेवाले की

दुनियां में कैसी मानमर्यादा होती है सो पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं ।

महाशय ! माता शब्द का अर्थ पहिले विचारिये कि जो सर्वथा पालन पोषण करती है वही माता कही जाती है और जिसके पास बकरे का बलिदान किया जाता है वह जगदम्बा के नाम से दुनियां में कैसे प्रसिद्ध हो सकती है । क्योंकि जो समस्त जीवोंकी माता है वही जगदम्बा कही जा सकती है; तो समस्त जीवोंके बीचमें बकरा आदि भी (जो बलि दिये जाते हैं) आये उनकी भी तो माता ही ठहरी न ? अब सोचिये कि एक पुत्र को खाकर माता दूसरे को बचावे क्या कभी ऐसा होसकता है ? क्योंकि माताके सभी पुत्र समान ही होते हैं । अज्ञानी लोग स्वार्थान्ध होकर माता की मर्जा से विरुद्ध आचरण करके जीव हिंसा के लिए साहस करते हैं, उसीकारण से इस समय महामारी, हैजा प्लेग आदि महाकष्ट को लोग भोगते हैं । क्योंकि माता हाथ में लाठी लेकर नहीं मारती केवल परोक्ष रीति से मनुष्यों की अनीति का दण्ड देती है । मैंने स्वयं देखा है कि विन्ध्याचल में देवीजी का मन्दिर है, वहां पर हजारों संस्कृत के पण्डित विशेष करके नवरात्र में मिलते हैं और प्रातःकाल से लेकर सन्ध्या समय तक वे लोग समस्त सप्तशती (दुर्गा पाठ) का पाठ करते हैं जिसमें कि दुर्गा की भक्ति की प्रशंसा ही है किन्तु वहां पर अनाथ, निर्नाथ, और गरीब से गरीब बकरे और पाठे का बलिदान जो देते हैं वह देखकर उनके भक्तों के मन में भी एक दफे शङ्का होती है कि ऐसी हिंसा करके पूजा करना कहा से चला होगा ? माता भी अपने पुत्र के मारने से नाराज होकर हैजा आदि रूपसे उपद्रव करती है तब ब्राह्मण वगैरह भागते हैं और कितनेही लोग बकरे के मार्गानुगामी होते हैं । यह बात बहुत बार लोगों को प्रत्यक्ष देखने में आती है, और स्वयं अनुभव किया जाता है; तथापि पकड़ी हुई गदहे की पूँछ को छोड़तेही नहीं । माता की भक्ति बकरे मारने से

ही नहीं होती है । अपने २ मत में मानी हुई काली, महाकाली, गौरी, गान्धारी, अम्बा, दुर्गा वगैरह की सेवा उत्तम २ पदार्थों को चढ़ाकर करनी चाहिए । कितनेही लोग दुर्गापाठ की साक्षी देकर पशुपूजा के लिए आग्रह करते हैं, उनलोगों को समझना चाहिये कि “ पशुपुष्पैश्च धूपैश्च ” यह जो पाठ है उसमें विचार कीजिए कि पुष्प को जैसे साबूत (समूचा) चढ़ा देते हैं वैसे ही पशु को भी चढ़ा देना चाहिए याने चढ़ते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगदम्ब ! आपके दर्शन से जैसे हमलोग अभय और आनन्द से रहते हैं वैसे ही तुम्हारे दर्शन से पवित्र हुआ यह बकरा जगत् में निर्भय होकर विचरे । अर्थात् किसी मांसाहारी की छुरी उसके गले पर न फिरे । ऐसा संकल्प करके बकरे को छोड़ना चाहिए, जिससे कि पुण्य हो और माता भी प्रसन्न हो, तथा जगदम्बा का सच्चा अर्थ भी घटित हो जाय । अन्यथा जगदम्बा नाम रहने पर भी जगद्भक्षिणी हो जायगी ।

महानुभव ! मनुजी ने ४८ और ४९ वें श्लोक में प्राणियोंके वध से स्वर्ग का निषेध स्पष्ट दिखलाया है । यदि कदाचित् उन श्लोकों को कल्पित मानोगे तो मांसाहार से स्वर्ग होता है यही कल्पित क्यों न माना जाय ? जब कि दोनों कल्पित नहीं हैं तो यही दोनों श्लोक बलवान् है और बलवान् से दुर्बल बाधित होता है । और देखिये उसी अध्याय के ५३-५४-५५ श्लोकों को:-

“ वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसानि च न खादेद् यस्तयोः पुण्यफलं समम्” ॥५३॥

भावार्थ-वर्ष २ में एक पुरुष अश्वमेध करके सौवर्ष तक यज्ञ करे और एक पुरुष विलकुल कोई मांस न खाय तो उनदोनों का समान ही फल है ।

“ फलमूलाशनैर्मेध्यैर्मुन्यन्नानां च भोजनैः ।

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात्” ॥ ५४ ॥

अर्थात् जो पवित्र फल मूलादि तथा नीवारादि के भोजन करने से भी फल नहीं मिलता वह केवल मांसाहार के त्याग करने से ही मिलता है ।

“ मांसं भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्भ्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ” ॥५५॥

याने जिसका मांस मैं यहां खाता हूं वह मुझको भी जन्मान्तर में अवश्यही खायगा—ऐसा “ मांस ” शब्द का अर्थ महात्मा पुरुषों ने कहा है ।

विवेचन—५३ वें श्लोक में लिखा है कि, सौ वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह फल मांसाहार मात्र के त्याग करने से होता है । हिन्दू शास्त्रानुसार अश्वमेध की विधि करना इस समय बहुत कठिन है, क्योंकि पहिले तो समस्त पृथ्वी जीतना चाहिये, तब अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी होता है और तिसपर भी लाखों रुपये खर्च होते हैं और इतने पर भी हिंसाजन्य दोष होता ही है ऐसा सांख्यतत्त्वकौमुदी में दिखलाया है—“ स्वल्पः सङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः ” अर्थात् स्वल्प, सङ्कर याने दोष सहित यज्ञ का पुण्य है, और सपरिहार याने कितने ही प्रायश्चित्त करके शुद्ध करने के योग्य, तथा सप्रत्यवमर्ष अर्थात् यदि न होवे तो पुण्य भोगने के समय हिंसा जन्य पाप भी अवश्य सहना पड़ेगा इत्यादि ।

यद्यपि इस विषय में वैदिक धर्म को नहीं मानने वाले के साथ विवाद है तौ भी मनुजी ने मांसाहार त्याग करने से जो फल दिखलाया है वह तो सबके मत में निर्विवाद और अनायाससाध्य होने से सर्वथा स्वीकार करने के योग्य है । ५४ वें श्लोक में लिखा है कि, मुनियों के आचार पालने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य केवल मांसाहार के त्याग करने से ही मिलता है, अर्थात् शुष्क जीर्ण पत्राहारादि से जो लाभ होता है वह लाभ मांसाहार के त्याग करने

से होता है । ऐसे सरल, निर्दोष, निर्विवाद, मार्ग को छोड़कर सदैव विवादास्पद, पर के प्राणघातरु कृत्यों से स्वर्ग को चाहनेवाले पुरुष को ५५ वें श्लोक पर अवश्य दृष्टि देनी चाहिए । मांस शब्द की निरुक्ति में ऐसा लिखा है कि “ मां ” याने मुझको खानेवाला “ सः ” याने वह होगा, जिसका मांस मैं खाता हूँ, ऐसा मांस शब्द का अर्थ मनुजी कहते हैं; अब मनुजी के वाक्य को मान करके यज्ञादि करने वालों को ध्यान देना चाहिए कि स्वर्ग जाने के लिये बहुत से रास्ते हैं तो फिर समस्त प्रजा के अनुकूल रास्ते से जाना ही सर्वथा ठीक है याने प्रजा वर्ग के प्रतिकूल रास्ते से जाना उचित नहीं है ।

पुराणों ने भी पुकार २ कर हिंसा का निषेध किया है । देखिये व्यासजी ने पुराणों में इस तरह कहा है—

“ज्ञानपालीपरिक्षिप्ते ब्रह्मचर्यदयाऽन्भसि ।

स्नात्वाऽतिविमले तीर्थे पापपङ्कापहारिणि” ॥ १ ॥

“ध्यानाग्नौ जीवकुण्डस्थे दममारुतदीपिते ।

असत्कर्मसमित्क्षेपैरग्निहोत्रं कुरुत्तमम्” ॥ २ ॥

“कषायपशुभिर्दुष्टैर्धर्मकामार्थनाशकैः ।

शममन्त्रहतैर्यज्ञं विधेहि विहितं बुधैः” ॥ ३ ॥

“प्राणिघातात्तु यो धर्ममीहते मूढमानसः ।

स वाञ्छति सुधावृष्टिं कृष्णाऽहिमुखकोटरात्” ॥ ४ ॥

अर्थात्—ज्ञानरूप पाली से युक्त ब्रह्मचर्य और दयारूप जलमय अत्यन्त निर्मल पापरूप धीचड़ को दूर करनेवाले तीर्थ में स्नान करके ध्यानाग्निमय दमरूप वायु से सतप्त हुआ जीवरूप कुण्ड में असत्कृत्यरूप काष्ठों से उत्तम अग्निहोत्रों को करिये । क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायरूप दुष्ट पशुओं को (जो धर्म, अर्थ तथा काम को नाश करने वाले हैं) शमरूप मन्त्र से मार कर पण्डितों से किये हुए यज्ञ को करो । और प्राणियों के नाश से जो धर्म की इच्छा

करता है वह श्यामवर्ण सर्प के मुख से अमृत की वृष्टि चाहता है ।

विवेचन-पूर्वोक्त चारो श्लोकों से अहिमामय यज्ञ को पाठक-लोग समझ गये होंगे । इस प्रकार यज्ञ करने से क्या स्वर्ग नहीं मिलेगा ? यदि इस विधि में विश्वास नहीं है तो विवादान्पद सदान् विधि में तो अत्यन्त विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंसा-जन्य कार्य को वेद के माननेवालों में भी बहुत से निपरीत हैं । देखिये अर्चिर्मागियों के उद्धार-

यथा-

“ देवापहारव्याजेन यज्ञव्याजेन थेऽथवा ।

घ्नन्ति जन्तून् गतघ्ना घोरां ते यान्नि दुर्गतिम् ” ॥ १ ॥

भावार्थ-देव की पूजा के निमित्त या यज्ञ कर्म के निमित्त से जो निर्दय पुरुष प्राणियों को निर्दय होकर मारता है वह घोर दुर्गति में जाता है, अर्थात् दुर्गति को पाता है ।

वेदान्तियों के वचन को सुनो-

“ अन्वे तमसि मज्जामः पशुभिर्ये यजामहे ।

हिंसा नाम भवेद् धर्मो न भूतो न भविष्यति ” ॥ १ ॥

भावार्थ-जो हमलोग यज्ञ करते हैं वह अन्धकारमय स्थान में डूबते हैं क्योंकि हिंसा से न कदापि धर्म हुआ और न होगा ऐसे वाक्य अनेक जगह में दिखाई पड़ते हैं । तथापि आग्रह में डूबे हुए पुरुष लाभालाभ का विचार न करके सत्य वातु का आदर नहीं करते हैं और न युक्ति को देखते हैं । देखिये व्यासजी ने चाँथे श्लोक में कहा है कि यदि सर्प के मुख से अमृत वृष्टि होती हो तो हिंसा से भी धर्म हो सकता है- यह व्यासजी का कैसा युक्तियुक्त वाक्य है और युक्तियुक्त वाक्य किसीका भी हो तो उसके स्वीकार करने को समस्त लोग तैयार होते हैं; फिर व्यास ऐसे कविवर के वाक्य को कौन नहीं मानेगा ? ।

मनुजी ने ५३-५४-५५ वें श्लोक में जो अहिंसा मार्ग दिखलाया है वह समस्त मनुष्यों के माननेयोग्य है क्योंकि अहिंसा ही सब कल्याणों को देने वाली है, इस विषय में जैनाचार्यों के वाक्यामृत को देखिये—

“ क्रीडाभूः सुकृतस्य दुष्कृतरजःसंहारवात्या भवो-
दन्वन्नौर्व्यसनाग्निमेघपटली संकेतदूती, श्रियाम् ।
निःश्रेणिस्त्रिदिवौकसः प्रियसखी मुक्तेः कुगत्यर्गला
सत्त्वेषु क्रियतां कृपैव भवतु क्लेशैरशेषैः परैः ” ॥ १ ॥

भावार्थ—प्राणियों में दयाही करनी चाहिये, दूसरे क्लेशों से कुछ प्रयोजन नहीं है । क्योंकि सुकृत के क्रीडा करने का स्थान अहिंसा है अर्थात् अहिंसा सुकृत को पालन करनेवाली है और दुष्कृतरूप घूली को उड़ाने के लिये वायु समान है, संसाररूपी समुद्र के तरने के लिये नौकासमान है, और व्यसनरूप दावाग्नि के शान्त करनेके लिये मेघकी घटा के तुल्य, तथा लक्ष्मी के लिये संकेतदूती है; अर्थात् जैसे दूती स्त्री या पुरुष को परस्पर मिला देती है वैसेही पुरुष का और लक्ष्मी का मेल अहिंसा करा देती है और स्वर्ग में चढ़ने के लिये सोपानपङ्क्ति है, तथा मुक्ति की प्रियसखी कुगति के रोकने के लिये अर्गला अहिंसा ही है ।

विवेचन—अहिंसा ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देनेवाली है इस पर किसी २ को यह शङ्का उत्पन्न होगी कि ब्रह्मचर्यपालन, परोपकार, सन्तोष, ध्यान, तप, आदि धर्म, शास्त्र में जो कहे हुए हैं वह व्यर्थ हो जायेंगे क्योंकि केवल दया करनेही की सूचना की गई है और अन्य क्लेशों की मनाही की है । उसके उत्तर में समझना चाहिए कि जिसके हृदय में अहिंसा देवी का थोड़ा बहुत प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ है उसके हृदय मन्दिर में ब्रह्मचर्य, परोपकार सन्तोष, दान, ध्यान, तप, जपादि समस्त गुणों की श्रेणी बैठी हुई है,

अगर न हो तो दया देवी निरुपद्रव रह ही नहीं सकती। अहिंसा रूप सुन्दर वर्गीचे में दान, शील, तप, भावादि क्यारिया नुशोभित हैं। और कारुण्य, मैत्री, प्रमोद, और माध्यस्थ्य, ये चार प्रकार की भावनारूप नाली से शान्तिरूप जल उधर उधर बहना है। तथा दीर्घायुष्य, श्रेष्ठशरीर, उत्तमगोत्र, पुण्ड्र द्रव्य, अत्यन्त बल, टहुगर्ह, आरोग्य, अत्युत्तम की-रिन्तादि वृद्धों की पत्नि फटोल कर रही हैं, और विवेक, विनय, विद्या, सद्बिचार आदि की नग्न और सुन्दर पत्रपादियां प्रफुलित होकर फैल रही हैं; तथा परोपकार, ज्ञान, ध्यान, तप, जपादि रूप पुष्पपुञ्ज भव्यजीवों को आनन्दित कर रहा है, एव स्वर्ग, अपवर्ग रूप अविनन्दर फलों का नुशुभित भुनि आन्वादन कर रहे हैं, ऐसे अहिंसारूप अमूल्य वर्गीचे की रक्षा के लिये, मृषावाद-परिहार अदत्तादान-परिहार, ब्रह्मचर्य-सेवा, परिग्रह-त्याग रूप अटल अभेद्य (काम क्रोधादि अनादिकाल के अपने अत्रुओं में दुर्लदृष्य) किले की आवश्यकता है। बिना नर्यादा कोई चीज नहीं रह सकती, अत एव अहिंसारूप अत्युपयोगी वर्गीचे के बचाने के लिये समस्त धर्मवाले न्यूनाधिक ध्यान सन्ध्याऽऽदि धर्मकृत्यों को करते हैं, यह बात सर्वथा माननीय है यदि इस बात के न मानने वाले को नास्तिक कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं है। जीवहिंसा के समान दूसरा कोई पाप नहीं है और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिये हिंसा से कभी धर्म नहीं होता, इसके लिये कहा है कि—

“ यदि ग्रावा तोये तरति तरणिर्यशुदयते

प्रतीच्यां सप्तार्चिर्यदि भजति शैत्यं कथमपि ।

यदि क्ष्मापीठं स्यादुपरि सकलस्यापि जगतः

प्रसूते सच्चानां तदपि न वधः कापि सुकृतम् ” ॥ १ ॥

भावार्थ—यद्यपि जल में पत्थर तैरता नहीं है, यदि वह भी किसी प्रकार तैरे; और सूर्य पश्चिमदिशा में उदय नहीं होता, यदि वह भी किसी प्रकार उदय हो, और अग्नि कदापि शीतल नहीं

होती, यदि वह भी सीता ऐसी महासती के प्रभाव से शीत हो जाय, एवं पृथ्वी कभी अधोभाग से ऊपर नहीं होती यदि वह भी हो तौ भी प्राणियों का वध कभी सुकृत को उत्पन्न नहीं करेगा । और इसी बात को दृढ़ करने के लिये जैनाचार्यों ने कहा है कि—

“स कमलवनमग्नेर्वासरं भास्वदस्ता—

दमृतमुरगवक्त्रात् साधुवादं विवादात् ।

रुगपगममजीर्णाज्जीवितं कालकूटा—

दभिलपति वधाद् यः प्राणिनां धर्ममिच्छेत्” ॥ १ ॥

भावार्थ—जो पुरुष प्राणियों के वध से धर्म की इच्छा करता है वह दावानल से कमल की इच्छा करता है, या सूर्य के अस्त होने पर दिन की वाञ्छा करता है, अथवा सर्प के मुखसे अमृत की अभिलाषा करता है, तथा विवाद (झगडे) से अपने को अच्छा कहलाना चाहता है, और अजीर्ण से रोग की शान्ति चाहता है और हलाहल (जहर) से जीने की इच्छा करता है ।

विवेचन—यद्यपि पत्थर जल में तैरता नहीं फिर भी यदि किसी प्रकार तैरे तौ भी आश्चर्य नहीं, किन्तु प्राणियों के वध से पुण्य कदापि नहीं हो सकता । धूममार्गानुसारी कहते हैं कि हमलोग मन्त्र से पवित्र करके मांस को खाते हैं, अतएव दोष नहीं लगता, किन्तु पुण्य का ही उपार्जन है, यह बात ठीक नहीं है—क्योंकि विवाहादि कृत्यों में मन्त्र पढ़े जाते हैं उसमें विपरीत भी फल दिखाई देता है, तब मांसाहार से विपरीत फल क्यों न हो ? मन्त्रसंस्कृत मांस भक्ष्य है और दूसरा अभक्ष्य है, यह कहना मात्र है; किन्तु मांसमात्र अभक्ष्य ही है क्योंकि विष को मन्त्र से संस्कृत करोगे तौ भी मारेगा और असंस्कृत रहने पर भी मारेही गा । जान कर खाने में या अनजान से खाने में, जीने के लिये या मरने के लिये, या किसी रीति से खाया जाय तौ भी प्राणनाश ही करेगा । हिंसाजन्य पाप का नाश कभी नहीं होता । बुद्धजी के ही वचनों को देखिये—

“ इत एकनवति कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हतः ।

तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ! ” ॥ १ ॥

अर्थात् इस भव से एकानवे कल्प में मैंने शक्ति से पुरुष को मारा था, उससे उत्पन्न हुए पाप कर्म के विपाक से, हे साधुजन ! मैं कण्टक से पाद में विद्ध हुआ हूँ । किये हुए कर्म, भवान्तर में भोगनेही पड़ते हैं; “ यादृशं क्रियते कर्म तादृशं प्राप्यते फलम् ” याने जैसा कर्म किया जाता है वैसाही फल मिलता है, कर्म को किसीका भी लिहाज नहीं है पशुमारनेवाला जरूर पाप का भागी-होता है और नरक जाता है ।

यथा—

“ यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारत ! ।

तावद्वर्षसहस्राणि पच्यन्ते पशुघातकाः ” ॥ १ ॥

भावार्थ—हे भारत ! पशु के शरीर में जितने रोम हैं उतने हजार वर्ष पशु के घातक नरक में जाकर दुःख भोगते हैं । याने स्वकृत-कर्मानुसार ताड़न, तर्जन, छेदन, भेदनादि क्रिया को सहते हैं । ऐसे स्पष्ट लेख रहने पर भी हिंसा में धर्म मानने वाले मनुष्य, महानुभाव भद्रलोगों को भ्रम में डालने के लिये कुयुक्ति देते हैं कि विधिपूर्वक मांस खाने से स्वर्ग होता है इतनी आज्ञा देने से अविधि से मांसखानेवाले लोग भय से रुक जावेंगे और हिंसा भी नियमित ही होगी, इत्यादि कुत्सित विचारों के उत्तर में समझना चाहिए कि अविधि से मांस खानेवाले तो अपने आत्मा की निन्दा करेंगे और पश्चात्ताप करेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव मांस खानेका नहीं है किन्तु विधिपूर्वक मांस खानेवाले पश्चात्ताप नहीं करते बल्कि धर्म मानकर प्रसन्न होते हैं, तथा एक दफे मांस का स्वाद लेने से समय २ पर देवपूजा के व्याज से उदर की पूजा करेंगे और हिंसा के निषेध करनेवालों के सामने विवाद करने को तैयार होंगे । तो सोचिये कि यह अनर्थ होगा कि लाभ होगा ? इस बात का विचार

बुद्धिमानों को करना चाहिए । मैं कह सकता हूँ कि स्वर्ग की लालच से अन्ध श्रद्धा वाले होकर अनर्थ करते हैं । सांख्य लोग भी मांस-भोजियों के प्रति आक्षेप पूर्वक उपदेश करते हैं ।

यथा—

“ यूपं छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

यद्येवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते ? ” ॥ १ ॥

अर्थात् यज्ञस्तम्भ को छेदकर, पशुओं को मारकर, रुधिर का कीचड़ करके इसतरह यदि स्वर्ग में गमन हो तो नरक में कौन कर्मसे गमन हो सकेगा, अर्थात् जीव हिंसा के समान पाप दुनियां भर में नहीं है । वैसे क्रूर कर्म करने से यदि स्वर्ग में गमन होता हो तो हिंसा से हीन अतिरिक्त कौन कर्म है कि जो नरक में लेजावे । देखिये तुलसीदास के अहिंसा-पोषक वचनों को ।

यथा—

“ दया धर्म को मूल है पापमूल अभिमान ।

तुलसी दया न छाड़िए जवलन घट में प्रान ” ॥१॥

अर्थात् धर्म का मूल दया है तो हिंसा जहाँ होगी वहाँ पर दया का नाम भी नहीं रहेगा । और मूल बिना वृक्ष रह नहीं सकता और वृक्ष के बिना फल नहीं हो सकता: यह बात साधारण भी मनुष्य समझ सकता है. जैसे कहा है कि—

“ दयामहानदीतीरे सर्वे धर्मास्तृणाङ्कुराः ।

तस्यां गोपमुपेतायां कियन्नन्दन्ति ते चिरम् ? ” ॥१॥

भावार्थ—दयारूप महानदी के तीरे में सभी धर्म तृणाङ्कुर के समान हैं उस नदी के सूख जाने पर वे अङ्कुर कहां तक आनन्दित रहेंगे ?

विवेचन—नदी के तीरे में वृक्ष, घास, लता आदि सभी वृद्धि को प्राप्त होते हैं. नदी के जल की शीतल हवा के न्यर्ग होने से नवपल-

वित रतते हैं, किन्तु नदी वर्षा के अभाव से यदि शुष्क हो जावे तो उनके आधार से उत्पन्न हुए संपूर्ण वनस्पति नष्ट हो जाते हैं; वैसे ही दयान्तप नदीके अभावमें धर्मन्तप अदुर्गमिर नहीं रह सकते । नीतिशास्त्रकार ने भी दया की मुख्यता दिखलाई है ।

यथा—

“यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षयते निघर्णच्छेदनतापताडनैः ।

तथैव धर्मो विदुषा परीक्षयते श्रुतेन शीलिन तपोदयागुणैः” ॥१॥

अर्थान् जैसे निघर्ण (कमौटी पर कनका) तथा छेदन (काटने), ताप (तपाने), ताडन (पीटने) आदि से नुवर्ण परीक्षित होता है वैसेही शील, शील, तप, दया आदि गुणों से विद्वान् पुरुष धर्म की परीक्षा करते हैं ।

त्रिवेचन—जब नुवर्ण के चञ्चल और विनश्वर वस्तु रहने पर भी बुद्धिमान्, उनही परीक्षा करनेको नहीं चूकते, तो यदि अविनश्वर अचल, अनुपम मुख को देनेवाले धर्मरत्न की परीक्षा करें तो इसमें आश्चर्यही क्या है ? जैसे नुवर्णकी परीक्षा के लिये निघर्णादि पूर्वोक्त चार प्रकार दिखलाये गये हैं वैसेही धर्मरत्न की परीक्षा के लिये श्रुत, शील, तप और दया दिखलाई हैं; जिस शाल में परस्पर विरुद्ध बात न हो किन्तु युक्तियुक्त पदार्थोंकी व्याख्या हो, तथा परोपकारादि गुणों का वर्णन हो वह शाल प्रामाणिक मानना चाहिए । शील याने ब्रह्मचर्य अथवा आचार के पालने की आवश्यकता को सहेतुक जानने वालाही ब्रह्मचर्यपालनेवाला गिना जाता है, और ब्रह्मचर्य पालन का मूल कारण जीवदयाही है । क्योंकि कामशास्त्रकार वात्स्यायन ने स्वशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री की योनि में अमंशुय कीट्टे उत्पन्न होते हैं इसीसे उसको पुरुषसेवन करनेकी उत्कट इच्छा होती है और जैनशास्त्रकार तो स्त्रीयोनिगत वीर्य और रुधिर में असङ्ख्य जीवकी उत्पात्ति मानते हैं, इसलिये गर्भज ९ लाख जीव एक वार मैथुन करने से मरजाते हैं और द्वीन्द्रियादि जीवों के मरनेकी

संख्या दो लाख से लेकर नौ लाख तक है और समूच्छिम जीव भी असंख्यात मरते हैं; इस पर दृष्टान्त यह है कि जैसे वांस की नली में भरी हुई रई को तप्त लोहे की सलाई जीघ्र भस्म कर देती है वैसेही स्त्रीपुरुष के संयोग से योनिस्थ समूच्छिम असंख्य और द्वीन्द्रियादि एक से लेकर नव लाख तक मरजाते हैं तथा गर्भज ९ लाख एकवार ही विषय सेवन से नष्ट होजाते हैं और नये नये उत्पन्न होते हैं; कर्मयोग से जो एक दो या तीन जीव रह जाते हैं वह बालकरूप से उत्पन्न होते हैं । मद्य, मधु (शहद) और मांस, तथा मक्खन में असङ्ख्य कड़े उसी रंग के उत्पन्न होते हैं ।

पूर्वोक्त बातों को निश्चय करानेवाली प्राकृतगाथाएँ यहाँ पर दी जाती हैं—

“तर्हि पंचिदिश जीवा इत्थीजोणीनिवासिणो ।

मणुआणं नवलक्खा सच्चे पासेई केवली” ॥ १ ॥

“इत्थीणं जोणीसु हवन्ति वेइन्दिया य जे जीवा ।

इक्को य दुन्नि तिन्निवि लक्खपहुत्तं तु उक्कोसं” ॥ २ ॥

“पुरिसेण सह गयाए तेसिं जीवाण होइ उद्वणं ।

वेणुअ दिट्ठतेणं तत्ताइ सिलागनाएण” ॥ ३ ॥

“इत्थीण जोणिमज्जे गब्भगयाइं हवन्ति जे जीवा ।

उप्पज्जन्ति चयन्ति य समुच्छिमा असंखया भणिया” ॥ ४ ॥

“मेहुणसंनारूढो नवलक्ख हणेइ सुहुमजीवाणं ।

तित्थयरेणं भणियं सद्दहिअव्वं पयत्तेणं” ॥ ५ ॥

“मज्जे महुम्मि मंसम्मि नवणीयम्मि चउत्थए ।

उप्पज्जन्ति असंखा तव्वन्ना तत्थ जन्तुणो ” ॥ ६ ॥

पूर्वोक्त गाथाओं का भावार्थ पहिलेही लिखा जा चुका है इसलिये अब विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है ।

पाठकों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि वस्तुतः ब्रह्मचर्य अहिंसा पालन के लिये ही है; तथापि यदि लौकिक व्यवहार पर भी

दृष्टि दी जाय तो और भी विशेष स्पष्ट होगा । देखिये किसीकी बहिन या स्त्री पर कुदृष्टि करने से जो दुःख होता है उसका विवेचन करना असंभव है और दुःख देना ही अहिंसा का स्वरूप है । अतएव ब्रह्मचर्य पालन अहिंसा के लिये है और उस ब्रह्मचर्य को ही शील कहते हैं । अथवा शील से सदाचार भी लिया जाता है और जिसके पालने में किसीको बाधा न हो वही सदाचार कहलाता है, अतएव सदाचार सबका उपकारक ही होता है क्योंकि उससे किसीका भी अपकार नहीं होता ।

यथा—

“लोकापवादभीरुत्वं दीनाभ्युद्धरणादरः ।

कृतज्ञता सुदाक्षिण्यं सदाचारः प्रकीर्तितः ” ॥ १ ॥

भावार्थ—प्रामाणिक लोगों के अपवाद से डरना, और दीनों के उद्धार में आदर करना, तथा आदर किये हुए गुणों को जानना तथा सुन्दर दाक्षिण्य को सदाचार कहते हैं, ऐसे सुन्दर आचार को ही शील कहते हैं, तथा जिसके आचरण से इन्द्रियों का निग्रह होता है उसे तप कहते हैं, अर्थात् कषायों की शान्ति और सर्वथा आहार का त्याग तप है ।

यथा—

“ कषायविषयाऽऽहारत्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः ” ॥ १ ॥

अर्थात्—क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेषादि कषाय और पञ्चेन्द्रिय के विषयों का जिसमें त्याग है उसीको उपवास कहना चाहिए, इससे अतिरिक्त तपस्या को तत्त्ववेत्ता लोग लङ्घन कहते हैं ।

लेकिन बहुतोंको देखकर आश्चर्य होता है कि दशमी के रोज खान पान में चार आने से उनका कार्य सिद्ध होता है किन्तु एकादशी के रोज आठ आने का माल उड़ जाता है तौ भी उपवास ही कहा जाता है यह क्या कोई उपवास (तप) है ? जिस

तप से कर्मों का नाश हो उसी का नाम तप है । मन, वचन और शरीर से किसी जीव की हानि नहीं करना किन्तु समस्त जीवों को अपने समान ही मानने को दया कहते हैं; क्योंकि जैसे अपने शरीर में फोड़ा होने से वेदना का अनुभव होता है और उसके हजारों उपचार करने का प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही अन्य के लिये उपचार करना सर्वथा पण्डितों को उचित है क्योंकि अन्यजीवों पर जो दया नहीं करता वह कदापि पण्डित नहीं कहलाता है ।

यथा—

“आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् ।

मातृवत् परदारेषु यः पश्यति स पण्डितः (यः पश्यति स पश्यति)” १

भावार्थ—जो पुरुष सब प्राणियों में अपनी आत्मा के समान वर्ताने करता है और दूसरे के द्रव्य में पत्थर के समान बुद्धि करता है तथा परस्त्री को माता की तरह देखता है वही पण्डित है, अथवा वही नेत्रवाला है ।

देखिये पूर्वोक्त श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि सब प्रकार जीवों को शान्ति देनीही दया है । और पूर्वोक्त शास्त्र, शील, तप, दया जिसमें हो उसे धर्मरत्न जानना चाहिए । इससे भिन्न कोई धर्म नहीं है किन्तु इससे भिन्न जो कुछ होगा वह भद्रिक जीवों को भव-अमणकरानेवाला ही होगा । इसी कारण से नीतिकार श्लोकरत्नों को मूमण्डल में छोड़ करके परीक्षा करने के लिये प्रेरणा करते हैं, तथापि वर्तमान कालके मनुष्य पक्षपातरहित होकर विचार नहीं करते, किन्तु विशुद्ध और निर्मल अहिंसा धर्मका अनादर करके हिंसा करने में कुयुक्तियों का उपयोग करते हैं । वस्तुतः अहिंसादि सामान्य धर्म समस्त दर्शनानुयायियों को संमत है ।

यथा—

“ पञ्चैतानि पवित्राणि सर्वेषां धर्मचारिणाम् ।

अहिंसा सत्यमस्तेयं त्यागो मैथुनवर्जनम् ” ॥ १ ॥

याने अहिंसा, सत्य, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन,

और सर्वथा परिग्रह याने मूर्च्छा का त्याग, ये पाच पवित्र महाव्रत समस्त दर्शनानुयायी महापुरुषों को बहुमानपूर्वक माननीय हैं, अर्थात् संन्यासी, स्नातक, नीलपट, वेदान्ती, मीमांसक, साङ्ख्यवेत्ता, बौद्ध, शाक्त, शैव, पाशुपत, कालामुखी, जङ्गम, कापालिक, शाम्भव, भागवत, नम्रव्रत, जटिल आदि आधुनिक तथा प्राचीन समस्त मतवालों ने यम, नियम, व्रत, महाव्रतादि के नाम से मान दिया है और देते भी है। तथा इस विषय में पुराणों की साक्षी भी इस तरह देते है—

महाभारतीय शान्तिपर्व के प्रथम पाद में लिखा है कि—

“सर्वे वेदा न तत् कुर्युः सर्वे यज्ञाश्च भारत ! ।

सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च, यत् कुर्यात् प्राणिनां दया” ॥१॥

भावार्थ—हे अर्जुन ! जो प्राणियों की दया फल देती है वह फल चारो वेद नहीं देते और न समस्त यज्ञ देते है तथा सर्वतीर्थों के स्नान वन्दन भी वह फल नहीं दे सकते हैं ।

और यह भी कहा है—

“अहिंसालक्षणो धर्मो ह्यधर्मः प्राणिनां वधः ।

तस्माद् धर्मार्थिभिर्लोकैः कर्तव्या प्राणिनां दया” ॥१॥

अर्थात् दया ही धर्म है और प्राणियों का वध ही अधर्म है, इस कारण से धार्मिक पुरुषों को सर्वदा दया ही करनी चाहिए । क्योंकि विष्ठा के कीड़े से लेकर इन्द्र तक सबको जीविताशा और मरणभय समान है । और भी देखिये—

“अमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये ।

समाना जीविताऽऽकाङ्क्षा तुल्यं मृत्युभयं द्वयोः ” ॥१॥

इसका भावार्थ स्पष्ट ही है ।

अब जैनशास्त्र के प्रमाण से दशवैकालिक का यथार्थ वचन दिखलाया जाता है—

“सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं न मरिज्जुं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं निगंथा वज्जयंति णं ” ॥१॥

भावार्थ—समस्त जीव जीने ही की इच्छा करते हैं किन्तु मरने की कोई भी इच्छा नहीं करता, अतएव प्राणियों का वध घोर पापरूप होने से साधुलोग उसका निषेध (त्याग) करते हैं । इस बातको दृढ़ कराते हुए तत्त्वेवत्ता कहते हैं कि—

“दीयते म्रियमाणस्य कोटिर्जावित एव वा ।

धनकोटिं परित्यज्य जीवो जीवितुमिच्छति” ॥१॥

अर्थात्—अगर मरते हुए जीव को कोई आदमी करोड़ अशर्फी दे और कोई मनुष्य केवल जीवन दे तो अशर्फियों की लालच को छोड़ वह जीवन की ही इच्छा करेगा क्योंकि स्वभाव से जीवों को प्राणों से प्यारी और कोई वस्तु नहीं है । इस बात को विशेष दृढ़ करने के लिये यह दृष्टान्त है—

एक समय राजसभा में बुद्धिमान पुरुषों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि प्राण से बढ़कर कोई चीज नहीं है, इस बात को सुनकर राजा ने परीक्षा करने के लिये चार पुरुषों को बुलाया और हर एक के हाथ में तेल से भरा हुआ कटोरा देकर आज्ञा दी कि तुम सबलोग कटोरे को ले करके शहर के किले की चारों तरफ प्रदक्षिणा करो किन्तु पात्र से रास्ते में एक भी बूँद तेल का न गिरे अगर गिरेगा तो पहिले को दसहजार अशर्फियों का दण्ड होगा, और दूसरे को पचास हजार, तथा तीसरे को लाख और चौथे को कहा गया कि तुम्हारी जान ही लेली जायगी । इस राजा की आज्ञा के वशी-भूत होकर चारो आदमी चले, किन्तु कटोरों के भरपूर होने से कुछ न कुछ गिरने का सम्भव था ही, इसलिये वे लोग धीरे २ बहुत ही सन्हाल कर चले किन्तु वैसा करने पर भी पहिले और दूसरे से आधी दूर पहुँचने पर कितनी ही बूँदें गिरीं, तीसरे से अन्त में जाकर कुछ बूँदें गिरीं, लेकिन जिससे यह कहा गया था कि तुम्हारी जान ही लेली जायगी उससे तो एक बूँद भी नहीं

गिरी । क्योंकि उसने मन, वचन और काया की एकाग्रता से काम किया था; अर्थात् जैसा भरा पुरा कटोरा उसने राजा के पास से उठाया था वैसा ही पहुँचा दिया । इसलिये राजा देखकर चकित हुआ कि अहो ! देव से भी दुर्लभ कार्य जीविताशा से हो सकता है । इसलिये निश्चय से जीविताशा को नाश करनेवाले पुरुष महापापी है, और अभयदान देनेवाला महादानी शास्त्र में कहा गया है—

यथा—

“महतामपि दानानां कालेन हीयते फलम् ।

भीताभयप्रदानस्य क्षय एव न विद्यते” ॥ १ ॥

“कपिलानां सहस्राणि यो विप्रेभ्यः प्रयच्छति ।

एकस्य जीवितं दद्याद् न च तुल्यं युधिष्ठिर ! ” ॥२॥

“दत्तमिष्टं तपस्तप्तं तीर्थसेवा तथा श्रुतम् ।

सर्वेऽप्यभयदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ” ॥ ३ ॥

“नातो भूयस्तपो धर्मः कश्चिदन्योऽस्ति भूतले ।

प्राणिनां भयभीतानामभयं यत् प्रदीयते” ॥ ४ ॥

“वरमेकस्य सत्त्वस्य दत्ता ह्यभयदक्षिणा ।

न तु विप्रसहस्रेभ्यो गोसहस्रमलङ्कृतम् ” ॥५॥

“हेमधेनुधरादीनां दातारः सुलभा भुवि ।

दुर्लभः पुरुषो लोके यः प्राणिष्वभयप्रदः ” ॥६॥

“यथा मे न प्रियां मृत्युः सर्वेषां प्राणिनां तथा ।

तस्माद् मृत्युभयान्नित्यं त्रातव्याः प्राणिनो बुधैः ” ॥७॥

“एकतः ऋतवः सर्वे समग्रवरदक्षिणाः ।

एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम् ” ॥ ८ ॥

“एकतः काञ्चनो मेरुर्वहुरद्वा वसुन्धरा ।

एकतो भयभीतस्य प्राणिणः प्राणरक्षणम् ” ॥ ९ ॥

भावार्थ—बड़े से भी बड़े दान का फल कुछ काल में क्षीण हो जाता है, किन्तु डरे हुए प्राणी को अभय देने से जो फल उत्पन्न होता

है उसका क्षय नहीं होता, अर्थात् अमयदान से मोक्ष होता है । १

ब्राह्मणों को हजारों कपिल गौएँ दी जावें और यदि केवल एक जीव को भी अमयदान दिया जाय तो बराबर ही फल नहीं है बल्कि अमयदान का फल अधिक है । २

इष्ट वस्तु के दान से, तपस्या करने से, तीर्थसेवा से या शाल के पढ़ने से, जो पुण्य होता है वह पुण्य अमयदान के सोलहवें भाग के सदृश भी नहीं है । ३

मयर्मात प्राणी को जो अमयदान दिया जाता है उसमें बढ़कर पृथ्वी पर तब अधिक नहीं है अर्थात् सर्वोत्तम अमयदान ही है । ४

एक जीव को अमयदान न्य दक्षिणा देना श्रेष्ठ है, किन्तु मृषित भी हजारों गौओं का दान देना वैसा श्रेष्ठ नहीं है । ५

हम (मुषण), घेनु (गौ) तथा पृथ्वी के दाता संसार में अनेक हैं किन्तु प्राणियों को अमय देने वाले जगत् में तुल्य हैं । ६

हे अर्जुन ! जैसे सुझे मृत्यु प्रिय नहीं है वैसे ही प्राणिमात्र को मृत्यु अच्छी नहीं लगती अतएव मृत्यु के मय से प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए । ७

एक तरफ समग्रदक्षिणावाली यज्ञ और दूसरी तरफ मयर्मात प्राणी की प्राणरक्षाकरना बराबर है । ८

तथा एक तरफ मुषण का सुनेहदान, तथा बहु रक्वाली पृथ्वी का दान रक्ता जाय और एक तरफ केवल प्राणी की रक्षा रक्ती जाय तो समान ही है । ९

विवेचन—पूर्वोक्त श्लोक जो पुराणों के हैं पाठकों ने उनको देखा होगा कि इनमें अमयदान की ही प्रशंसा की है, जैनशास्त्र में तो अमयदान को मोक्ष का कारण माना है । उसी रीति से पुराणों में भी लिखा है, तथापि किन्तु ही लोग शास्त्रमोहित होकर अमयदान की महिमा को नहीं समझते । यहाँ पर प्रथम श्लोक सब दानों में अमय दानको ही श्रेष्ठ बतलाता है और अमयदान देने में द्रव्यका भी

कुछ खर्च नहीं पड़ता है, केवल मन में दयाभाव रखकर छोटे बड़े सभी जीवों की यथाशक्ति रक्षा तथा क्रूरता का सर्वथा त्याग करना चाहिये; और अपने सुख के लिये अन्य जीवोंका प्राण लेना किसीको उचित नहीं है, इसीसे लिखा हुआ है कि—

“न गोप्रदानं न महीप्रदानं नाऽन्नप्रदानं हि तथा प्रधानम् ।

यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम्” ॥२९८॥

पृ ७७ पञ्चतन्त्र ।

अर्थात् विद्वान् लोग संपूर्ण दानों में जैसा अभयदान को उत्तम मानते हैं वैसा गोदान, पृथ्वीदान और अन्नदान आदि किसी को भी प्रधान नहीं मानते हैं ।

कितने ही अज्ञानी जीव विना विचारे ही मच्छर, डाँस खटमल, जूँआ, वगैरह छोटे २ जीवों को स्वभाव से ही मार डालते हैं, और बहुत से तो घोड़े के बाल की मूरछल से, या हाथ से, या घर में धूँआँ करके, या गरम जल से खटमल आदि जीवों को मारते हैं, परन्तु यदि कोई उनको समझावे तो वे ऊटपटांग जवाब देकर अपना बचाव करने का यत्न करते हैं, लेकिन वस्तुतः वैसे जीवों के मारने से भी बहुत पाप होता है । इस विषय को दृढ़ करानेवाला वाराह पुराण का श्लोक देखिये—

“ जरायुजाण्डजोद्भिज्जस्वेदजानि कदाचन ।

ये न हिंसन्ति भूतानि शुद्धात्मानो दयापराः” ॥ ८ ॥

१३२ अ ५३२ पृ.

भावार्थ—मनुष्य, गौ, भैस वकरी वगैरह और अण्डज अर्थात् सब प्रकार के पक्षी, उद्भिज्ज याने वनस्पति, और स्वेदज याने खटमल, मच्छर, डाँस, जूँआँ, लीख वगैरह समस्त जन्तुओं की जो पुरुष हिंसा नहीं करते हैं वेही शुद्धात्मा, और दयापरायण सर्वोत्तम है ।

विवेचन—पूर्वोक्त श्लोक से स्पष्ट हुआ कि समस्त जीवों की रक्षा करनी चाहिये, याने किसी जीव को किसी प्रकार से भी मारना उचित नहीं है ।

खटमल, मच्छर, मच्छी, जूआँ वगैरह पहिले तो मनुष्य के पसीने और गन्दगी से पैदा होते है, किन्तु पीछे वे अपने २ पूर्वजों के खून से उत्पन्न होते है । परन्तु जहां कहीं वैसे जीव मरते है वहां पर पहिले से दूने बल्कि चौगुने उत्पन्न होते है अत एव उनको मारना लाभदायक न होकर हानिकारकही है; यद्यपि वे जीव अपना २ काल पूरा करके स्वयं मरेंगे तथापि उनको मारना नहीं चाहिये क्योंकि अभयदान जैसा उत्तम है वैसा कोई भी उत्तम धर्म नहीं है यह बात पूर्वोक्त श्लोकसे स्पष्ट हो ही चुकी है । इसलिये जब कोई जीव अपने शरीर पर बैठे तो उसे कपड़े से सहज में हटादेना चाहिए; और जमीन को भी जहाँ तक बनसके देख देख कर चलना चाहिए जिससे कोई जीव मरने न पावे । यदि किसी को द्रव्य कुछ भी खर्च न करके धर्म करने की इच्छा हो तो उसके लिये अहिंसा धर्म के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं है । इसीसे श्रीमद्भगवद्गीता में भी दैवीसम्पत् और आसुरीसंपत् जो दिखलाई गई है, उनमें दैवी-सम्पत् तो मोक्ष को देनेवाली है, और आसुरीसम्पत् केवल दुर्गति का कारण है । और दैवीसंपत् में भी केवल अभयदान को ही मुख्य रक्खा है ।

यथा—

“ अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ” ॥ १ ॥

“ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्तवं मार्दवं ह्रीरचापलम् ” ॥ २ ॥

“ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नाऽतिमानता ।

‘भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत !’ ॥ ३ ॥

गीता अ० १६

भावार्थ—अभय याने भयका अभाव १, सत्त्वसंशुद्धि चित्तसंशुद्धि, अर्थात् चित्तप्रसन्नता २, आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपाय में श्रद्धा ही ज्ञानयोगव्यवस्थिति है ३, और अपने भोगने की वस्तु में से यथोचित अभ्यागत को देने को दान कहते हैं ४, बाह्येन्द्रियों को नियम में रखना ही दम कहलाता है ५, तथा ईश्वर की पूजा रूप ही यज्ञ है क्योंकि यज्ञ का यह अर्थ भगवद्गीता के पृ. २७ कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में २३ वाँ श्लोक पहिलेही लिख दिया है, कि—“यज्ञाया-चरतः कर्म”—अर्थात् ईश्वरार्थ कर्म के स्वीकार से ।

अत एव यहां पर भी वही अर्थ घटता है, क्योंकि अन्य यज्ञ के हिंसामय होने से अभय, अहिंसा, दया तीनों वस्तु पृथक् २ दिखलाई गई हैं । यदि यहां पर हिंसामय यज्ञ का कथन होता तो दैवीसंपत् के कारण जो छब्बीस गिनाये है, उनमें परस्पर विरुद्ध भाव हो जाता, अत एव यज्ञ का अर्थ यहाँ पर ईश्वर पूजा से अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता है ६, तत्त्वविद्या का पाठ ही स्वाध्याय है ७; तप तीन प्रकार का है, वह पृ. ९४ अध्याय १७ वें में कहा है कि—

“देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ” ॥१४॥

“अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ” ॥१५॥

“मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतद् तपो मानसमुच्यते ” ॥१६॥

भावार्थ— देव, ब्राह्मण, गुरु और पाण्डित की पूजा, शौच-अन्तःकरणशुद्धि, सरलता ब्रह्मचर्य, अहिंसारूपही शरीर का तप

कहलाता है । उद्वेग को नहीं करनेवाला वाक्य, सत्य, प्रिय, हित-कर और स्वाध्याय तथा अभ्यास यह वाङ्मय तप है । मनकी प्रसन्नता, चन्द्रमाके तुल्य शीतलता, मौन होना, आत्मनिग्रह, और भाव की शुद्धता मानस तप कहलाता है । इस शारीरिक, मानसिक, वाचिक रूपसे तीन प्रकार का तप लिखा है ८, अवक्रता को आर्जव कहते हैं ९, जिसमें पर की पीड़ा किसी प्रकार की न हो उसे अहिंसा कहते हैं १०, यथार्थ भाषण को सत्य कहते हैं ११, अत्यन्त ताड़न किये जाने पर भी मन में कुछ भी व्याकुलता नहीं आना अक्रोध है १२, उदार भावसे दान देनाही त्याग है १३, मन में उत्पन्न हुए विकल्पों को दबा देनाही शान्ति है १४, परोक्ष में दूसरे के दोषों को नहीं कहना ही अपैशुन्य है १५, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चार पदार्थों में से किसी पुरुषार्थ के साधन करनेकी सामर्थ्यरहित—दीन जीवों में अनुकम्पा करने को दया कहते हैं, १६, विषय में लालच के त्याग को अलोलुपता माना है १७, अक्रूरता अर्थात् सरलता को मार्दव कहते हैं १८, अकार्य करने में लोकलज्जा को ड्री कहते हैं १९, अनर्थदण्डवाली क्रियासे मुक्त होकर स्थिर भाव रखना ही अचपलता है २० दुःखावस्था में अपनी सत्ता से नहीं हटना अर्थात् गम्भीरताही तेज कहलाती है । २१, शक्ति रहने पर भी किसीसे व्यर्थ परिभवादि पाने पर क्रोध नहीं करनेको क्षमा कहते हैं २३, दुःखों की परम्परा आनेपर भी स्थिरता (दृढ़ता) रखना धृति कहलाती है २३, आभ्यन्तर और बाह्य पवित्रता को शौच माना है २४, किसी की बुराई करने की इच्छा नहीं करना ही अद्रोह है २५, अहंकाररहितता को नातिमानता कहते हैं २६ ।

भावि कल्याणवान् पुरुष कोही दैवी संपत् होती है; प्रायः दम्भ, मद, अहङ्कार, क्रोध, निष्ठुरता, तथा अज्ञानादि आसुरीसंपत् नरक-गामी जीवको होती है; सर्वोत्तम दैवीसंपत् दिखाई है; उसमें अभयदानादि छब्बीस गुणोंका वर्णन देखनेसे सिद्ध होता है कि कदापि हिंसा से

धर्म नहीं है। देखिये—मनुस्मृति, वाराहपुराण, कूर्मपुराणादि में तो हिंसा करनेवाले को प्रायश्चित्त दिखलाया है; इसलिये भन्यजीवों को उस प्रायश्चित्त का भागी नहीं बननाही श्रेष्ठ है; क्योंकि “ प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ” अर्थात् कीचड़ में पहिले पैर डालकर पीछे धोने की अपेक्षा उसमें पहिलेही से पैर नहीं डालना अच्छा है। यदि ऐसे महावाक्यों पर ध्यान दिया जाय तो कदापि प्रायश्चित्त लेने का समय ही न आवे। मनुस्मृति के ११ वें अध्याय का ४४८ वाँ पृष्ठ देखिये।

यथा—

“ अभोज्यानां तु भुक्त्वाऽन्नं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च।

जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान् पिवेत्” ॥१५९॥

भावार्थ—जिसका अन्न खानेलायक नहीं है जैसे चमार आदि शूद्रों का अन्न खाकर, और स्त्री तथा शूद्र का जूँटा खाकर, तथा सर्वदा अभक्ष्यही याने नहीं खानेलायक मांस को खाकर शुद्ध होना अगर चाहे तो सात दिन तक यव का पानी पीना चाहिये; इत्यादि।

विवेचन—प्रायश्चित्त विधि में मांस खानेसे प्रायश्चित्त भी दिखलाया है, तो भी हिंसा से लोग क्यों नहीं डरते हैं? विधिविहित मांस खाने में दोष न माननेवालों को देखना चाहिये कि श्रीमद्भागवतीय चतुर्थ स्कन्ध के २५ वे अध्याय में—प्राचीनवर्हिष राजा ने नारद जी से पूछा कि मेरा मन स्थिर क्यों नहीं रहता है? तब नारदजी ने योगबल से देखकर कहा कि आपने जो प्राणियों के वधवाले बहुत से यज्ञ किये हैं इसीसे आपका चित्त स्थिर नहीं रहता है। ऐसा कहकर योगबल से राजा को यज्ञमें मारे हुए पशुओंका दृश्य आकाश में दिखलाया और नारदजी ने कहा कि हे राजन् ! दयारहित होकर हजारों पशुओं को यज्ञ में जो तुमने मारा है वे पशु इस समय क्रुद्ध होकर यह रास्ता देख रहे हैं कि राजा मरकर कब आवे और

हम लोग उसको अस्त्रों से काट कर कव अपना बदला चुकावें।
देखिये श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में—

“भो भोः! प्रजापते! राजन्! पशून् पश्य त्वयाऽध्वरे ।

संज्ञापितान् जीवसङ्घान् निर्घृणेन सहस्रशः ” ॥ ७ ॥

“एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव ।

संपरेतमयैः कूटैश्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ” ॥ ८ ॥

इन दोनों श्लोकों का भावार्थ ऊपरही स्पष्ट हो चुका है ।

इसके बाद प्राचीनबर्हिष राजा भयभीत होकर नारद के चरण पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे भगवन् ! अब मैं हिंसा नहीं करूंगा किन्तु मेरा उद्धार कीजिये । तब नारदजी ने ईश्वरभजनादि शुभकृत्यों को बतला कर उसका उद्धार किया; यह बात श्रीमद्भागवत में लिखी है । इस स्थल में विशेष न लिखकर श्रीमद्भागवत के चतुर्थस्कन्ध को देखजाने का मैं अनुरोध करता हूँ । यज्ञ में हिंसा करने का निषेध महा-भारत शान्तिपर्व के मोक्षाधिकार में अध्याय २७३ पृष्ठ १५४ में लिखा है ।

यथा—

“तस्य तेनानुभावेन मृगहिंसाऽऽत्मनस्तदा ।

तपो महत् समुच्छिन्नं तस्माद् हिंसा न यज्ञिया” ॥१८॥

“अहिंसा सकलो धर्मोऽहिंसाधर्मस्तथा हितः ।

सत्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि नो धर्मः सत्यवादिनाम्” ॥२०॥

भावार्थ— स्वर्ग के अनुभाव से एक मुनि ने मृग की हिंसा की, तब उस मुनि का जन्मभर का बड़ा भारी तप नष्ट होगया, अतएव हिंसा से यज्ञ भी हितकर नहीं है । वस्तुतः अहिंसा ही सकल धर्म है, और अहिंसा धर्म ही सच्चा हितकर है, मैं तुम से सत्य कहता हूँ कि सत्यवादी पुरुष का हिंसा करनेका धर्म नहीं है ।

विवेचन—पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में लिखा है कि किमी मुनि के आगे मृग का रूप धर कर धर्म आया । तब उसको मुनि ने स्वर्ग के

लिये मारा, इस कारण मे शक्ति का भय तब नष्ट होगया; तो विचार करने की बात है कि जब ऐसे शक्ति का भी तब विना करने मे नष्ट होगया तब विचार उन लोगों का क्या हाल होगा कि जिन्होंने कभी तब का वेगनाश भी नहीं किया है वह सामाजिक गुण में तस्यट वदनिमित्त विना करने में तभी यदि को फलमें । यही विचारकेना चालिये । तथा देखिये महाभारत शान्तिपर्व के गो.अध्याय-धिकार अध्याय १६५, पृष्ठ १७१ में यज्ञ का नष्ट ही निषेध किया है-

यथा—

“द्विद्वम्भृणं वृषं दृष्ट्वा विल्लापं च गवां भृशम् ।

गोग्रहे यज्ञराट्स्य प्रेक्षमाणः स पार्थिवः” ॥ २ ॥

“स्वस्ति गोभ्यांस्स्तु लोकेषु ततो निर्वचनं जनम् ।

हिंसायां हि प्रवृत्तायामार्गीरिणा तु कल्पिता” ॥ ३ ॥

“अव्यवस्थितपर्यादिसिद्धेर्नास्ति कर्त्तरः ।

संशयान्मभिरव्यक्तार्हिमा मनुवर्तिना” ॥ ४ ॥

“सर्वकर्मस्वर्हिना हि धर्मात्मा मनुवर्त्तमान्

कामकाराद् विहिंसन्ति वदित्वेथान पशुजरः” ॥ ५ ॥

“तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः नृक्ष्मो विजानता ।

अहिंसा सर्वभृतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता” ॥ ६ ॥

भावार्थ—प्रथम श्लोक में द्विज शरीरवाले वृषभ का और गौओं का विल्लाप देखकर, तथा मारने के लिये यज्ञवाट में ब्राह्मणों को देख कर विचक्षण राजा ने निर्वचन किया कि गौओं का कल्याण हो, और उसके बाद जो जो अहिंसा धर्म के नाशक हैं उनलोगों को आगे के श्लोक से आर्शीर्वाद दिया कि मर्यादासहित महाभूर्प नास्तिकशिरो-मणि संशयवान् अव्यक्तसिद्धान्तानुयायी पुरुषों ने ही हिंसा को मान दिया है, और तुच्छ दृच्छा पूर्ण करने के लिये पशुओं को मनुष्य मारते हैं किन्तु धर्मशास्त्र के विचार से यह उचित नहीं है, क्योंकि धर्मात्मा मनुजी सभी कर्मोंमें अहिंसाही करने को कहते हैं,

इस कारण से सुद्धन धर्म को प्रमाण से करना । तत्त्वज्ञानों ने भी सर्वसूत्रधर्म से अहिंसाही बड़ी नहीं है ।

विवेचन—राजा विच्छ्रु शत्रिय होकर भी हिंसा को ब्रह्म का प्रथम हुद्द, किन्तु क्योंकि गुरु शत्रुओं को कुछ भी डर नहीं लगता, यह भी एक आश्चर्य ही है । किन्तु ही गुरु (गैदार), जो हिंसा करने में बड़ी बहादुरी मानते हैं, और कहते हैं कि हिंसा करने से हिंसकों की संख्या बढ़ती है जिन्में युद्धादि कार्य में विशेष विजय होने की संभावना है, किन्तु उन लोगों की यह कल्पना निर्मूल है: क्योंकि देखिये राजा विच्छ्रु और प्राचीनदर्शन ने यदि हिंसा का त्याग किया और हिंसाकर्त की निन्दा भी की, तो क्या उनका राज्य नष्ट हो गया ? अथवा वे लोग लड़ाई में अमल हो गये ? या वे शत्रुओं से हार गये ? और शत्रुगण लोग श्राद्ध में, महुर्रके में, यज्ञ में येष्ट नांस स्नान से क्या विजयी हुए ? अथवा लड़ाई में मत्तलता प्राप्त की ? मैं तो यही कहता हूँ कि वे लोग गुरु को बहाकर बगि़र हो जायें और वरिद्ध होकर फिर कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकेंगे । राजाने हिंसा करने वाले शत्रुओं को आर्शावद् कैसा दिया ? यह बात चतुर्थ स्कंध के अङ्गपर्यं से ऊपर ही कही हुई है किन्तु मैं उसको कुछ विस्तार करनेका भी प्रयत्न करता हूँ—

हिंसाकर्त से निद्र कर्म को नयादा कहते हैं—उनको स्थिर यत्न व्यवस्थित नहीं रखनेवाले ही अल्पवस्थितनयादागले पुण्य कहे जाते हैं: उसका कारण केवल मूर्खता ही है, अत एव दूमरा विवेक 'वि-मूर्खः' दिया है, किन्तु यह भी विना कारण नहीं कहा जा सकता, इसलिये 'नास्तिकैः' यह विवेकन दिया है । धर्म-अकारहित गुरु को नास्तिक कहते हैं, अत एव 'मंदयत्ननिः' यह भी विवेकन दिया है और मंदयत्नक वही गुरु है जो आत्मा और देह में कभी असेद बुद्धि और कभी मेद बुद्धि करना हो । तथा अन्ना यदि निद्र है तो कर्ता है या अकर्ता, और यदि धर्म है तो वह एक है या

अनेक, तथा यदि एक है तो सङ्गवान् है या असङ्ग, इत्यादि संशय-
वाले के लिये ही “संशयात्माभिः” यह कहागया है, और ‘अव्यक्तैः’
यह जो विशेषण दिया है उसका तात्पर्य यह है कि यज्ञादि कर्मों से ही
अपनी ख्याति (प्रसिद्धि) चाहनेवाला पुरुष हिंसा को श्रेष्ठ मानता है ।

स्पष्ट रूप से ऐसे श्लोकों के रहने पर भी लोग हिंसाकरना बन्द
नहीं करते, यह बड़ा ही आश्चर्य है; अथवा इन्हें महामोह के पाश में
फँसा हुआ समझना चाहिये । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि यज्ञ के
उद्देश से भी कदापि मांस खाना उचित नहीं है ।

यही बात महाभारत शान्तिपर्व के २६५ वें अध्याय में भी लिखी है कि—

“यदि यज्ञांश्च वृक्षांश्च यूपांश्चोद्दिश्य मानवाः ।

वृथा मांसं न खादन्ति, नैप धर्मः प्रशस्यते” ॥ ८ ॥

भावार्थ— यज्ञपरायण जो मनुष्य [केवल यज्ञों का, वृक्षों का
और यज्ञस्तम्भों का उद्देश्य करके मांस खाने को छोड़ कर) वृथा मांस
नहीं खाते, यह धर्म भी प्रशस्त नहीं है, अर्थात् विधिविहित मांस
का खाना भी उचित नहीं है । तथा हिंसा का निषेध भी इसी अध्याय
में दिखलाया है ।

यथा—

“सुरां मत्स्यान् मधु मांसमासवं कृसरौदनम् ।

धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येतद् नैतद् वेदेषु कल्पितम्” ॥ ९ ॥

भावार्थ— मदिरापान, मत्स्यादन, मधु-मांसभोजन, आसव
याने मद्य का पान, और तिलमिश्रित भात का भोजन, ये सब धूर्तों
से ही कल्पित हुआ है किन्तु वेदकल्पित नहीं है ।

विवेचन—व्यासर्षि ने स्वयं यह कहा कि वेद में हिंसा नहीं है
और यदि है तो धूर्तों ने ही अर्थ का अनर्थ कर डाला है, यह बात इसी
नवम श्लोक से स्पष्ट होती है । फिर भी हिंसा करनेवाले पुरुषों ने क्यों
सब जगह बलिदान की बहुत महिमा बढ़ाई है ? और वे केवल यज्ञ में ही

पशु की हिंसा करते हों सो भी नहीं, किन्तु यज्ञस्तम्भ के लिये जिस वृक्ष को प्रसन्न करते हैं उसके पहिले भी बलिदान करते है फिर उसका मांस यज्ञ के करानेवाले खाते है और वृक्ष का जो यूप बनता है उसको जब यज्ञमण्डप में स्थापन करते है उस समय भी बलिदान देते है । यज्ञाश्रित वृक्ष का और यज्ञस्तम्भ का उद्देश करके जो मांस खाते हैं वह पूर्वोक्त आठवें श्लोक से स्पष्ट मालूम होता है, किन्तु व्यासर्षि ने तो इसको भी स्वीकार नहीं किया, बल्कि तिरस्कार ही किया है ।

जिस देव के समीप बलिदान दिया जाता है उसका भजन (पूजन) सुरापानतुल्य है, अर्थात् उसकी सेवा सुरापान के समान पाप का कारण है । यही बात पद्मपुराण (आनन्दाश्रम सीरीज़ में मुद्रित) के अध्याय २८० पृष्ठ १९०८ में कही है कि—

“यक्षाणां च पिशाचानां मद्यमांसभुजां तथा ।

दिवौकसां तु भजनं सुरापानसमं स्मृतम्” ॥ ९५ ॥

भावार्थ—यक्ष, पिशाच और मद्यमांसप्रिय देवताओं का भजन सुरापान के समान ही कहा है, अर्थात् सुरापान करने से जो पापबन्ध होता है वही पापबन्ध इन देवताओं के भजन पूजन से भी होता है । फिर भी जो लोग श्राद्ध में मांस खाने का आग्रह करते है उनलोगों ने प्रायः श्रीमद्भागवत के ७ वें स्कन्ध का १५ वां अध्याय नहीं देखा है, यदि देखा होता तो कभी आग्रह नहीं करते । देखिये उसके श्लोक ७ वें और ११ वें को—

“न दद्यादामिपं श्राद्धे न चाद्याद् धर्मतत्त्ववित् ।

मुन्यन्नैः स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुर्हंसया” ॥ ७ ॥

“तस्माद्देवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित् ।

संतुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः” ॥ ११ ॥

भावार्थ—धर्मतत्त्व के ज्ञाता पुरुष ने श्राद्ध में न किसी को

मांस देते हैं और न खाते हैं, क्योंकि मुनियों के खानेयोग्य व्रीही आदि शुद्ध अन्न से पितरों को जैसी परम प्रीति होती है, वैसी पशु की हिंसा से नहीं होती । ११ वें श्लोक के पहिले अर्थात् दशवें श्लोक में कहा है कि यज्ञ करनेवाले को देखकर पशु डरते हैं कि यह हत्यारा अज्ञानी हमलोगों को मारेगा, क्योंकि यह परप्राण से स्वप्राण का पोषण करनेवाला है । इत्यादि अधिकार के परामर्श करने के लिये ११ वें श्लोक में 'तस्मात्' पद दिया है; इसी कारण से धर्मज्ञ पुरुष दैविक कर्म के योग्य अन्न नीवारादि से, संतुष्ट होकर निरन्तर नैमित्तिक क्रियाओं को करें, परन्तु कोई पुरुष हिंसा कदापि न करे । यदि कोई पुरुष पूर्वोक्त वाक्यपर यह शङ्का करे कि सत्ययुग में ही यज्ञ, श्राद्ध और वलिदान में मांस खानेका निषेध है; किन्तु कलियुग में तो पूर्वोक्त कर्मानन्तर मांस खानाही चाहिये, तो इसके उत्तर में मैं यह कहता हूँ कि सर्वजनप्रसिद्ध ब्रह्मवैवर्त पुराण और पाराशर स्मृति में कहे हुए कलियुग में बहुत से कार्य उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बातके प्रतिपादक श्लोक उसमें ऐसे लिखे हैं ।

यथा—

“अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपैतृकम् ।

देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत्” ॥ १ ॥

तथा बृहन्नारदीय पुराण के अध्याय १२ में भी लिखा है कि—

“ देवरेण सुतोत्पत्तिर्मधुपर्के पशोर्वधः ।

मांसदानं तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा” ॥१॥

इमान् धर्मान् कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः ” ॥

भावार्थ—अश्वमेध, गोमेध, संन्यासी होना, श्राद्धसंबन्धिमांस-भोजन, और देवर से पुत्र की उत्पात्ति, ये पांचों बातें कलियुग में वर्जित हैं । इसी तरह नारदीय पुराण में कहा है कि—कलियुग में देवर से पुत्र की उत्पात्ति, मधुपर्क में पशु का वध, श्राद्ध में मांस का दान और वानप्रस्थाश्रम नहीं करना चाहिये ।

और बृहत्पराशरसंहिता के ५ वें अध्याय में इस तरह मांस का निषेध लिखा है कि—

“ यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मांसेन तर्पयेत् पितृन् ।
सोऽविद्वान् चन्दनं दग्ध्वा कुर्यादङ्गारविक्रयम् ॥ १ ॥
क्षिप्त्वा कूपे तथा किञ्चित् वाल आदातुमिच्छति ।
पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्धकृत् तथा ” ॥ २ ॥

भावार्थ—जो पुरुष प्राणी का वध करके मांस से पितरों की तृप्ति करना चाहता है वह मूर्ख चन्दन को जलाकर कोयलों को बेचना चाहता है, अर्थात् उत्तम वस्तु को जला देता है । और किसी पदार्थ को कूँ में छोड़ कर फिर उसे लेनेकी इच्छा से वालक जैसे अज्ञान के वश स्वयं कूँ में गिर पड़ता है, वैसेही मांस से श्राद्ध करनेवाले अज्ञान के प्रभाव से दुर्गति को पाते हैं ।

यज्ञ में हिंसा करने से धर्म नष्ट होता है इस बात को सूचन करनेवाला महाभारत (वेङ्कटेश्वर प्रेस में छपा हुआ) आश्वमेधिक पर्व ९१ अध्याय पृ० ६३ में लिखा है—

यथा—

“ आलम्भसमयेऽप्यस्मिन् गृहीतेषु पशुष्वथ ।
महर्षयो महाराज ! बभूवुः कृपयाऽन्विताः ” ॥११॥
“ ततो दीनान् पशून् दृष्ट्वा ऋपयस्ते तपोधनाः ।
ऊचुः शक्रं समागम्य नायं यज्ञविधिः शुभः ” ॥१२॥
“ अपरिज्ञानमेतत्ते महान्तं धर्माभिच्छतः ।
न हि यज्ञे पशुगणा विधिदृष्टाः पुरन्दर ! ” ॥१३॥
“ धर्मोपघातकस्त्वेप समारम्भस्तव प्रभो ! ।
नायं धर्मकृतो यज्ञो न हिंसा धर्म उच्यते ” ॥१४॥
“ विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मस्तेषु महान् भवेत् ।
यज्ञवीजैः सहस्राक्ष ! त्रिवर्षपरमोपितैः ” ॥१६॥

भावार्थ—हे युधिष्ठिर ! यज्ञ मण्डप में अध्वर्यु लोगों से वध समय में पशुओं के ग्रहण करने पर ऋषि लोग कृपावन्त हुए । उसी-समय तीन पशुओं को देख करके तपोधन—ऋषिलोग इन्द्र के पास जाकर बोले कि—हे बड़े धर्म की इच्छा करने वाले इन्द्र ! यह यज्ञ-विधि शुभ नहीं है, किन्तु तेरा अज्ञानमात्र है; क्योंकि यज्ञ में पशूसमूह विधिदृष्ट नहीं है, बल्कि यह तेरा समारम्भ धर्म का घात करनेवाला है; इस यज्ञ से धर्म नहीं होगा, क्योंकि हिंसा, धर्म नहीं गिना जाता है । इसीसे केवल विधि से दिखलाये हुए यदि तीन वर्ष के पुराने बीज से यज्ञ करोगे तो विशेष धर्म होगा ।

विवेचन—पूर्वोक्त श्लोकों के बाद ऋषि और देवताओं के साथ यज्ञ विषयक वाद-विवादवाला हिंसामिश्रितधर्मनिन्दा नाम का संपूर्ण अध्याय है । जो राजा वसु ने देवताओं का पक्ष लेकर अर्थ का अनर्थ किया इसलिये वह नरक में गया, यह बात सर्वजनविदित है । इसी प्रकार का अधिकार महाभारत शान्तिपर्व मोक्षाधिकार अध्याय ३३५ पत्र २४३ में भी है । यथा—

युधिष्ठिर उवाच—

“ यदा भागवतोऽत्यर्थमासीद् राजा महान् वसुः ।
किमर्थं स परिभ्रष्टो विवेश विवरं भुवः ? ” ॥ १ ॥

भीष्म उवाच—

“ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।
ऋषीणां चैव संवादं त्रिदशानां च भारत ! ” ॥ २ ॥

“ अजेन यष्टव्यमिति प्राहुर्देवा द्विजोत्तमान् ।
स च च्छागोऽप्यजो ज्ञेयो नान्यः पशुरिति स्थितिः ” ॥ ३ ॥

ऋषय ऊचुः—

“ वीजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः ।
अजसंज्ञानि बीजानि च्छागं नो हन्तुमर्हथ ” ॥ ४ ॥

“ नैप धर्मः सतां देवाः ! यत्र वध्येत वै पशुः ।

इदं कृतयुगं श्रेष्ठं कथं वध्येत वै पशुः ? ” ॥ ५ ॥

भीष्म उवाच—

“ तेषां संबदतामेवमृषीणां विवुधैः सह ।

मार्गागतो नृपश्रेष्ठस्तं देशं प्राप्तवान् वसुः ” ॥ ६ ॥

“ अन्तरिक्षचरः श्रीमान् समग्रवलवाहनः ।

तं दृष्ट्वा सहसाऽऽयान्तं वसुं ते त्वन्तरिक्षगम् ” ॥ ७ ॥

“ ऊचुर्द्विजातयो देवानेष च्छेत्स्यति संशयम् ।

यज्वा दानपतिः श्रेष्ठः सर्वभूतहितप्रियः ” ॥ ८ ॥

“ कथांस्विदन्यथा ब्रूयादेप वाक्यं महान् वसुः ? ।

एवं ते संविदं कृत्वा विवुधा ऋषयस्तथा ” ॥ ९ ॥

“ अपृच्छन् सहिताऽभ्येत्य वसुं राजानमन्तिक्रात् ।

भोः ! राजन् ! केन यष्टव्यमजेनाहोस्विदौषधैः ? ” ॥ १० ॥

“ एतन्नः संशयं छिन्धि प्रमाणं नो भवान् मतः ।

स तान् कृताञ्जलिर्भूत्वा परिपप्रच्छ वै वसुः ” ॥ ११ ॥

“ कस्य वै क्रो मतः कामो ब्रूत सत्यं द्विजोत्तमाः ! ।

धान्यैर्यष्टव्यमित्येव पक्षोऽस्माकं नराधिप ! ” ॥ १२ ॥

“ देवानां तु पशुः पक्षो मतो राजन् ! वदस्व नः ।

भीष्म उवाच—

देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसंश्रयात् ” ॥ १३ ॥

“ छागेनाजेन यष्टव्यमेवमुक्तं वचस्तदा ।

कुपितास्ते ततः सर्वे मुनयः सूर्यवर्चसः ” ॥ १४ ॥

“ ऊचुर्वसुं विमानस्थं देवपक्षार्थवादिनम् ।

सुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मात्तस्माद् दिवः पत ” ॥ १५ ॥

भावार्थ—युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि—भगवान्

का अत्यन्त भक्त राजा वसु परिभ्रष्ट होकर भूमितल को क्यों प्राप्त हुआ?

इसके उत्तर में भीष्मपितामह ने कहा कि विवादकथावाला पुराना इतिहास यहा तुमसे मै कहता हूँ— कि हे भारत ! ऋषि लोगों का और देवताओं का विवाद इस तरह हुआ कि देवता उत्तम ब्राह्मणों से कहने लगे कि अज से ही यज्ञ करना और अज से वकरा ही लेना दूसरे पशु को ग्रहण नहीं करना, किन्तु ऋषियों ने अपना पक्ष प्रकट किया कि यज्ञ में वीजादि से होम करना, क्योंकि यह वैदिकी श्रुति, अज से वीजही का ग्रहण करती है, इसलिये वकरे का मारना अच्छा नहीं है । हे देवताओ ! यज्ञ में वकरे की हिंसा करना सत्-पुरुषों का धर्म नहीं है, क्योंकि सब युगों से श्रेष्ठ यह सत्ययुग है, इस में पशु को कैसे मारना उचित है ?, इस तरह देवताओंके साथ जब विवाद चलरहा था उसी समय आकाश में चलनेवाला लक्ष्मीवान् समस्त सैन्य वाहनयुक्त श्रेष्ठ राजा वसु उस देश को प्राप्त हुआ, जहा देवता और ऋषि लोग विवाद कर रहे थे । सत्य के प्रभाव से आकाश में रहनेवाले राजा वसु को देखकर ऋषियोंने देवताओं से कहा—कि राजा वसु यज्ञविधि को करानेवाला दानेश्वर सब प्राणियों को हितकर हमलोगों के संशय का छेदन करेगा, क्योंकि यह राजा वसु कभी अन्यथा वाक्य नहीं बोलेगा । ऐसा विचार कर एकत्रित हुए देवता और ऋषि लोग राजा वसु के पास आकर कहने लगे कि—हे राजन् ! किस पदार्थ से यज्ञक्रिया करनी चाहिए ?, अज से या अन्न से ?, हम लोग आपको इस विषय में प्रमाण मानते हैं, अत-एव आप हमलोगों के सशय का-निवारण कीजिए । तदनन्तर उन सत्पुरुषों को हाथ जोड के राजा वसु बोला कि—हे ऋषि वर ! आप लोग सत्य कहिये कि किसको कौन मत अभीष्ट है ? ऋषियोंने कहा कि धान्योंसे ही यज्ञ करनेका तो हमलोगों का पक्ष है, और देवताओं का पक्ष पशुकी हिंसा करके यज्ञ करनेका है । अत एव हे राजन् ! आप हमलोगों के इस संशय को हटाइए । तदनन्तर देवताओं के मत को जानकर वसु ने देवताओं के पक्ष का ही आश्रयण किया

अर्थात् अजशब्द का छाग ही अर्थ है वह वात पक्षपात के आवेश में होकर कह दिया, अर्थात् अज शब्द का अर्थ बकरा ही करके यज्ञ करना चाहिये । ऐसा जब उसने कहा तब तो सूर्य के समान तेजस्वी मुनिलोग क्रुद्ध हुए और विमानस्थ देवपक्षपाती राजा वसु को शाप दिया कि जो तुमने पक्षपात से देवताओंका ही पक्षग्रहण किया है इसलिये आकाश से तुम्हारा पृथ्वीपर पात हो, अर्थात् तुम नरक को प्राप्त हो । उसके बाद ऋषियों के वाक्य के प्रभाव से राजा वसु नीचे गिरकर नरक में गया ।

इन पूर्वोक्त श्लोकों से सिद्ध होता है कि यज्ञ में भी हिंसा करने का विशेष निषेध है । राजा वसुके समान सत्यवादी नराधिप ने भी दाक्षिण्य के आधीन होकर जो अर्थ का अनर्थ कर डाला, इसलिये वह स्वयं अनर्थ का भागी हुआ, और उसके उद्धार के लिये देवताओं ने बहुतही प्रयत्न किया; तो फिर आजकाल के मांसलोलुप जन विचारे भद्रिक स्वर्ग के अभिलाषी प्राणियों के धन का नाश कराकर पूर्वोक्त वाक्यानुसार यजमान को नरकगामी बनाकर स्वयं (यज्ञ करानेवाले) भी नरक में गिरते हैं । अत एव ऋषियों ने अजशब्द का अर्थ पुराना धान ही किया है । और इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्दादि कोई भी प्रमाण का विरोध नहीं है । इस अहिंसा शास्त्र को प्रमाण (संमान) करनेवाले मुनियों का यह अर्थ है । और तीन प्रकार का अर्थवाद वृद्ध पुरुषों ने जो माना है; उसमें मुनियों का मत केवल भूतार्थवावरूप अर्थवाद है किन्तु गुणवाद, अनुवादरूप नहीं है । क्योंकि गुणवाद विरोध में होता है, जैसे सन्ध्याकरनेवाला कोई पुरुष पत्थर पर बैठा है उस पत्थर को कोई पुरुष यदि “सन्ध्यावान् प्रस्तरः” ऐसा कहे, तो सन्ध्यावान् और प्रस्तर का अभेद प्रत्यक्ष बाधित है, तथापि गुणस्तुतिरूप वाक्य होने से यह गुणवावरूप अर्थवाद माना जा सकता है । किन्तु मुनियों के मत में कोई विरोध नहीं है अत एव वह गुणवाद नहीं है । और निश्चि-

तार्थ में ही अनुवादरूप अर्थवाद होता है। जैसे “अग्निर्हिमस्य भंपजम्” अर्थात् अग्नि हिम का औपधि है, यह बात आवालगोपाल प्रसिद्ध होने पर भी उसीका जो कथन किया गया वह अनुवादरूप अर्थवाद है। प्रस्तुत में मुनियों ने जो अज शब्द का धान्य अर्थ किया है वह प्रायः समस्त प्राणियों में प्रसिद्ध न होने से अनुवादरूप अर्थवाद नहीं हो सकता। और जहाँ पर विरोध और निश्चितार्थ दोनों नहीं हैं वहाँ भूतार्थवाद ही होता है—जैसे “रावण सीतां जहार” अर्थात् रावण ने सीता का हरण कर लिया, इसमें न तो कोई विरोध है, और न पहिले ऐसा निश्चय ही था, किन्तु बात तो ठीक ही है, इसी तरह मुनियों का पक्ष भी भूतार्थवाद ही है, परन्तु अजशब्द का पशु अर्थ बतानेवाले देवताओं का पक्ष तो पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण से ही दूषित है, तदनन्तर शास्त्रप्रमाण से भी दूषित है, उसीप्रकार अनुभव और लोकव्यवहार से भी दोषग्रस्त है। क्योंकि पशुहानन के समय पशु मारनेवाले पुरुष की मनोवृत्ति, और शरीराकृति, प्रत्यक्ष ही परम कूर दिखाई देती है।

पाठकवर्ग ! पशुवध से स्वर्ग होना बुद्धिमानों के अनुभव में भी ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि ‘यद् दीयते तत् प्राप्यते’ अर्थात् जो दिया जाता है वही मिलता है इस न्याय के अनुसार तो सुखदेनेवाला सुख, और दुःखदेनेवाला दुःख, अभय दाता अभय, और भयदेनेवाला पुरुष भय को ही प्राप्त होना चाहिये। किन्तु यज्ञ में जो पशु मारे जाते हैं वे नतो निर्भय, और न सुखी ही दिखाई देते हैं, वल्कि भयभ्रान्त और महादुःखी ही दिखाई पड़ते हैं, तो फिर पशु-मारनेवाला स्वर्ग में किस तरह जा सकता है? और लोकव्यवहार में भी कोई उत्तम जाति का पुरुष मृतप्राणी का स्पर्श भी नहीं करता और यदि कोई मरे हुए जीव को छूता है तो वह नीच ही गिना जाता है। अब यह अवसर विचार करने का है कि यज्ञमण्डप में वेद मन्त्रों द्वारा याज्ञिक लोग, बकरे के मुह को यव के आटा

आदि से वन्द करके उसपर मुष्ट्यादि प्रहार से गतप्राण कर देते हैं, तदनन्तर उसके अवयवों को अलग अलग करके उसमें से बहुत सा हिस्सा हवन के काम में लाते हैं किन्तु बहुत सा हिस्सा तो स्वयं खाजाते हैं, तथा जो कुछ अवशिष्ट भाग उसका बचता है उसको यज्ञ कर्म में भाग लेने के लिए यज्ञ में आये हुए आम्तिकों को प्रसादरूप से देते हैं । अब इन याज्ञिकों की किस में गणना करनी चाहिये ? इसका विचार में पाठकलोगों के ऊपर ही निर्भर करता हूँ ।

पूर्वोक्त बातों से यह सिद्ध किया जाता है कि किसी कारण से भी पशु से यज्ञ करना उचित नहीं है । जब राजा वसु भागवत, दानी-श्वर, सत्यवादी, श्रेष्ठ और सब भूतों के प्रियंकर होने पर भी अजगन्ध का पशु ही अर्थ मानकर नरक में गये, तो फिर साधारण मनुष्योंकी क्या दशा होगी ? यह विचारणीय है । अब महाभारत अनुशासन पर्व के अध्याय ११६ पृष्ठ १२६ में युधिष्ठिर ने भीष्मपितामह से जो अहिंसाविषयक प्रश्न किया है कि—मांस खाने से क्या और कैसा दोष होता है ? और उसके त्याग करने से क्या गुण है ?; वही दिखलाया जाता है ।

यथा—

युधिष्ठिर उवाच—

“इमे वै मानवा लोके नृगंमा मांसगृह्णिनः ।

विसृज्य विविधान् भक्ष्यान् महारक्षोगणा इव” ॥१॥

“अपूपान् विविधाकागन् गाकानि विविधानि च ।

खाण्डवान् रसयोगाच्च तथेच्छन्ति यथाऽऽगमिषम्” ॥२॥

“तत्र मे बुद्धिरत्रैव विषये परिब्रुवते ।

न मन्ये रसनः किञ्चिन मांसतोऽस्तीदि किञ्चन” ॥३॥

“तद्विच्छामि गुणान् श्रान्तुं मांसम्याभक्षणे प्रथो ! ।

भक्षणे चैव ये दोषान्तांश्चैव पुरुषर्षभ !” ॥४॥

“सर्वं तन्नोन्न धर्मतः ! यथावद्विद्म धर्मतः ।

किञ्च भक्षयामद्वयं वा स्वर्गमेतद् वदस्व मे” ॥ ५ ॥

“यथेतद् यादृजं चैव गुणा ये चाग्न्य वर्जने ।

दोषा भक्षयतां येऽपि तन्मे वृद्धि पितामह ! ” ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह प्रत्यक्ष दृश्यमान मनुष्यलोक. लोक में महाराक्षस की तरह दिव्यार देते हैं. जो नाना प्रकार के भक्ष्यों को छोड़ कर मांसलोत्पन्न भक्षण करते हैं. क्योंकि नाना प्रकार के अपूप (पूआ) तथा विविधप्रकार के शाक. सब्ज (चीनी) से मिश्रित फलान्न और सरस गान पदार्थ से भी विशेषरूपसे आग्नि (गान) को परन्द करते हैं। इन कारण इन विषय में मेरी वृद्धि मुग्धगी हो जाती है कि मांस भोजन से अधिक रसवाला क्या कोई दूसरा भोजन नहीं है ? इसमें हे प्रभो ! मांस के त्याग करने में क्या २ गुण होते है ? पहिले तो मैं यह जानना चाहताहूँ: पीछे गाने में क्या २ दोष हैं यह भी मुझे जिज्ञामित है । हे धर्मतत्त्वज्ञ ! यथार्थ प्रमाण के द्वारा यहा पर मुझे भक्ष्य और अभक्ष्य वतल्यादये, अर्थात् मांस खाने में जैसा दोष और गुण होना हो वैसा कहिये ।

भीष्म उवाच—

“एवमेतन्महावाहो ! यथा वदसि भारत ! ।

न मांसात् परगं किञ्चित् रमतो विद्यते भुवि” ॥ ७ ॥

“अतक्षीणाभितप्तानां ग्राम्यधर्मरतात्मनाम् ।

अध्वना कपितानां च न मांसाद् विद्यते परम्” ॥८॥

“सद्यो वर्द्धयति प्राणान् पुष्टिमग्न्यां दधाति च ।

न भक्ष्योऽभ्यधिकः कश्चिन्मांसादस्ति परन्तप ! ” ॥९॥

“विवर्जिते तु बहवो गुणाः कौरवनन्दन ! ।

ये भवन्ति मनुष्याणां तान् मे निगदतः श्रुणुः ॥१०॥

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात् स नृशंसतरो नरः ” ॥११॥

- “न हि प्राणात् प्रियतरं लोके किञ्चन विद्यते ।
तस्माद् दयां नरः कुर्याद् यथाऽऽत्मनि तथा परे” ॥१२॥
- “शुक्राच्च तात ! संभूतिर्मांसस्येह न संशयः ।
भक्षणे तु महान् दोषो निवृत्त्या पुण्यमुच्यते” ॥१३॥
- “यत् सर्वेष्विह भूतेषु दया कौरवनन्दन ! ।
न भयं विद्यते जातु नरस्येह दयावतः” ॥२०॥
- “दयावतामिमे लोकाः परे चाऽपि तपस्विनाम् ।
अहिंसा लक्षणो धर्म इति धर्मविदो विदुः” ॥२१॥
- “अभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः ।
अभयं तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्रुम्” ॥२३॥
- “क्षतं च स्वलितं चैव पतितं कृष्टमाहतम् ।
सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु च” ॥२४॥
- “नैनं व्यालमृगा घ्नन्ति न पिशाचा न राक्षसाः ।
मुच्यते भयकालेषु मोक्षयेद् यो भये परान्” ॥२५॥
- “प्राणदानात्परं दानं न भूतं च भविष्यति ।
न ह्यात्मनः प्रियतरं किञ्चिदस्तीह निश्चितम्” ॥२६॥
- “अनिष्टं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत ! ।
मृत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायेत वेपथुः” ॥२७॥
- “जातिजन्मजरादुःखैर्नित्यं संसारसागरे ।
जन्तवः परिवर्तन्ते मरणादुद्विजन्ति च” ॥२८॥
- “नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमनुसृत्य ह ।
तस्मात्प्राणिषु सर्वेषु दयावानात्मवान् भवेत्” ॥३२॥
- “सर्वमांसानि यो राजन् ! यावज्जीवं न भक्षयेत् ।
स्वर्गे स विपुलं स्थानं प्राप्नुयान्नात्र संशयः” ॥३३॥
- “ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितैषिणाम् ।
भक्षयन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः” ॥३४॥
- “मां स भक्षयते यस्माद् भक्षयिष्ये तमप्यहम् ।

एतद् मांसस्य मांसत्वमनुबुद्धयस्य भारत ! ” ॥३५॥

“येन येन शरीरेण यद् यत्कर्म करोति यः ।

तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलमृपाद्भुते ” ॥ ३६ ॥

“अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः ।

अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ” ॥ ३७ ॥

“अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा परं फलम् ।

अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम् ” ॥३८ ॥

“सर्वयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाऽऽप्युत्तमम् ।

सर्वदानफलं वाऽपि नैतत्तुल्यमहिंसया ” ॥ ३९ ॥

“अहिंसास्य तपोऽक्षय्यमहिंसो यजते सदा ।

अहिंसः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ” ॥ ४० ॥

“एतत्फलमहिंसाया भूयश्च कुरुपुत्रव ! ।

न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतैरपि ” ॥ ४१ ॥

(श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेम में उपाधुआ मठान्तर अनुशासनपत्र के पत्र १२६-मे १२७ तक)

विवेचन—इन पूर्वोक्त श्लोकों के अत्यन्त सरल होने से इनकी व्याख्या करने की विशेष आवश्यकता नहीं है तथापि सामान्य रूप से यहां कुछ विवेचन करके आगे चलता हूँ। भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर के पूर्वोक्त प्रश्नों का यह उत्तर दिया कि हे भारत ! पृथ्वी में कोई वस्तु मांस की अपेक्षा किसको अच्छी नहीं मानती होती है यह स्पष्ट किये बिना बनता नहीं है इसलिये जो मांस को उत्तम मानते हैं वे पुरुष दिखलाये जाते हैं—अर्थात् घायल पुरुष, क्षीण, संतापी, विषयासक्त और गार्गादि परिश्रम से थके हुए पुरुष ही मांस की अपेक्षा से अधिक अच्छा पदार्थ अपनी समझ से कुछ भी नहीं समझते हैं और वेही लोग केवल मांसाहारसे ही शरीर की पुष्टि मानते हैं, इसलिये उनकी समझ से मांस से अच्छा कोई दूसरा भक्ष्य नहीं है। किन्तु धर्मात्मा पुरुष तो मांसाहार को कदापि स्वीकार नहीं करते। हे कौरवन्न्दन ! मांसाहार त्याग करने से मनुष्यों को

जो गुण होते हैं उनका दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है । जो पुरुष दूसरे के मांस से अपने मांस की वृद्धि करना चाहता है उस निर्दय पुरुष से दूसरा पुरुष हजार कुकर्म करनेवाला भी अच्छा ही है, क्योंकि संसार में प्राण से बढ़कर कोई भी दूसरा वस्तु प्रियतर नहीं है, अतएव हे पुरुषश्रेष्ठ ! अपने आत्मा पर जैसा तुम प्रेमभाव रखते हो वैसाही दूसरे के प्राणोंपर भी करो । तथा वीर्य से ही मांस की उत्पत्ति होती है यह बात भी सभी को संमत है क्योंकि इसमें किसी को कुछभी संदेह नहीं है, अतएव उसके खाने में बहुत दोष है और त्याग करने में बहुत पुण्य है । हे युधिष्ठिर ! सब प्राणियों में दया करनेवाले पुरुष को कभी भय नहीं होता, और दयावान् पुरुष को और तपस्वीजनों को ही यह लोक और परलोक दोनों अच्छे होते हैं ; इसलिये हमलोग अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं । जो पुरुष दया में तत्पर होकर सब प्राणियों को अभयदान देता है वही पुरुष सब भूतों से अभय पाता है, ऐसा मैंने सुना है । धर्मात्मा पुरुष तो आपत्तिकाल में और सम्पत्तिकाल में सब भूतों की रक्षा ही करता है । किन्तु वर्तमानकाल के कितने ही स्वार्थी पुरुष दया नहीं करते और कितने ही धर्मतत्त्व के जानकार होनेपर भी अपने पास पाले हुए गौ, भैंस, घोड़े वगैरह को जब बेकार देखते हैं तब उन्हें पशुशाला में छोड़ देते हैं या दूसरों के हाथ बेच देते हैं और अज्ञानीलोग कसाइयों तक के हाथ बेच देते हैं किन्तु बहुत से नास्तिकलोग तो अनुपयोगी जानवरों को गोली से मारदेंते हैं, यदि इसका मूल कारण देखा जाय तो हृदय में दयादेवी का संचार न होना ही है, तथा सामान्यनीति को भी स्वार्थान्वय होने के कारण नहीं देखते हैं, किन्तु सच्चे धार्मिक पुरुष तो अनुपयोगी पशु का भी पालन करते हैं ।

पूर्वोक्त निःस्वार्थ दया करनेवाले पुरुष पर व्याघ्र, सिंह, पिशाच, राक्षसादि कोई भी क्रूर जन्तु कभी उपद्रव नहीं करते । इसलिये संसार में प्राणदान से अधिक कोई दान नहीं है, क्योंकि प्राण से अधिक प्रिय

कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ती है । हे भारत ! सब प्राणियों को मृत्यु के तुल्य कुछ भी अनिष्ट दिखाई नहीं देता, अर्थात् मृत्युकाल में कैसा ही दृढ़ पुरुष क्यों न हो उस समय उसको भी डर मालूम होता ही है । जिन महानुभाव पुरुषों की समाधि (सुख) से मृत्यु होती है उनको भी स्वेद कम्पादिरूप शरीर धर्म तो अवश्य होते हैं क्योंकि वह शरीर का स्वभाव ही है । देखिये योगियों का जब शरीर से संबन्ध छूटता है तब वे केवल आत्मतत्त्व में ही लवलिन होते हैं, उस अवस्था में भी द्रव्य दुःखों से पीड़ित होकर शरीर कांपता है, और हाथ पांव भी हिलते हैं । ध्यानी पुरुष को भी वेदनीय कर्म होगा तो जरूर शरीर का धर्म दृष्टिगोचर होगा, तथापि इससे ध्यानी कभी अध्यानी नहीं माना जा सकता । दृष्टान्त यह है कि महावीर देव ने अनन्त बलवान् और मेरु की तरह निष्कम्प, तथा पृथ्वी की तरह दृढ़ होने पर भी कर्णकीलकार्पण के समय तो आक्रन्द किया ही ; इससे यह न समझना चाहिये कि भगवान् ध्यान से भ्रष्ट होकर पौद्गलिक भाव में लीन हुए किन्तु वह तो शरीर का धर्म ही है । देखिये, वर्तमान समय में अस्त्रविद्या में कुशल डाक्टर लोग औषधि के प्रयोग से रोगी को बेहोश करके उसके शरीर के अवयवों को काटते हैं और काटने के समय रोगी के हाथ पाँव को दो चार आदमी पकड़े रहते हैं और उस समय भी रोगी हाथ पैर हिलाताही है और अस्फुट शब्द को बोलताही है ; किन्तु काटने के बाद जब औषध (क्लोरोफार्म) उतर जाता है उस समय यदि उससे पूछा जाय कि काटने के समय तुमको क्या हुआ था ? तो वह यही कहता है कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि केवल शरीरका धर्मही कम्पादि क्रियावाला है । यह बिना आत्मा के उपयुक्त हुए ही स्वाभाविक होता है तथापि शरीर के साथ आत्मा का सम्बन्ध जीवन-पर्यन्त है यह बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी । क्योंकि मृत शरीर में कोई चेष्टा नहीं होती है, जीवित शरीर में कम्प, स्वेद, मूर्छा और चलनादि क्रिया मालूम

पड़ती है; और यह दुःखरूप कार्य के ज्ञापक चिह्न हैं, क्योंकि मरण के समय प्रायः पूर्वोक्त चिह्न संसारी जीवों में दीखते हैं । अतएव हिंसा त्याज्य है, और अपनी आत्मा की तरह सबको देखना उचित है । यदि समस्त पृथ्वीपर घूमकर अनुभव प्राप्त किया जाय तो सब जीवों को प्राण से अधिक कोई वस्तु प्यारी नहीं मालूम होगी अतएव सब प्राणियों में दया करनेवाला जीव ही आत्मतत्त्वज्ञ माना जाता है । इसलिये दया का विशेषभाव भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर को दिखलाया है कि हे राजन् ! जीवनपर्यन्त सकलमांसत्यागी जो पुरुष होता है वह स्वर्ग में उत्तमोत्तम स्थान को पाता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।

यदि महाभारत को हिन्दू लोग पञ्चम वेद मानते हैं तो पूर्वोक्त समस्त श्लोक महाभारत के अनुशासन पर्व में दान धर्म की महिमा के समय अहिंसा धर्म के फल में भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर को दिखलाये है, उन पर क्यों नहीं ध्यान देते ? । अब मैं उनका विशेष विस्तार न करके अन्तिम श्लोक मात्र का लक्ष्य रखकर पाठक महाशयों को सूचित करता हूँ:—

हे कुरुपुङ्गव ! अहिंसा का स्वर्ग मोक्षादिरूप बड़ा भारी फल प्रतिपादन किया हुआ है, जिस अहिंसा के गुणों को सौ वर्ष पर्यन्त भी अगर कोई वर्णन करे तो भी वह पूर्ण नहीं हो सकता । अन्तिम श्लोक के पूर्व श्लोकमें भी लिखा है कि संपूर्ण यज्ञ, दान, सर्व तीर्थोंका स्नान, और सब दानों का जो फल है वह भी अहिंसा की बरावरी नहीं कर सकता, क्योंकि हिंसाकरनेवाला गर्भवास और नरक के दुःख को अवश्य भोगता है । यह बात उसी अध्याय के निम्न लिखित श्लोक के देखने से प्रतीत होती है—

यथा—

“ गर्भवासेषु पच्यन्ते क्षाराम्लकटुकै रसैः ।

मूत्रस्वेदपुरीषाणां परुषैर्भृशदारुणैः ” ॥ २९ ॥

“ जाताश्चाप्यवशास्तत्र च्छिद्यमानाः पुनः पुनः ।

पाच्यमानाश्च दृश्यन्ते विवशा मांसगृद्धिनः ” ॥ ३० ॥

“ कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागताः ।

आक्रम्य मार्यमाणाश्च भ्राम्यन्ते वै पुनः पुनः ” ॥३१॥

भावार्थ—क्षार, आम्ल, और कटु रसों से मांसभक्षी पुरुष गर्भ-वास के समय परिताप को प्राप्त होते हैं, तथा मल मूत्रादि द्वारा भयङ्कर दुःख को भी प्राप्त होते हैं, तथा नरक गति में उत्पात्ति के समय भी अवश होकर वार वार नरक को जाते हैं और तत्तद्द्वयोनि में जाने पर भी कुम्भीपाक में पकाये जाते हैं, तथा उन नारकी जीवों को अनेक प्रकार के शस्त्रों से छेदते हुए असिपत्रादि वन में यमदूत लोग लेजाते हैं, जिस पत्रके गिरते ही उन दुष्टों का शिरश्छेद होता है । इसी प्रकार नरकपाल लोग वहां से फिर उन्हें अन्यत्र लेजाते हैं । देखिये-यह सब वेदना मांसाशी जीवही प्रायः पाते हैं, इसलिये ही परप्राण से स्वप्राण की रक्षा करनेवाले मूर्खशिरोमणि गिने जाते हैं । अतएव समस्त नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्रों में परोपकार के लिये क्षणभङ्गुर शरीर के ऊपर मोह करनेका निषेध है । जैसे—

“ जीवितं हि परित्यज्य बहवः साधवो जनाः ।

स्वमांसैः परमांसानि परिपाल्य दिवं गताः ” ॥१८॥

भावार्थ—बहुत से साधुजन अपने जीवनकी मूर्च्छा(मोह)छोड़ कर, निज मांस के द्वारा दूसरों के मांस की रक्षा करके उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं । इत्यादि अनेक श्लोक, मांस त्याग के लिये महाभारत अनुशासन पर्व के अध्याय ११४—११५ पृ. १२५ वें में दिखाई देते हैं, उनमें से थोड़े ही श्लोक यहां उद्धृत किये जाते हैं—

“पुत्रमांसोपमं जानन् खादते यो विचक्षणः ।

मांसं मोहसमायुक्तः पुरुषः सोऽधमः स्मृतः ॥११॥ अध्याय ११४

“यो यजेताश्वमेधेन मासि मासि यतव्रतः ।

वर्जयेद् मधु मांसं च सममेतद् युधिष्ठिर ! ” ॥ १० ॥

“न भक्षयति यो मांसं न च हन्याद् न घातयेत् ।

तद् मित्रं सर्वभूतानां मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ” ॥ १२ ॥

“स्वमांसं परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

नारदः प्राह धर्मात्मा नियतं सोऽवसीदति ” ॥ १४ ॥

“मांसि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।

न खादति च यो मांसं सममेतन्मतं मम ” ॥ १६ ॥

“सर्वे वेदा न तत् कुर्युः सर्वे यज्ञाश्च भारत ! ।

यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवर्तते ” ॥ १८ ॥

“सर्वभूतेषु यो विद्वान् ददात्यभयदक्षिणाम् ।

दाता भवति लोके स प्राणानां नात्र संशयः” ॥२०॥अ.११५

इत्यादि बहुत से जो श्लोक महाभारत में लिखे हैं उन्हें जिज्ञासुओं को उसी स्थल पर देखलेना उचित है । इन पूर्वोक्त श्लोकों में समस्त शास्त्र का रहस्य दिया हुआ है अतएव जीवन की इच्छा न रखकर, जो उत्तम पुरुष स्वमांस से पर मांस की रक्षा करते हैं, अर्थात् मरणान्त तक परोपकार करने की इच्छा करते हैं, वे ही पुरुष देवलोक के सुख को पाते हैं । और जो पुरुष मांस को तुच्छ मानकर और पुत्रमांस की उपमा देकर भी मोह से उसे खाता है उससे बढ़कर तो अधर्मी कोई नहीं है क्योंकि धर्मशास्त्र में मांस-त्यागी पुरुष को ही धर्मात्मा माना है । इसीलिये लिखा है कि कोई एक मनुष्य यदि सौ वर्ष तक महीने महीने अश्वमेध यज्ञ करे, और दूसरा केवल मांस का ही त्याग करे, तो वे दोनों तुल्य ही हैं, कदाचित् भूल से या अज्ञान से मांस कभी खा लिया हो और पीछे छोड़ दे, तो जो फल चारों वेदों से और सपूर्ण यज्ञों से नहीं मिलता है वह फल केवल उसे मांस त्याग से ही मिल जाता है । पाठकवर्ग ! यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि ऐसा सीधा और सरल उपदेश होने पर भी मनुष्य ऐसी प्रवृत्ति में क्यों पड़ते हैं ? अस्तु, मैं तो उनके कर्म का ही दोष देकर आगे चलता हूँ । एक बड़े खेद की यह भी

वात है कि बहुत से मांसाहारी लोग तो अपनी चतुराई से नये नये श्लोक बनाकर नयी नयी कल्पनाद्वारा भव्यपुरुषों को अमजाल में डालने के लिये प्रयत्न करते हैं । यथा—

“ केचिद् वदन्त्यमृतमस्ति पुरे सुराणां
केचिद् वदन्ति वनिताऽधरपल्लवेषु ।

ब्रूमो वयं सकलशास्त्रविचारदक्षा

जम्बीरनीरपरिपूरितमत्स्यखण्डे ” ॥ १ ॥

अर्थात्—यद्यपि कोई लोग कहते हैं कि देवलोक में अमृत रहता है, और कोई कहते हैं कि स्त्री के अधरोष्ठपल्लव में अमृत स्थित है; किन्तु सकलशास्त्रविचारचतुर हमलोग (मांसाहारी) कहते हैं कि नीबू के जल से भरपूर मछली के टुकड़े में ही अमृतास्वाद है ।

सज्जन महाशय ! तत्त्ववेत्ताओं ने तो पूर्वोक्त श्लोक के तृतीय पाद का “ ब्रूमो वयं सकलशास्त्रविचारशून्याः ” ऐसा ठीक ठीक पाठ बना दिया है क्योंकि विचारशून्य मनुष्य की इच्छा है कि वह चाहे जैसी बकवाद करे, क्योंकि सदबुद्धि के अभाव से ही मनुष्य भारी अनर्थ करता है; याने देव को अदेव और अदेव को देव, गुरु को अगुरु और अगुरु को गुरु, धर्म को अधर्म, और अधर्म को धर्म, तत्त्व को अतत्त्व और अतत्त्व को तत्त्व, भक्ष्य को अभक्ष्य और अभक्ष्य को भक्ष्य, इत्यादि विपरीत मानकर भयङ्कर भूल में पड़कर संसार सागर में (वह जीव) सदा घूमताही रहता है । इसीलिये सब लोगों को कल्पित बातों पर ध्यान न देकर वास्तविक अहिंसा धर्म को ही स्वीकार करना चाहिये । किन्तु जो मनुष्य मासरसलम्पट होता है वही अपनी इच्छानुसार मनमाने श्लोक भी बना लेता है । यथा—

“रोहितो नः प्रियकरः मद्गुरो मद्गुरुप्रियः ।

हिल्सी तु घृतपीयूषो वाचा वाचामगोचरः” ॥ १ ॥

भावार्थ—कोई कहता है कि रोहित मत्स्य हमको अत्यन्त प्रिय है, और मद्गुर नामक मत्स्य तो मेरे गुरु को प्रिय है ; तथा हिल्सी

जाति का मत्स्य घृत और अमृत के समान है, और वाचाजाति के मत्स्य का स्वाद कहने में नहीं आसकना । देखिये ऐसे कृत्रिम श्लोकों को बनाकर मांसाहारी लोग विचार धर्मतत्त्व के अनजान पुरुषों को भी परित्रष्ट करते हैं । इस पूर्वोक्त श्लोक को ब्रह्मदेव्य के मनुष्य प्रायः कहा करते हैं । और 'केचिद् ब्रह्मन्त्यमृतमस्मि पुरे सुगणानित्यादि' श्लोक तो प्रायः मैथिल कहते रहते हैं । ब्रह्मदेवनिवासियों में कितनेही मनुष्यों के मत्स्यमक्षण आदि कुन्मित व्यवहार को देखकर अन्य कवियों ने ऋविनारूप से ब्रह्मवासियों का हास्य किया है कि—

“स्थाने सिंहसमा रणे मृगसमाः स्थानान्तरे जम्बुका

आहारे वक्रकाकशूकरसपाश्टागोपमा मयुने ।

रूपे मर्कटवन् पिशाचवदना क्रूराः सदा निर्दया

वर्गीया यदि मानुषा हर ! हर ! प्रेताः पुनः कीदृशाः” ॥१॥

भावार्थ—अपने स्थान में सिंह की भांति स्थिति करनेवाले, रण में मृग (हरिण) की तरह भागनेवाले, दूसरे के स्थान में शृगाल जैसे, बगले, काक और शूकर की तरह असह्य आहार करने वाले, विषय सेवनमें बकरे जैसे, बन्दर की सदृश रूपवाले, पिशाच जैसे मुखवाले अर्थात् भयंकर तथा क्रूर स्वभाव वाले और दया बरकरे रहित ऐसे मांस भक्षण आदि कुत्सित व्यवहार करने वाले ब्रह्मवासी लोग अगर जो मनुष्य कहे जावें तो मला फिर प्रेतों में किसकी गणना होगी अर्थात् यही मनुष्यरूप से प्रेतगण हैं ।

एवं रीत्या कान्यकुब्जों के व्यवहार पर भी एक कवि ने ऐसा लिखा है कि—

“कान्यकुब्जा द्विजाः सर्वे मृर्या एव न संशयः ।

मीनमेषादिराशीनां भोक्तारः कथमन्यथा ? ” ॥ १ ॥

भावार्थ—इसमें कुछभी सन्देह नहीं है, कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण सूर्य ही हैं यदि वह ऐसे न होते तो नछली तथा बकरे इत्यादि का भक्षण क्यों करते ? ।

अब प्रसङ्गानुसार यहां पर यह भी कह देना उचित है कि जो मांसादि को खानेवाले कहते हैं कि तन्त्राक्रिया करनेवालों को तो अवश्यही मद्य, मांसभक्षण तथा बलिप्रदान करनाही चाहिये क्योंकि यह सब बातें शास्त्र संमत है इस विषय में देवीभक्त किसी सज्जनने ठीक कहा है कि—

“या योगीन्द्रहृदि स्थिता त्रिजगतां माता कृपैकव्रता

सा तुष्येत् श्वपचीव किं पशुवधैर्मांसासवोत्सर्जनैः ? ।

तस्माद् वीरवराऽवधारय तदाचारस्य यद् बोधकं

रक्षोभिर्विरचय्य तच्च वचनं तन्त्रे प्रवेशीकृतम् ” ॥ १ ॥

भावार्थ—जो सब जीवों पर सदा दयाही रखनेवाली, योगाभ्यासियों के हृदय में निवास करनेवाली, तीनों जगत् की माता देवी क्या चाण्डाली की भांति पशुवध से तथा मांस और मद्य देने से प्रसन्न हो सकती है अत एव हे वीरवर ! विचार की बात है कि यह सब वचन मांसभक्षी राक्षसों ने किसी द्वारा बनवाकर तन्त्र शास्त्र में रख दिये हैं ।

अब उपरोक्त उदाहरणों से आप के अन्तःकरण में यह विचार तो ठीकही बैठ गया होगा कि हिंसा, परस्त्रीगमन तथा मांसभक्षण करने से कभी धर्म नहीं हो सकता तथापि अगर कोई यह कहे कि हां हिंसादि करने से भी धर्म होता है तो उसको रोकने के लिये नीचे का श्लोक अवश्यही समर्थ हो सकता है ।

“धर्मश्चेत् परदारसङ्गकरणाद् धर्मः सुरासेवनात्

संपुष्टिः पशुमत्स्यमांसनिकराहाराच्च हे वीर ! ते ।

हत्या प्राणिचयस्य चेत् तव भवेत् स्वर्गापवर्गाप्तये

कोऽसत्कर्मतया तदा परिचितः स्यान्नेति जानीमहे ” ॥१॥

भावार्थ—हे हिंसादि कर्मों में वीर ! यदि तुमको परस्त्रीगमन, मद्यसेवन से धर्म हो और पशु तथा मत्स्योंके आहार करने से शरीरपुष्टि हो और प्राणिगण को मारने से स्वर्ग तथा मोक्ष की

प्राप्ति होवे तो फिर कुकर्मों पुरुष कौन कहा जा सकता है यह मैं नहीं कह सकता अर्थात् उक्त कर्मों को करनेवाले ही पापी और नरकादि के क्लेशों को भोगने वाले होते हैं ।

इसी प्रकार मैथिलों का व्यवहार देखकर किसी कवि ने अवतारों की सख्या में जो भगवान् ने नृसिंहावतार धारण किया है उसकी भी उत्प्रेक्षा की है कि—

“अवतारत्रयं विष्णोर्मैथिलैः कवलीकृतम् ।

इति संचिन्त्य भगवान् नारसिंहं वपुर्दधौ” ॥ १ ॥

भावार्थ—विष्णु ने पहिले तीन अवतार धारण किए अर्थात् मत्स्य, कच्छ और वाराह रूप से प्रकट हुए, किन्तु उनको मैथिलों ने खा डाला । तब तो भगवान् ने क्रोध करके नारसिंह शरीर को धारण किया, क्योंकि मैथिल यदि उसको खाते तो स्वयं ही भक्षित हो जाते । यद्यपि यह श्लोक हास्यप्रयुक्त है, तथापि वास्तविक विचार करने पर भी मैथिलों का व्यवहार मत्स्य, कच्छप वगैरह जीवों के संहार करने का अवश्य है ।

सामान्य नीति यह है कि जिसके कुल में भारी पण्डित या महात्मा हुआ हो वह कुल भी उत्तम माना जाता है, इसलिये उस कुल में कोई आपत्ति आवे तो लोग उसके सहायक होते हैं । तो जिसको लोग भगवान् मानते हैं उस भगवान् का अवतार जिस जाति में हो, उस जाति का यदि नाश होता हो तो उसका उद्धार करना चाहिये, किन्तु उद्धार के बदले नाश ही किया जाता हो तो कैसा अन्याय है ? यह भी एक विचारणीय बात है । और भी एक विचार करने का अवसर है कि जो पुरुष मछली खाता है वह समस्त मांस को ही खाता है, यह बात मनुस्मृति के ५ वें अध्याय के पृ. १८१ में श्लोक १५ देखिये—

“यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद् उच्यते ।

मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्माद् मत्स्यान् विवर्जयेत्” ॥१५॥

भावार्थ—जो पुरुष जिसका मांस खाता है वह पुरुष उग्रहा भक्षक गिना जाता है, जैसे बिट्टी चूरा को खाती है तो वह बिट्टी मूषकादक मानी जाती है, उसी प्रकार मत्स्य को खानेवाला मत्स्याद गिना जाता है, किन्तु वह मत्स्यादमात्र ही कहा जाता हो ना भी नहीं, किन्तु सर्वमांसभक्षी गिना जाता है । अनप्य मत्स्यों का मांस खाना सर्वथा अनुचित है । अपनी जाति की, धर्म की और घर की पवित्रता की रक्षा करना हो तो मत्स्य का भक्षण सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

विवेचन—मत्स्य खानेवाले को जो सर्वमांसभक्षी माना है वह बहुत ही ठीक है, क्योंकि मत्स्य तो सब पदार्थों को खाता है, अर्थात् समुद्र में या चर्दी में, जो किसी जीव का मृत शरीर पडजाता है तो उसको मत्स्यही खाता है और उसके खाने के मांस साथ उसका मल मूत्र भी खाता है, तो फिर जिसने मत्स्य का मांस खाया उसने तो मानों मनुष्य का मल मूत्र भी खालिया । अत एव फल्याणाभिलाषी जीवों को ऐसे कुत्सित आहार का कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिये । अब मैं मासाहार के निषेध करनेवाले कुछ थोड़े से पौराणिक श्लोकों को दिखलाता हूँ । महाभारत शान्तिपर्व के २०६ अध्याय पृष्ठ १८८ में राजा जनक ने पराशर ऋषि से प्रश्न किया है कि कौन कर्म श्रेष्ठ है—

यथा—

जनक उवाच—

“कानि कर्माणि धर्म्याणि लोकेऽस्मिन् द्विजसत्तम ! ।

न हिंसन्तीह भूतानि क्रियमाणानि सर्वदा ” ॥ ३५ ॥

पराशर उवाच—

“शृणु मेऽत्र महाराज ! यन्मां त्वं परिपृच्छसि ।

यानि कर्माण्यहिंसाणि नरं त्रायन्ति सर्वदा ” ॥ ३६ ॥

भावार्थ— प्रश्न-हे द्विजसत्तम ! अहिंसा कर्म तथा हिंसा कर्म में कौन धर्मयोग्य कर्म है और कौन अधर्मयोग्य है ? उत्तर—हे महाराज

जनक ! जो कर्म अहिंसा याने हिंसा दोष से रहित है वही कर्म पुरुषों की सर्वदा रक्षा करता है । अत एव अहिंसाकर्म धर्म, और हिंसाकर्म अधर्म माना गया है । आगे वाराहपुराण में भी कहा है कि—

“जीवहिंसानिवृत्तस्तु सर्वभूतहितः शुचिः ।

सर्वत्र समतायुक्तः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥

अध्याय १२१ पृष्ठ ५२८

हिंसादीनि न कुर्वन्ति मधुमांसविवर्जकाः ।

मनसा ब्राह्मणीं चैव यो गच्छेन्न कदाचन ॥ २४ ॥

अध्याय १२५ पृष्ठ ५३०

विकर्म नाभिकुर्वीत कौमारव्रतसंस्थितः ।

सर्वभूतदयायुक्तः सत्त्वेन च समन्वितः ॥ ५ ॥

अध्याय १२२ पृष्ठ ५३१

न भक्षणीयं वाराहं मांसं मत्स्याश्च सर्वशः ।

अभक्षया ब्राह्मणैरेते दीक्षितैश्च न संशयः ॥ ३४ ॥

परीवादं न कुर्वीत न हिंसां वा कदाचन ।

पैशुन्यं न च कर्तव्यं स्तैन्यं वापि कदाचन ॥ ३५ ॥

अध्याय १२७ पृष्ठ ६२१

नित्ययुक्तश्च शास्त्रज्ञो मम कर्मपरायणः ।

अहिंसा परमश्चैव सर्वभूतदयापरः ॥ ३७ ॥

अध्याय ११७ पृष्ठ ५१०

भावार्थ—वाराहपुराण के कई श्लोक पहिले भी दिये जा चुके हैं किन्तु विशेषरूप से पूर्वोक्त श्लोक भी दिये गये हैं । इनका सारांश इस तरह है कि जीवहिंसा से निवृत्त पुरुष सब जीवों के हितकर और पवित्रपुरुष तथा सर्वत्र समभाववाला होता है, याने उसको लोहा पत्थर और काञ्चन (सुवर्ण) समान होता है । तथा किसी हिंसादि अनर्थ कार्य को नहीं करता है, और मधु, मांस का त्यागी, होकर मन से भी परस्त्री ब्राह्मणी आदि के प्रति नहीं जाता है, और कुत्सित

कर्मों को न करके अपना कौमार व्रत पालन करता है, तथा सब भूतों में दयायुक्त होकर सत्त्व से युक्त भी रहता है ।

वाराह का मांस, खाने के योग्य नहीं है और गत्म्य का मांस भी अभक्ष्य है । और दीक्षित ब्राह्मणों को तो कदापि इन्हें नहीं खाना चाहिये, क्योंकि उनको वे सर्वथा अभक्ष्य है । और सत्पुरुष को परनिन्दा, हिंसा, चुगली, और चोरी भी नहीं करनी चाहिये । नित्यकर्मयुक्त शास्त्र को जाननेवाला मेरे कर्म में परायण, अहिंसा को परम धर्म माननेवाला, और सब सूक्ष्म वादर जीवों की दया में तत्पर हो, इत्यादि अनेक बातें वाराह पुराण में लिखी हुई हैं । इसलिये ये सब बातें एसियाटिक सोसायिटी के छपे हुए वाराह पुराण में देखने से पाठकों को स्पष्ट मालूम होंगी । इसी तरह कर्म पुराण में भी अहिंसा धर्म की साक्षी देनेवाले श्लोक हैं—

यथा—

“न हिंस्यात् सर्वभूतानि नानृतं वा वदेत् क्वचित् ।

नाहितं नाप्रियं ब्रूयात् न स्तनः स्यात् कथञ्चन” ॥१॥

अध्याय १६ पृष्ठ ५५३

भावार्थ—सब भूतों की हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना अहित और अप्रिय नहीं बोलना और किसीप्रकार की चोरी भी नहीं करनी चाहिये ।

विवेचन—पुराणों में हिंसा करने, चोरी करने तथा अहित अप्रिय और झूठ बोलने की भी मनाही की गयी है । इतना लिखे रहने पर भी स्वार्थान्ध पुरुष अमूल्य महावाक्यों का अनादर करके जिसमें प्राणियों का अहित और अप्रिय दोनों हों, ऐसेही कामों को करते और कराते हैं और करनेवाले को अच्छा मानते हैं । जहाँ बलिदान होता है वहाँ पर मरनेवाले जीव का अहित और अप्रिय नहीं तो क्या होता है ? यह भी विचार करने के योग्य है । क्योंकि प्राण से प्यारी कोई भी चीज दुनियां भर में नहीं है, यह बात जैन सिद्धान्त से तथा महाभारत आदि से सिद्ध हो

चुकी है। किन्तु अब विचारने की बात यह है कि बलिदान करके जो प्राणियों के प्राण लिये जाते हैं, उसमें उनका अहित और अप्रिय संपूर्ण रीति से मालूम होता है। इसीलिये एक स्थान में यज्ञ के वास्ते एक बकरा बाँधा हुआ बें बें कर रहा था उसपर कई कवियों ने भिन्न २ प्रकार की उत्प्रेक्षा की—एक ने ऐसी उत्प्रेक्षा की कि बकरा कहता है कि मुझे जल्दी स्वर्ग पहुंचा दो, तो दूसरे ने यह उत्प्रेक्षा की कि यह बकरा कहता है कि इस राजा का कल्याण हो, जिसने केवल तृण आहार को छुड़ाकर अमृताहार का भागी बनाया; तब तीसरे कवि ने कहा कि यह बकरा वैदिक धर्म को धन्यवाद दे रहा है कि यदि वैदिक धर्म न होता तो हमारे ऐसे अज्ञानी पशु को स्वर्ग कौन ले जाता ?; इस प्रकार की जब कल्पनाएँ चल रही थीं; उसी समय एक दयालु पुरुष कहने लगा कि यह पशु यज्ञ करनेवालों से विनति करता है कि—

“नाहं स्वर्गफलोपभोगतृपितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया

संतुष्टृष्टृणभक्षणेन सततं साधो ! न युक्तं तव ।

स्वर्गे यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे ध्रुवं प्राणिनो

यज्ञं किं न करोपि मातृपितृभिः पुत्रैस्तथा बान्धवैः ?”॥१॥

भावार्थ—हे यज्ञ करनेवाले महाराज ! मैं स्वर्ग के फलोपभोग का प्यासा नहीं हूँ और न मैंने तुमसे यह प्रार्थना ही की है कि तुम मुझे स्वर्ग पहुंचादो, किन्तु मैं तो केवल तृण के ही भक्षण से सदा प्रसन्न रहता हूँ, अतएव हे सज्जन ! तुम्हें यह कार्य (यज्ञ) करना उचित नहीं है, और यदि तुम्हारा मारा हुआ प्राणी स्वर्ग में निश्चय से जाता ही हो, तो इस यज्ञ में अपने माता पिता आदि बन्धुओं को ही मारकर स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचा देते ? ।

जो अहिंसाधर्म की पुष्टि पुराण, स्मृति आदि बहुत से ग्रन्थों में की हुई है, उसको मैं यहाँ न दिखलाकर, केवल अहिंसा की माहिमा और उसके सङ्गकरनेवाले की अपूर्व शक्ति, तथा हिंसक पुरुष की दुर्दशा ही दिखलाता हूँ ।

अहिंसा की महिमा कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य जी ने इस तरह की है—

यथा—

“ मातेव सर्वभूतानामहिंसा हितकारिणी ।

अहिंसैव हि संसारमरावमृतसारणिः ” ॥ ५० ॥

“ अहिंसा दुःखदावाग्निप्रावृषेण्यघनाऽऽचली ।

भवभ्रमिरुजार्तानामहिंसा परमौषधी ” ॥ ५१ ॥

योगशास्त्र द्वि. प्र. पृ. २८५

भावार्थ—अहिंसा सब प्राणियों की हित करनेवाली माता के समान है, और अहिंसा ही सन्नाररूप मरु (निर्जल) देश में अमृत की नाली के तुल्य है; तथा दुःखरूप दावानल को शान्त करने के लिये वर्षाकाल की मेघपद्मि के समान है, एवं भवभ्रमणरूप महारोग से दुःखी जीवों के लिये परमौषधि की तरह है ।

अहिंसा समस्त व्रतों में भी मुकुट के समान मानी गई है—

“हेमाद्रिः पर्वतानां हरिरमृतभुजां चक्रवर्तीं नराणां

शीतांशुज्योतिपां स्वस्तरुवनिरुहां चण्डरोचिर्गहाणाम् ।

सिन्धुस्तोयाशयानां जिनपतिरसुरामर्त्यमर्त्याधिपानां

यद्वत् तद्वद् व्रतानामधिपतिपदव्री यात्याहिंसा किमन्यत् ? ” ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे पर्वतों में मेरु, देवताओं में इन्द्र, मनुष्यों में चक्रवर्ती, ज्योतिर्मण्डल में चन्द्रमा, वृक्षावली में कल्पवृक्ष, ग्रहों में सूर्य, जलाशयों में सिन्धु, और वासुदेव-वलदेव-चक्रवर्ती, तथा ६४ इन्द्रों में जिनराज उत्तम हैं, वैसेही समस्त व्रतों में श्रेष्ठ पदवी को अहिंसा ही पाती है, अर्थात् अहिंसा सबसे श्रेष्ठ है। अतएव जिस धर्म में दया न हो वह धर्म किसी काम का नहीं है। क्योंकि शस्त्ररहित सुभट और विचारहीन मन्त्री, किले के विना नगर, नायक रहित सेना, दन्तहीन हस्ती, कलाशून्य पुरुष, तप से विहीन मुनि, प्रतिज्ञाभङ्ग पुरुष, ब्रह्मचर्य रहित व्रती, स्वामी के विना स्त्री, दान विना धनाढ्य का धन, स्वामी-

हीनदेश, विद्या के विना विप्र, गन्धहीन पुष्प, दन्तविना मुख, वृक्ष और कुसुम के विना सरोवर, पातिव्रत्यधर्महीन स्त्री जैसे अच्छी नहीं लगती है वैसेही दया के विना धर्म अच्छा नहीं लगता है । किन्तु दयावान् पुरुष सर्वत्र समदृष्टि होने से आदेयवचन, पूजनीयवाक्, महितकीर्ति, परम योगी, शान्तिसेवधि, परोपकारी, ब्रह्मचारी इत्यादि विरुद्धों से अलङ्कृत होता है, अतएव पशु पक्षी भी उसकी गोद में निर्भय होकर क्रीड़ा करते हैं, क्योंकि पशु पक्षी स्वयं क्रूर स्वभाव को छोड़कर जन्म वैर को भी जलाञ्जलि देते हैं और स्वभाव से दयाभाव में मग्न होकर महात्मा के उपदेश को पान करने के लिये उत्साही से मालूम पड़ते हैं। इसलिये जिसके ऊपर दयादेवी की कृपा होती है, उसको सब प्रकार की निर्मल बुद्धि उत्पन्न होजाती है, और वही जगत् का पूज्य होता है, तथा उसीकी महिमा अवर्णनीय होती है ।

यथा—

“सारङ्गी सिंहशावं स्पृशति सुतधिया नन्दनी व्याघ्रपोतं
मार्जारी हंसवालं प्रणयपरवशात् केकिकान्ता भुजङ्गम् ।
वैराण्याऽऽजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजेयु-
र्दृष्ट्वा सौम्यैकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहम्”॥१॥

भावार्थ—शान्ति में लीन और निष्कलुषितभाववाले योगी को देख कर कितनेही जीव जन्मजात वैर को जलाञ्जलि देते हैं; अर्थात् हरिणी-सिंह के वच्चे को पुत्र की तरह प्रेम से स्पर्श करती है, और गौ व्याघ्र के वच्चे को निजपुत्र की बुद्धि से प्रेम के वश होकर स्पर्श करती है; तथा बिल्ली हंस के बालक को स्नेह बुद्धि से देखती है और मयूरी भी सर्प से मित्रता करती है, इत्यादि ।

विवेचन—समस्त जन्तुओं पर दयाभाव रखनेवाला पुरुषही महात्मा गिना जाता है, जिसमें दयाभाव कुछभी दूषित होने न पावे इसीलिये अन्य नियमों को भी महात्मालोग पालन करते हैं । क्योंकि समस्त

महात्मा पुरुषों का लक्ष्य भ्रष्टा ही पर है और उनका उपदेष्टा भी वैसाही होता है, यदि मध्यस्थ बुद्धि से उनलोगों का सिद्धान्त देखा जाय तो न्यूनाधिक रीति से सभी बात जीवदयार्पणक ही मालूम होगी। किन्तु कालान्तर में दयारहित पुरुषों के मन में अनेक कल्पनाएँ उत्पन्न हुई, इसलिये उन्होंने ही अर्थ को अनर्थ करवाला। क्योंकि महाभारत में ऋषियों ने अज शब्द का अर्थ तीन वर्ष का पुराना धान ही माना है, यह बात पहिले भी कही जा चुकी है। यद्यपि अनेक कविलोग बलिदान शब्द को लेकर नयी नयी कल्पनाएँ करके हजारों जाति के जीवों के पके शत्रु (दुश्मन) बन गये हैं; किन्तु वास्तव में बलिदान शब्द का तो यह अर्थ है कि बलि याने नैवेद्य का दान करना, जिससे हजारों गरीबोंके पेट भरे, जैसी नैवेद्य चद्राने से लोग आशीर्वाद दें, जिससे अपनी कामना पूर्ण हो, न कि दूसरे के प्राण की हिंसा हो; किन्तु जो लोग ऐसा न करके देवदेवियों को बकरा मार कर संतुष्ट करना चाहते हैं वे तो प्रत्यक्ष ही अन्याय करते हैं।

बकरीद के रोज मुसलमान लोग व्यर्थही असह्य जीवोंके प्राण ले लेते हैं यदि खुदाके नामसे उनके किसी सच्चे फकीर से पूछा जाय तो वह अपने धर्मशास्त्र से भी इसे अन्याय ही कहेगा। क्योंकि जब खुदा दुनियां का पिता है तब दुनियां के बकरी, ऊट, गौ चगैरह सभी प्राणियों का वह पिता हुआ, तो फिर वह खुदा अपने किसी पुत्र के मारने से खुशी किस तरह होगा !, अगर होता हो तो उसे पिता कहना उचित नहीं है। और विचार दृष्टि से भी देखिये कि मुसलमान लोग जो एकही दातून को बहुत दिन अपने काम में लाते हैं उसका कारण यही है कि जहांतक हो दातून के लिये भी नयी २ वनस्पति को न काटना पड़े। अब रहा यह कि जो काल को मारने के लिये कुरान में सूचना दी है उसका बहुत से आधुनिक मुसलमान लोग तो सर्प, वीछू, सिंह, व्याघ्रादि अर्थ करते हैं, इसलिये उन जीवोंके मारने के लिये सभी बालक से लेकर बृद्ध

पर्यन्त यत्न किया करते हैं, किन्तु वास्तविक में काल से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि का ही महात्माओं ने ग्रहण किया है, इसलिये उन्हींको मारना चाहिये । क्योंकि पक्के शत्रु आत्मा के वेही है, सर्पादि उस प्रकार के तो नहीं है । क्योंकि सर्पादि के मारने से काल का मारना नहीं गिना जासकता है । कदाचित् यह कहा जाय कि वे अपने सुख के लिये ही मारे जाते हैं सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर जितने ही जहरीले जीव मरते है, वहां पर उतनेही वे ज्यादा पैदा होते है । इसलिये गुजरात देश में प्रायःकरके कोई भी हिन्दू सर्प वीछू को नहीं मारता, किन्तु मारनेवालों में केवल मुसलमान ही देखाई पड़ते हैं, इसलिये वहाँ पर वे जीव बहुत कम उत्पन्न होते है, यदि मुसलमान भी नहीं मारते होते तो सर्प वीछू आदि का गुजरात में विलकुल ही डर न होता । पूर्वदेश, बङ्गाल, और मगध आदि देशों में तो ब्राह्मण भी सर्प, वीछू, आदि जीवों को मारने में जरा भी पाप, अथवा अपवाद नहीं मानते, जैसे ही जीव दृष्टि में आया कि तुरन्त मार डालते है । यद्यपि समस्त देश के कुछ न कुछ मनुष्य उन्हें मारते ही है किन्तु गुजरात की अपेक्षा कई गुने अधिक इस देशमें जो सर्प, वीछू आदि जीव देखने में आते है; उसका कारण यही है कि जिस जगह उन जीवों का खून गिरता है वहीं पर उन जीवों की ज्यादा उत्पात्ति होती है । और मारनेवाला भी सर्पावस्था को प्राप्त होकर उस सर्प से अवश्य मारा जायगा । क्योंकि जो जीव एक दफे जो कर्म करता है उसको वह कम से कम दस गुना भोगता है । यावत्परिणाम के वश से सौ गुना, हजारगुना, लाखगुना, और करोडगुना भी कर्म का बन्ध पड़जाता है । सर्पादि के मारने से न तो लोकोपकार होता है और न खोपकार ही होता है, किन्तु पूर्वोक्त बातों से दोनों का अपकार ही सिद्ध होता है । क्योंकि पहिले जो थोड़े सर्प थे, उनको अब वह मारकर बढ़ायेगा, और मारनेवाले को मरनेवाले जन्तु का भव

अवश्य धारण करना पड़ेगा । अत एव काल शब्द से धात्मा के वास्तविक शत्रु क्रोधादि को ही लेना चाहिये, और उनके ही मारने की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिये । जो हिन्दू और मुसलमानों में आजतक महात्मा हुए हैं, वे सब दयाभाव से ही हुए हैं । और जैनों के लिये यह कथन तो सिद्धसाधनरूप है । क्योंकि पूर्वोक्त श्लोकों में दिखलाया गया है कि महात्मा पुरुष के प्रभाव से ही क्रूर जन्तु भी शान्त होगये हैं और हो जाते हैं, तब स्वभावसरल जीवों की कथा ही क्या है ? । योगवासिष्ठ में जो मोक्ष के चार द्वारपाल बताये गये हैं उनमें एक शम भी गिनाया गया है; क्योंकि शमशाली पुरुष, समस्त जीवों को विश्वासपात्र ही दिखाई देता है ।

यथा—

“ मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः ।

शमो विचारः सन्तोषश्चतुर्थः साधुसद्गमः” ॥ ४७ ॥

यो० वा० पृष्ठ ४

“ मातरीव परं यान्ति विपमाणि मृदूनि च ।

विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि” ॥ ६२ ॥

यो० वा० पृष्ठ ६

अर्थात्—मोक्षद्वार में शम, सद्विचार, सन्तोष, और साधु-समागमरूप चार द्वारपाल हैं, इन चारों द्वारपालों के विचार करने में पहिले ही शम का विचार किया है । उसमें पूर्वोक्त ६२ वें श्लोक में लिखा है कि शमशाली पुरुष से संपूर्ण क्रूरजन्तु और शान्त-जीव विश्वास पाते हैं । अर्थात् जीवों को उनसे विलकुल भय नहीं होता है, क्योंकि वे तो दयाप्रधान पुरुष हैं ।

जीवहिंसा करनेवाले जीवों की दुर्दशा कैसी होती है, देखिये—

यथा—

“ श्रयते प्राणिघातेन रौद्रध्यानपरायणौ ।

सुभूमो ब्रह्मदत्तश्च सप्तमं नरकं गतौ ” ॥ २७ ॥

पृष्ठ २०२ योगशास्त्र द्वितीय प्रकाश.

भावार्थ—सुना जाता है कि प्राणियों का घात करके रौद्रध्यान में तत्पर सुभूम और ब्रह्मदत्त दोनों सातवें नरक में गये । इसी कारण से जो लोग लड़के लड़े होते हैं, सो तो अच्छा ही है, लेकिन सपूर्ण अङ्गवाला होकर भी जो हिंसा करता है वह ठीक नहीं है ।

यथा—

“ कुण्ठिर्वरं वरं पञ्चुरशरीरी वरं पुमान् ।

अपि संपूर्णसर्वाङ्गो न तु हिंसापरायणः” ॥२८॥

पृष्ठ २६० यो० शा० द्वि० प्र०

इस श्लोक का भावार्थ ऊपर ही लिख दिया गया है । यदि यहाँ पर कोई शङ्का करे कि जिस हिंसा से रौद्रध्यान हो, वह नहीं करनी, किन्तु शान्ति के लिये की हुई हिंसा से तो रौद्रध्यान नहीं होता, इसलिये वह हिंसा तो निर्दोष है । इसके उत्तर में हेमचन्द्राचार्य कहते हैं कि—

“ हिंसा विघ्नाय जायेत विघ्नशान्त्यै कृताऽपि हि ।

कुलाचारधियाऽप्येषा कृता कुलविनाशिनी” ॥ २९ ॥

पृष्ठ २६० यो० शा० द्वि० प्र०

याने विघ्न की शान्ति के लिये की हुई हिंसा भी, उल्टे विघ्न की ही करनेवाली होती है । जैसे किसीकी कुल की रीति है कि अमुक दिन हिंसा करनी चाहिये; किन्तु वह हिंसा भी कुल का नाश करनेवाली ही है । देखिये कुलक्रम से प्राप्त भी हिंसा को छोड़कर काल-सौकरिक कसाई का पुत्र सुलस कैसा सुखी हुआ ? ।

यथा—

“ अपि वंशक्रमायातां यस्तु हिंसां परित्यजेत् ।

स श्रेष्ठः सुलस इव कालसौकरिकात्मजः” ॥३०॥

यो० शा० पृ २६१ द्वि० प्र०

यदाह—

“अवि इच्छन्ति य मरणं न य परपीडं कुणन्ति मणसा वि ।

जे सुविइअसुगइपहा सोचरिअसुओ जहा सुलसो ” ॥ १ ॥

यो० द्वि० २६१

तार्त्पर्य—कुल क्रम से प्राप्त हिंसा को भी त्याग करना चाहिये, हिंसा त्याग करने से जैसे कालसौकरिक कसाई का पुत्र सुलस श्रेष्ठ गिना गया है ।

प्राकृत गाथा का भावार्थ—जो पुरुष मृत्यु की इच्छा तो करता है परन्तु दूसरे को दुःख देने की मन से भी इच्छा नहीं करता है, वह उत्तम रीति से सुगति के मार्ग का ज्ञाता होता है, जैसे काल-सौकरिकपुत्र सुलस के कुटुम्ब ने उसे हिंसा करने के लिये बहुत ही प्रेरणा की, किन्तु उसने हिंसा नहीं की । यह दृष्टान्त विस्तार से योगशास्त्र में लिखा हुआ है । उसका सार यही है कि जब सुलस के कुटुम्ब ने अनेक युक्ति से हिंसा करने के लिये उसे बाध्य किया, यहाँ तक कि सुलस के पाप में भी भाग लेने को कबूल किया । तब सुलस लाचार हो कुहाड़ा लेकरके तो चला, किन्तु अपने कुटुम्ब के अन्तःकरण में प्रतिबोध करने के आशय से तथा स्वयं हिंसा से सर्वथा छूटने के विचार से जान बूझ कर उसने अपने ही पैर पर कुहाड़ा मारलिया । जिससे उसका पैर रुधिर और मांस से पूर्ण दिखाई देने लगा, तदनन्तर उसके चिल्लानेपर सभी कुटुम्ब इकट्ठा हुआ । उसके वाद जब उनलोगों के उचित रीति से दवा वगैरह करने पर भी सुलस की वेदना शान्त न हुई, तब उसने अपने कुटुम्ब से यह कहा कि हमारे दुःख में से थोड़ा थोड़ा तुमलोग भी बाँटलो । उस समय एक वृद्ध ने उत्तर दिया कि किसीकी वेदना क्या किसीसे बाँटी जा सकती है ? । तब तो सुलस बोला कि जब तुमलोग प्रत्यक्ष दुःख के भागी नहीं हो सकते हो तो क्या परोक्ष नरकादि दुःख में भाग लेने की शक्ति तुमलोगों में है ? , जो मुझको

झूठ मूठ हिंसा में फँसाते हो ? । इत्यादि अनेक युक्तिद्वारा बेचारा सुलस पाप कर्म से किसी प्रकार मुक्त हुआ । शास्त्रकारों ने इसीलिये तो सुलस को श्रेष्ठ दिखलाया है ।

जो कोई प्राणी इसी तरह जीवहिंसा का त्याग करेगा वही श्रेष्ठ गिना जायगा । किन्तु शान्ति के लिये जो पुरुष हिंसा करते हैं वे तो मूर्ख ही हैं; क्योंकि दूसरे की अशान्ति उत्पन्न करके अपनी शान्ति करनेवाले को विचारशून्य पुरुष समझना चाहिये । अतएव बहुत जगह जब कोई उपद्रव होता है तब धर्मात्मा पुरुष तो ईश्वर भजन, दान, पूजादि करते हैं, किन्तु नास्तिक और निर्दय मनुष्य प्रायः बलिदान देने की कोशिश करते हैं और अन्त में वे लोग भद्रिकलोगों को भी उस उन्मार्ग पर लेजाते हैं ।

यथा—

“ विश्वस्तो मुग्धधीर्लोकः पात्यते नरकावनौ ।

अहो ! नृशंसैर्लोभान्धैर्हिंसाशास्त्रोपदेशकैः ” ॥ १ ॥

पृष्ठ २७६ यो० शा० द्वि० प्र०-

भावार्थ—विचारे विश्वासू भद्रिक बुद्धिवाले लोग भी निर्दय, लोभान्ध और हिंसा शास्त्र के उपदेशकों से वञ्चित होकर नरकभूमि में जाते हैं; अर्थात् वे निर्दय, अपने भक्तों को नरक में ले जाते हैं ।

यह कुरीति तो गुजरात आदि सामान्य देश में भी प्रचलित है, याने निर्दय मनुष्य बकरे वगैरह जीव को मारकर अशान्ति से शान्ति चाहनेवाले दिखाई पड़ते हैं; इसीलिये महाशान्त-स्वभाव के पक्षपाती भी, हेमचन्द्राचार्य आदि आचार्यों ने जीवदयापर अत्यन्त प्रीति रखने के कारण हिंसाशास्त्र के उपदेश करनेवाले पुरुषों को नास्तिकाति-नास्तिकशब्द से कहा है ।

यथा—

“ ये चक्रुः क्रूरकर्माणः शास्त्रं हिंसोपदेशकम् ।

क्व ते यास्यन्ति नरके नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः? ” ॥ ३७ ॥

भाचार्य—जिन क्रूरकर्माओं ने हिंसोपदेशक शास्त्रों को रचा है, वे नास्तिकों से भी नास्तिक होने के कारण किस नरक के भागी होंगे यह नहीं मालूम पड़ता है ? । अर्थात् वे चाहे अपने मनमें आस्तिक होनेका दावा भलेही करें, वस्तुतः तो वे नास्तिकों से भी नास्तिक हैं । क्योंकि नास्तिकों के फन्दे में साधारण भी मनुष्य सहज में नहीं आते, इसलिये वे लोग आस्तिकों का वेप धरकर मुग्ध लोगों को विश्वास दिलाने हैं, अतएव वे बेचारे अनभिज्ञ अनर्थकारिणी हिंसा आदि निन्दनीय कृत्यों को भी धर्मही मानने लगते हैं ।

जिस हिंसा का दोष कदापि छूटही नहीं सकता उस हिंसा करनेवाले की नरकगति हिंसोपदेशकों ने भी अवश्य मानी है, किन्तु विचार करने से मुझे तो यही मालूम होता है कि जब हिंसोपदेशक लोग सत्यवक्ताओं से युक्तिपूर्वक विचार में परास्त होने लगे हैं तब डरकर अपने भक्तों के पास अपने सत्यवक्ता होने का घमण्ड रखने के लिये उन्होंने यह लिखा है कि यज्ञ, मधुपर्क, श्राद्ध और देवपूजा आदि में जो हिंसा की जाती है उसका फल यद्यपि स्वर्ग है, तथापि साथही साथ हिंसाजन्य पाप से नरकादि दुःख भी भोगना पड़ता है । इससे दुनियां के लोग उन्हें सत्यवक्ता मानते हैं कि 'देखिये यह ऐसे सत्यवक्ता है कि अपनी हार्दिक कुछ भी बात छिपी नहीं रखते' । परन्तु अपने सत्यवक्ता कहाने के लिये ही हिंसा में दोष उन्होंने माना है अन्यथा वे कदापि दोष न मानते ।

वर्तमान समय में जीवदयापालक मनुष्यों को देखकर याज्ञिक लोग, हिंसा की पुष्टि विशेष करते हैं और क्षत्रियों के लिये तो वे लोग हिंसा करना धर्मही बतलाते हैं और कहते हैं कि क्षत्रिय लोगोंको मृगया (शिकार) करने में कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि मांसाहार न करने पर शत्रुओं से देश की रक्षा होही नहीं सकती । ऐसे अनेक कारण दिखाते हैं, किन्तु वे उनकी युक्तियां बुद्धिक्रमान पुरुषों को ठीक नहीं मालूम देती हैं । देखिये शिकार के लिये दोष न मानना

तो राजाओं के प्रिय होने के लियेही लिखा है, क्योंकि यदि शिनाह करने में दोष न होता तो धर्मिष्ठ राजा लोग उसको क्यों छोड़ते ? और युक्ति से भी देखा जाय तो राजा का धर्म यही है कि निरपगधी जीव क्री रक्षाही करे न कि उसको मार डाले । अतएव निरपगधी जीवों को मारने वाले शत्रुओं के पुत्र्यार्थ को महात्मा लोग एक प्रकार से तिरस्कारही करते हैं कि—

“ रसातलं यातु यदत्र पौरुषं क नीतिरेपाऽशरणो यदोपवान् ।
निहन्यते यद् बलिनाऽतिदुर्बलो दृढा ! महाकष्टमराजकं जगत्” १
“ पदे पदे सन्ति भद्रा रणोत्कटा न तेषु हिंसारस एष पूर्यते ।
धिगीष्ट्यं ते नृपते ! कुशिक्रमं कृपाऽऽश्रये यः कृपणे मृगे मयि” २ ॥

भावार्थ—जो दुर्बल जीव बली से मारा जाता है इस विषय में जो पौरुष है वह रसातल को चला जाय, और अदोपवान् याने निर्दोष जीव अशरण हो अर्थात् उसका कोई रक्षक न हो यह कर्ता की नीति है; बड़े कष्ट की बात है कि बिना न्यायाधीश संसार अराजक हो गया है ।

दूसरे श्लोक में कवियोंने हरिण का पक्ष लेकर अहिंसा धर्म का उपदेश राजाओं के करने के लिये युक्तिपूर्वक उपदेशा की है कि—हे शत्रुयो ! यदि तुम्हारे अन्त कर्ण में स्थित हिंसा का रस तुम पूर्ण करना हो तो स्थान स्थान में लाखों जो संग्राम में भयङ्कर नुमट तैयार हैं, क्या वहां पर वह रस तुम्हाग पूर्ण नहीं हो सकता है ! अर्थात् उनलोगों से लड़कर यदि शत्रुकल्या को सफल करो तो ठीक है, किन्तु कृपा करने के लायक और कृपण मेरे मेरे बेचारे मृग में जो हिंसात्मक को पूर्ण करना चाहते हो इसलिये इस तुम्हारे दुष्ट पराक्रम को धिक्कार है ।

विवेचन—शत्रुओं का धर्म शत्रुत्वान् शत्रु के संसुप्त होने के लिये ही है, किन्तु वह भी योग्य और शान्त्वयुक्त और नीतिपूर्वक, निरुपद्रव होकर, तथा इननाही नहीं किन्तु उत्तमवर्गी वीर राजा के साथ ही करना चाहिये ।

ऐसा नियम है कि जो मनुष्य हार जाता है वह अपने मुख में घास लेकर और नम्र होकर यदि शरण में आजावे तो वह माफी पाता ही है किन्तु वह मारा नहीं जाता । इस लिये मृग कहता है कि हे राजन् ! न तो मेरे पास शस्त्र है और न मैं उत्तम कुल में राजाही हुआ हूँ किन्तु हमेशा मुख में घास रखनेवाला मैं निरपराधी जीव हूँ मुझे यदि मारोगे तो तुम्हारी कीर्ति कैसी होगी यह विचारणीय है ? । कहा हुआ है कि—

“ वैरिणोऽपि विमुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभक्षणात् ।

तृणाहाराः सदैवैते हन्यन्ते पशवः कथम् ? ” ॥ १ ॥

“ वने निरपराधानां वायुतोयतृणाशिनाम् ।

निघ्नन् मृगाणां मांसार्थी विशिष्येत कथं शुनः ? ” ॥ २३ ॥

“ निर्मातुं क्रूरकर्माणः क्षणिकामात्मनो धृतिम् ।

समापयन्ति सकलं जन्मान्यस्य शरीरिणः ॥ ” ॥ २५ ॥

“ दीर्यमाणः कुशेनापि य स्वाङ्गे हन्त ! दूयते ।

निर्मन्तून् स कथं जन्तून्तयेन्निशितायुधैः ? ” ॥ २४ ॥

इत्यादि अनेक श्लोकों से राजाओं के शिकार करने का निषेध प्रत्यक्ष सिद्धही है । इतनाही नहीं किन्तु जो वन में झरने का पानी और घास खाकर रहनेवाले निरपराधी जीवों को मांस के लोभी लोग मारते हैं वे क्या कुत्ताओं से विशेष गिने जासकते हैं ? । क्योंकि—

“ सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ ! ।

जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि ” ॥ ४१ ॥

भागवत ३ स्कन्ध, ७ वां अध्याय ।

भावार्थ—जीवों के अभय दान देने की एक कला को भी सपूर्ण वेद, यज्ञ, तप, दान आदि नहीं कर सकते हैं । और भी लिखा है कि—

“ ये त्वनेवंविदोऽसन्तः स्तब्धाः सदभिमानीनः ।

पशून् द्रुहन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान् ” ॥ १४ ॥

भागवत ११ स्कन्ध ५ अध्याय ।

भावार्थ—निश्चलभाव को प्राप्त होकर अहिंसा धर्म को न जानकर अपने को अच्छा मानने वाला जो असाधु पुरुष पशुओं से द्रोह करता है, वह उन पशुओं से दूसरे जन्म में अवश्य खाया जाता है । और श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है कि—

“ आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ! ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ” ॥३२॥

अध्याय ६ पत्र ११९ बहुत छोटा गुटका ।

भावार्थ—जो महात्मा सब में अपने समानही सुख और दुःख दोनों मानता है वही परम योगी माना जाता है ।

अब विचारने की बात है कि—

“स्वच्छन्दं वनजातेन शाक्रेनापि प्रपूर्यते ।

अस्य दग्धोदरस्यार्थे कः कुर्यात् पातकं महत् ? ” ॥१॥

भावार्थ—यदि वन में उत्पन्न हुए शाक से भी स्वच्छन्दता पूर्वक उदर पूर्ण होजाता है तो इस नष्ट उदर के वास्ते कौन पुरुष घोर पाप करे ? ।

देखिये, क्रूर काम करने वाले अपनी क्षणभर की तृप्ति के लिये अन्य जीवका जन्म नष्ट करते हैं क्या यह कोई बुद्धिमान् पुरुष योग्य मानेगा ? ! क्योंकि अपने अङ्ग में एक मुई लगने से भी जब दुःख होता है, तो तीक्ष्ण शस्त्रोंसे निरपराधी जीवोंका नाश करना क्या उचित है ? । प्रसंगानुसार ‘ वकरीविलाप ’ द्वारा जो सुन्दर उप-देश भारतेन्दु वाचू हरिश्चन्द्रजी ने किया है सो भी नीचे दिखलाया जातों है—

मानुष जनसों कटिन कोउ, जन्तु नाहिं जगवीच ।

विकल छाड़ि मोहि पुत्र लै, हनत हाय सब नीच ॥

वृथा जवन को दूमहीं, करि वैदिक अभिमान ।

जो हत्यारो सोइ जवन, मेरे एक समान ॥

धिक २ ऐसो धर्म जो, हिंसा करत विधान ।

धिक २ ऐसो स्वर्ग जो, बध करि मित्तत महान ॥

शास्त्रन को सिद्धान्त यह, पुण्य सु परउपकार ।
 पर पीड़न सों पाप कछु, बढ़ि के नहिं संसार ॥
 जज्ञन में जप जज्ञ बढ़ि, अरु सुभ सात्त्विक धर्म ।
 सब धर्मन सो श्रेष्ठ है, परम अहिंसा धर्म ॥
 पूजा लै कहँ तुष्ट नहिं, धूपदीप फल अन्न ।
 जो देवी बकरा बधे, केवल होत प्रसन्न ॥
 हे विश्वम्भर ! जगतपति ! जगस्वामी जगदीस ! ।
 हम जगके वाहर कहा, जो काटत मम सीस ॥
 जगमाता ! जगदम्बिके ! जगतजननि ! जगरानि ! ।
 तुम सन्मुख तुम सुतनको सिर काटत 'क्या जानि ? ॥
 क्यों न खींच कै खड्ग तुम, सिंहासन तें धाय ।
 सिर काटत सुत अधिक को, क्रोधित बलि ढिग आय ॥
 त्राहि २ तुमरी सरन, मैं दुखनी अति अम्ब ! ।
 अब लम्बोदरजननि विनु मो को नहिं अवलम्ब ॥

अब मांसाहार के लिये कवीर जी आदि महात्माओं ने क्या कहा है ? उसे देखिये—

“माँस अहारी मानई, प्रत्यक्ष राक्षस जान ।

ताकी संगति मति करै, होइ भक्ति में हानि ” ॥ १ ॥

“माँस खाय ते डेढ़ सब, मद्य पीवैं सो नीच ।

१ कवीर के प्रमाण देने से कवीर को हम कुछ प्रमाणिक पुरुष नहीं समझते । एक सत्य कवीर की साखी नाम की पुस्तक छपी है, वह भी ठीक नहीं है । कवीर की भाषा बहुत जगह ग्रामीण है उन्हें शास्त्रीयभाषा का ज्ञान नहीं मालूम पड़ता है । और उनका लेख रागद्वेष से भी पूर्ण हमें दिखाई देता है, यह बात साखी के अन्तिम दर्शननिन्दापरक वचनों से ही मालूम होती है । जिसमें उन्होंने जैनदर्शन की व्यर्थ असत्य आक्षेपों द्वारा निन्दा की है । तथापि उनमें दयादि सामान्य गुणों का पुष्टि करने वाला गुण, अवश्य प्रशंस्य था ; इसलिये उनकी कविता वाल जीवों को माननीय होने से यहाँ पर दी जाती है ।

कुल की दुर्मति पर हरै, राम कहै सौ ऊँच ” ॥ २ ॥

“मॉस मछलिया खात हैं सुरापान से हेत ।

ते नर नरक जाहिंगे, माता पिता समेत ” ॥ ३ ॥

“मॉस मॉस सब एक है, मुरगी हिरनी गाय ।

आँखि देखि नर खात है, ते नर नरकहिं जाय ” ॥ ६ ॥

“यह कूकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाय ।

मुख में आमिष मेलिके, नरक परंते जाय ” ॥ ७ ॥

“ब्राह्मण राजा वरन का, और पवनी छत्तीस ।

रोटी ऊपर माँछली, सब वरन भये खवीस ” ॥ ८ ॥

“कलिजुग केरा ब्राह्मणा, मॉस मछलिया खाय ।

पांय लगे सुख मानई, राम कहै जरि जाय ” ॥ ९ ॥

“तिल भर मछली खाय के, कोटि गज दै दान ।

काशी करवट लै मरै, तौ भी नरक निदान ” ॥ १६ ॥

“बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल ।

जो बकरी को खात है, तिनका कौन हवाल ” ॥ १८ ॥

“कविरा तेई पीर हैं, जो जानै पर पीर ।

जो पर पीर न जानि है, सो काफर वेपीर ” ॥ ३६ ॥

“हिन्दू के दया नहिं, मिहर तुरक के नाहिं ।

कहै कवीर दोनूं गया, लख चौरासी माँहिं ” ॥ ३९ ॥

“मुसलमान मारे करट सो, हिन्दू मारे तरवार ।

कहै कवीर दोनूं मिलि, जैहैं यम के द्वार ” ॥ ४० ॥

कवीर के कथानुसार शिकार आदि सभी हिंसा कार्य निषिद्ध और अनुचित है ।

सप्त व्यसनों की सर्व दर्शनकारों ने जो सूचना दी है, उसमें शिकार को भी एक व्यसन माना है यथा—

“द्यूतं च मांसं च सुरा च वेश्या पापद्धिचौर्ये परदारसेवा ।
एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोरातिघोरं नरकं नयन्ति” १

भानार्थ-जूआ. गान्नाहार. नृगपान, वेड्यागमन, शिकार, चोरी. और परदारगमन- ये सान व्यगमन, मनुष्यों को घोर से भी घोर नरक को प्राप्त करते हैं ।

विवेचन-पापधि. नृगया. ये सब शिकार के नाम हैं. नाम से सिद्ध होता है कि जिसमें पाप की वृद्धि हो वह पापद्धि है और व्यसन शब्द से सिद्ध होता है कि शिकारादि कृत्य महाकष्टमय है इतना दोष होने पर भी राजा का धर्म शिकार करना जो मानते हैं वे भी किसी अर्थ में जो तत्त्वज्ञानी माने जाते हैं यह भी एक देखने लायक बात है । कदाचित् कोई आदमी यह साहस करके कहे कि शिकार करनेवाला शम्भुविद्या में यदि कुशल हो तो देशरक्षा इसके द्वारा विशेष होगी. इसलिये ही राजाओं को शिकार में दोष नहीं माना है । इसका उत्तर यह है कि अपने को कुशल बनने के लिये अन्यजीवों का कुशल उच्छिन्न करना क्या मनुष्यों के लिये उचित है ? कदापि नहीं । प्राचीन पुरुष जो निशानेबाज होते थे तो क्या वे जीव मारने से ही होते थे ? नहीं, किन्तु एक ऊँचे स्थान पर नीबू या और कोई चीज रख कर उसको उडाते थे, जब वे स्थिर निशानों में कुशल हो जाते थे उसके बाद अस्थिर निशानों का अभ्यास करते थे । याने सूखे मिर्च को डोरी से ऊँचे टाँगते थे जब वह वायु के जोरसे हिलने लगता था तब उसे गोली से उडाते थे । इत्यादि अनेक प्रकार की अहिंसामय क्रिया से कुशलता प्राप्त करते थे, जैसे वर्तमान समय में भी कई एक अङ्गरेज लोग झूठी वस्तु बनाकर उसपर घोडाओं को दौडाते हैं तथा निशानों पर पूर्वोक्त कोई चीज रखकर अभ्यास करते हैं । जब सीखने के लिये अनेक रास्ते हैं तो अन्य को दुःख देकर स्वयं कुशल बननेवाले को कोई बुद्धिमान उचित नहीं गिनेगा । यदि राजा महाराजा को खुश करने के लिये शिकार करने की आज्ञा दी हो तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी २ दाक्षिण्यता भी दुर्जनता का काम कर जाती है; किन्तु स्वार्थान्धता ही अनर्थ को उत्पन्न

करती है । शिकार में कोई दोष न मानना, और शिकार राजा का भूषण कहना इत्यादि दाक्षिण्य और स्वार्थान्धता ही से है । सर्वप्रकार की जीवहिंसा में जो दोष माना है उसे मैं पुराणों के द्वारा पहिले ही सिद्ध कर चुका हूँ ।

सुश्रुत में भी कहा हुआ है कि—

“ पाठीनः श्लेष्मलो वृष्यो निद्रालुः पिशिताशनः ।

दूषयेदम्लपित्तं तु कुष्ठरोगं करोत्यसौ ॥ ८ ॥

सुश्रुत, पृष्ठ १९८

भावार्थ—मत्स्य श्लेष्माकारक, वृष्य, निद्राकारक और मांस-भक्षी होता है; और अम्ल पित्त का दूषित करता हुआ कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है ।

भिन्न भिन्न दर्शनकारों के भिन्न भिन्न आशय के द्वारा भिन्न भिन्न रीति से माने हुए आत्मतत्त्व के भिन्नता के कारण हिंसा शब्द में जब तक विवाद दृष्टि गोचर होता है तब तक अहिंसा धर्म की सिद्धि होनी अशक्य है । अतएव तत्संबन्ध में थोड़ा लिखकर इस निबन्ध को समाप्त करना चाहता हूँ । कितने ही दर्शनकार आत्मा और शरीर को एकान्त रीति से भेद मानते हैं । उनके अभिप्रायानुसार शरीर के छेदन, भेदन दशा में हिंसा नहीं मानना चाहिये; क्योंकि आत्मा शरीर से एकान्ततः भिन्न है । और एकान्त देहात्मा को अभिन्न मानने वाले महात्माओं के सिद्धान्तानुसार तो परलोक-भाव और हिंसा भी नहीं सिद्ध होसकती है, क्योंकि देह के नाश में देही आत्मा का भी नाश होगा, तब आत्मा घट पट की तरह अनित्य हुआ, तो फिर जैसे घट पट के नाश से कोई हिंसा नहीं मानता वैसेही अनित्य आत्मा के नाश से न तो हिंसा होगी और न कोई परलोकगामी होगा, और जब परलोकगामी कोई नहीं होगा तो परलोक का ही अभाव सिद्ध होगा । अतएव कथञ्चित् शरीर से भिन्नाभिन्नता से ही जीव की स्थिति अङ्गीकार करनी चाहिये; याने

किसी प्रकार से तो आत्मा शरीर से भिन्न है और किसी प्रकार से अभिन्न है ऐसा युक्तियुक्त माना जाय तब जो शरीर नाश के समय पीड़ा उत्पन्न होती है उसे हिंसा कहते हैं; और शरीर नाश होने से आत्मा पदार्थ दूसरी गति प्राप्त करता है इसलिये परलोक भी सिद्ध होता है । हिंसा का स्वरूप इस प्रकार तत्त्ववेत्ताओं ने दिखलाया है । यथा—

“दुःखोत्पत्तिर्भनःक्लेशस्तत्पर्यायस्य च क्षयः ।

यस्यां स्यात् सा प्रयत्नेन हिंसा हेया त्रिपाश्विता” ॥ १ ॥

भावार्थ—जिसमें दुःख की उत्पत्ति, मन को क्लेश, और शरीर के पर्यायों का क्षय होता हो, उस हिंसा को यत्नपूर्वक बुद्धिमान पुरुषों को त्याग करना चाहिये । विषय, कपाय, निद्रा, मादक वस्तुओं का पान करना, विकथारूप प्रमाद से दुःखोत्पत्ति, मनःक्लेश, और जीव से धारण किये हुए शरीर का नाशकरना ही हिंसा मानी जाती है । वह हिंसा ससाररूप वृक्ष के बढ़ाने के लिये अमोघ बीज है । यहां यह शङ्का उत्पन्न होती है कि योगी भोगी दोनों को चलने फिरने से हिंसा लगती है तो किस प्रकार ससाररूप वृक्ष का नाश हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि प्रमादी (अज्ञानी) पुरुष विना उपयोग भी क्रिया किया करता है, उससे जीव चाहे मरे, या न मरे यह दूसरी बात है. किन्तु हिंसा का पाप तो उस प्रमादी के शिरपर चढ़ता ही है परन्तु अप्रमादी पुरुष उपयोगपूर्वक गमनागमनक्रिया करता है यदि कदाचित् उसमें जीव मर भी जाय तो हिंसाजन्य दोष उसके शिरपर शास्त्रकारों ने नहीं माने हैं; क्योंकि परिणाम से ही बन्ध होता है, अतएव राजकीय न्याय भी इसीके अनुसार होता है, अर्थात् मारने के इरादे से ही मारनेवाले को फाँसी होती है, और मारने की इच्छा न करने पर अगर किसी कारण से कोई जीव मर जावे, तो उसे फाँसी नहीं मिलती, बल्कि निर्दोष समझकर छोड़दिया जाता है । क्योंकि हिंसा न करने पर भी मारने के इरादेमात्र से ही बहुत से पुरुषों को दोषपात्र मानकर न्याय-

युक्त दण्ड दिया जाता है । वैसेही प्रमादी पुरुष के हाथ पैर से कदाचित् जीव न भी मरे, तो भी परिणाम की शुद्धि न होने से दोष का पात्र तो वह अवश्य गिना जाता है और अप्रमादी पुरुष यत्नपूर्वक कार्य करे और फिरभी भावीभाव के योग से यदि कदाचित् कोई जीव मर भी जाय तो भी हिंसाजन्य दोष उसके गिरपर नहीं पड़ता इस तरह तत्त्ववेत्ताओं का अभिप्राय है । दशवैकालिक सूत्र में भी शिष्य इसतरह गुरु से प्रश्न करता है कि—

“ कहां चरे कहां चिद्धे कहांमासे कहां सए ।

कहां भुजंतो भासतो पावं कम्मं न वंघड” ॥ १ ॥

भावार्थ—कैसे चले और कैसे खडे हो और कैसे बैठे तथा कैसे सोवे और कैसे खावे और कैसे बोले जिसने पाप कर्म मुझसे न हो ? ।

जाचार्य उत्तर देता है कि—

“ जयं चरे जयं चिद्धे जयमासे जयं सए ।

जयं भुजंतो भासंतो पावं कम्मं न वंघड” ॥ १ ॥

भावार्थ—यत्नपूर्वक चलो, यत्नपूर्वक खडे हो, यत्नपूर्वक बैठो और यत्नपूर्वक सोवो, यत्नपूर्वकही खाओ और यत्नपूर्वक बोले तो पाप कर्म नहीं लगेगा । अर्थात् उपयोगपूर्वक कार्य करने से हिंसाजन्य दोष से दूषित ननुष्य नहीं होता है । अतएव योगी और भोगी के विषय में प्रश्नकरनेवाले को पूर्वोक्त कथन से सन्तोष मिलेगा । किन्तु एकान्तरूप से आत्मा को नित्यमाननेवाले और एकान्त पक्ष में आत्मा को अनित्य माननेवाले के सन्तव्यानुसार दोनों पक्ष में हिंसा शब्द का व्यवहार नहीं होगा । क्योंकि एकान्त आत्मा के नित्य माननेवाले के पक्ष में आत्मा अविनाशी है अर्थात् उनका नाश होनेवाला नहीं है । उसीतरह अनित्य पक्षवालों के मत में भी आत्मा प्रतिक्षण विनाशी होने से स्वयं नष्ट होनेवाला है उसका नश्यनाशकभाव दुर्घट है, तो फिर हिंसा किन्की ? । जहां हिंसा शब्द का प्रयोग ही नहीं है वहां अहिंसा धर्म की नहिमा स्वरश्चक के समान अस्तकल्पनाम्वरूप टहरेगी।

अतएव स्याद्वादमतानुसार कथञ्चित् नित्यानित्यभाव आत्मा में स्वीकार करना ही होगा, तब परिणामी आत्मा का उत्पाद, व्यय होने में कुछ भी विरोध नहीं आवेगा । और उत्पाद व्यय होने से भी पदार्थ का मूलस्वरूप जो तद्भावाव्ययरूप नित्यत्व है वह बनाही रहता है । नित्यैकान्तवादी नित्य का लक्षण 'अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूपं नित्यम्' इस तरह करते हैं । अर्थात् जो न कभी पतनको प्राप्त हो, और न उत्पन्न हो, ऐसी स्थिर जो वस्तु है वह नित्य है । किन्तु यह संसारी जीव में लक्षण नहीं घटेगा, क्योंकि जन्म मरणादि क्रिया आत्मा के जीवपरत्व में ही दिखाई देती है । इसी तरह एकान्त अनित्य पक्षमें अनित्य का लक्षण 'तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगिकत्वं' है, अर्थात् प्रथम क्षण में सभी पदार्थों की उत्पत्ति, और द्वितीय क्षण में स्थिति, और तृतीय क्षण में नाश होता है ऐसे माननेवालों के मतानुसार सांसारिक व्यवहार सुव्यवस्थित नहीं बनेगा । क्योंकि पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा से आत्मा, अनेक नरतिर्यञ्चादि पर्यायादि का अनुभव करता है, अतएव अनित्य है । द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से आत्मा अच्छेदी, अभेदी, अविनाशी शुद्ध, बुद्ध, अविकारी, असख्यप्रदेशात्मक, सच्चिदानन्दमय पदार्थ है और इसी आत्मा को प्राण से मुक्त करने को ही हिंसा कहते हैं । यह हिंसा आत्मा में युक्तियुक्त नित्यानित्यभाव मानने ही में सिद्ध होती है । अत एव हिंसा के त्याग करने को ही अहिंसा धर्म कहते हैं । विपर्यास-बुद्धिवाले पुरुष कुतर्काधीन बनकर कहते हैं कि घातकजन्तुओं के मारने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक जीव के मर जाने से अनेक जीव बचाये जायेंगे । किन्तु जो लोग ऐसा मानते हैं उनकी भूल है । क्योंकि संसार में प्रायः समस्त प्राणी किसी न किसी अश में किसी जीव के हिंसक दिखाई देते ही हैं तो पूर्वोक्त न्यायानुसार सभी जीवों के मारने का अवसर प्राप्त होगा, तब तो लाभ के बदले उलटी हानि ही होगी । अतएव हिंसक जन्तुओं के मारने को धर्म

मानना सर्वथा अनुचित है । चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, सभी प्रकार के जीवों को भय से मुक्त करने में परम धर्म है; क्योंकि परिणाम में बन्ध और क्रिया में कर्म दिखलाया है ।

चार्वाक के संबन्धी संसारमोचक कहते हैं कि— दुःखित जीवों को मारदेने से उनके दुःख का नाश होजाता है और दुःख से जीवों को मुक्त करना ही परम धर्म है । ऐसी स्थूल युक्ति से धर्ममाननेवाले यदि थोड़ी भी दीर्घदृष्टि से देखते तो ऐसी भारी भूल में कभी न पड़ते । यद्यपि हाथ, पांव के टूट जाने से, अथवा ज्वरादि वेदना से विह्वल जीवों को देख करके मारने की क्रिया उनके सुख के लिये गोली से वे भले ही करें किन्तु वास्तविक रीति से देखा जाय तो स्वल्प वेदनावाले को अत्यन्त वेदनावान् बनाते हैं । क्योंकि जो जीव इस भव में स्वल्प वेदना का अनुभव करता था वही परलोकमें अवगर्भादि की अनन्त वेदना सहन करेगा । तथा पूर्व वेदना से जो अधिक गोली लगने से वेदना होती है वह तो प्रत्यक्ष सिद्ध ही है इसलिये वे जीव आर्तरोद्रध्यान वाले होने से नरकादि गति के भागी होते हैं । अतएव दुःख से मुक्त करने के आशय से गोली मारना उनका भ्रान्तिरूप ही है । यदि यह आशय सच्चा भी हो तो जिस तरह पशुओं की पीडा दृडाना चाहते हैं उसी तरह अपने माता पिता को भी दुःखित देखकर उन्हें मारकर उस दुःखसे उन्हें मुक्त क्यों नहीं करते हैं ? । क्योंकि मनुष्य को सर्वत्र समान दृष्टि ही रखना उचित है । दुःखी प्राणियों के मारने से धर्म माननेवालों को सुखी जीवों का भी संहार करना चाहिये, जिससे कि उन जीवों से संसारवर्धक पाप कर्म न होने पावें । इत्यादि अनेक अनर्थरूप आपत्तिया आ पडती हैं, इसीलिये संसारमोचकों को उचित है कि कुयुक्ति रूप कदाग्रह से मुक्तहोकर वस्तुतः संसारमोचक बनें । नास्तिकगिरोमणि चार्वाक तो यह कहते हैं कि— जब आत्मा पदार्थ का ही ठिकाना नहीं है तो फिर हिंसा किसकी होगी ? । तात्पर्य यह है कि भूतों (पृथिव्यादि) से

चलनादि सभी क्रिया उत्पन्न होती है, जैसे—ताड़ी, गुड, आटा वगैरह पदार्थ से एक मादकशक्ति विचित्र उत्पन्न होती है। उस शक्ति के प्रध्वसाभाव में ही लोग मरण का व्यवहार करते हैं, किन्तु मरने के बाद कोई भी परलोक में नहीं जाता। क्योंकि जब आत्मा पदार्थ की सत्ताही नहीं है तब परलोक प्राप्ति कहां से होगी और परलोक का कारण पुण्य पाप जब सिद्ध नहीं हुआ तब पुण्य पाप का कारण धर्म अधर्म भी सिद्ध न होगा। और धर्म अधर्म की अस्त दशा में तप, जप, योग, ज्ञान, ध्यान आदि क्रिया सब विडम्बना प्राय है, इत्यादि कुविकल्प करनेवाले चार्वाकों को समझना चाहिए कि पूर्वोक्त युक्ति बतानेवाला कोई पदार्थ चार्वाक के पास है या नहीं। और यदि है तो वह पदार्थ जडरूप है या ज्ञानरूप ?। यदि जडरूप है तो जड में ऐसी शक्ति नहीं है कि आस्तिकों को नास्तिक बना सके। और यदि ज्ञानरूप कहा जाय तो जड से अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध होगा। क्योंकि चार या पांच भूतों से शक्ति उत्पन्न होने में जो दृष्टान्त दिया जाता है वह विषम दृष्टान्त है क्योंकि ताड़ी वगैरह पदार्थ में मदशक्ति तो होती है किन्तु पृथिव्यादि पदार्थों में ज्ञान गुण नहीं होता अतएव पञ्चभूतों से उत्पन्न होनेवाली शक्ति में क्या ज्ञान गुण दिखाई पड़ता है ?। तथा जो शक्ति हमारे तुहारे में है वह भी भिन्न स्वभाववाली दिखाई देती है, इसी तरह अन्य में भी अन्य प्रकारकी मालूम पडती है। अतएव वह शक्ति भूतों से सर्व प्रकार स्वतन्त्र माननी पड़ेगी, तथा कर्माधीन भी माननी होगी। क्योंकि विचित्र प्रकार के कर्मों से विचित्र स्वभाववाली देख पडती है। उसी शक्ति को आस्तिकलोग आत्माशब्द से कहते हैं। किन्तु यदि चार्वाक लोगों से प्रकारान्तर से पूछा जाय कि तुम लोग नास्तिक मत की दृढता के लिये जो हेतु देते हो वह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ?। अप्रामाणिक तो नहीं कहकसते, क्योंकि सारा कर्त्तव्य ही तुहारा अप्रामाणिक हो जायगा। और प्रामाणिक पक्ष में प्रश्न उठता है कि उसमें प्रमाण प्रत्यक्ष है या परोक्ष ?। परोक्ष प्रमाण को तो परलो-

कादि के मानने के डर से तुम नहीं मान सकोगे। अब केवल प्रत्यक्ष बचता है। क्योंकि 'प्रत्यक्षमेक चार्वाकः' यदि प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानोगे तो वह तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाणीभूत है या नहीं, ऐसा कहने वालों को समझाना पड़ेगा। जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाणीभूत है तो कौन प्रमाणसे प्रमाणीभूत है?, इस पर यदि कहोगे कि प्रत्यक्ष से, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाणीभूत है, या नहीं, इत्यादि अनवस्थादोष आ जायगा; इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाण मानने के लिये अनुमान करना पड़ेगा, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अव्यभिचारित्वात्, यदव्यभिचारित् प्रमाणं, यथा घटज्ञानम्, इत्यादि अनुमान का आधार, प्रत्यक्ष की प्रमाणता स्वीकार करने में लेना पड़ेगा। तो फिर जब अनुमान अनायास सिद्ध हुआ तो आत्मा पदार्थ भी सिद्ध होगया। क्योंकि—“ अस्ति खलु आत्मा, सुखदुःखादि सवेदनवत्त्वात्, यः सुखदुःखादिसवेदनवान् स आत्मा, यथा अस्मदाद्यात्मा” इत्यादि युक्तियों से आत्मसिद्धि होने के बाद, परदेहादि में भी आत्मा की सिद्धि होगी। तो फिर आत्मसिद्धि होनेके बाद परलोकादि की सिद्धि स्वाभाविक हो जायगी, और परलोकादि भी पुण्यपाप से सिद्ध हुआ तो धर्माधर्म भी सिद्ध ही है। धर्माधर्म की सत्त्वदशा में, तप, जप, ज्ञान, ध्यानादि सभी कृत्य सफल है। तिसपर भी इनको जो निष्फल कहते हैं उन्हें विचारशून्य कहना चाहिये। और जहाँ पर आत्मा पदार्थ सिद्ध है वहाँ पर अहिंसा का विचार युक्तिसिद्ध है। यद्यपि बहुत से लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं तथा बहुत से लोग इन्द्रिय को ही आत्मा मानते हैं। इत्यादि अनेक तरह के कल्पितमतजाल दुनियाँ में फैले हुवे हैं। जिनमें मछलियों की तरह भद्रिक लोग फसकर कष्ट को पारहे हैं। उन लोगों पर भावदया लाकर यथाशक्ति शुभ मार्ग दिखलाने की जो चेष्टा करता है वही पारमार्थिक परोपकारी है।

शरीर और इन्द्रियों को आत्मा माननेवाले वस्तुतः चार्वाक के संबन्धी हैं, क्योंकि शरीर को ही जो आत्मा मानते हैं उनसे यदि

पूछा जाय कि मृतावस्था में शरीर तो वैसाही बना रहता है किन्तु पहिले की तरह उसमें चंचलता क्यों नहीं देखी जाती ? उसके उत्तर में वे लोग यदि यह कहें कि वैसी एक शक्ति का उसमें अभाव होगया है, तो उनसे यह पूछना चाहिये कि वह तुल्यगी शक्ति शरीर से भिन्न है या अभिन्न ? । अभिन्न पक्ष का आश्रय नहीं लिया जा सकता । क्योंकि अभिन्न हो तो फिर मृत शरीर में भी वह शक्ति होनी चाहिये । भिन्न मानांगे तो वह शक्ति चिद्रूप है या अचिद्रूप ? । अचिद्रूप पक्ष मानने में, अहं मुखी, अहं दुःखी यह प्रत्यय (ज्ञान) नहीं होगा । और यदि चिद्रूप मानांगे तो अव्यन्तर से शरीर से भिन्न आत्मा ही भिन्न हुआ । अब इन्द्रिय को आत्मा मानने वाले का भ्रम दूर किया जाना है । इन्द्रिय को आत्मा माननेवालों के मत में जो सामुदायिक ज्ञान होता है अब वह नहीं होना चाहिये । अर्थात् मैंने सुना और मैंने देखा, तथा मैंने स्पर्श किया इत्यादि सामुदायिक प्रतीति आत्रालगोपाल को जो होती है वह नहीं होगी । क्योंकि सुननेवाला तो करणेन्द्रिय है और देखनेवाला चक्षुरिन्द्रिय है, तथा गन्धग्राहक घ्राणेन्द्रिय है एवं रसलेनेवाला रसनेन्द्रिय है, और स्पर्श करनेवाला स्पर्शेन्द्रिय है । तो जब इन्द्रियादि ही आत्मा तुम्हारे मत में है तो तत्तत् इन्द्रियों से भिन्न भिन्न ज्ञान होना चाहिये किन्तु वैसा न होकर सामुदायिक ज्ञान होता है । अतएव इन्द्रियों का एक नायक आत्मा अवश्य होना चाहिये । ऐसा न हो तो मृतावस्था में इन्द्रियों तो नष्ट नहीं होती है किन्तु ज्ञान नहीं होता । उसका कारण वहा पर आत्मा का अभाव होनाही मानना पडेगा । क्योंकि आत्मा शरीर और इन्द्रियों को छोडकर गत्यन्तर करता है इसलिये आत्मा इन्द्रिय नहीं है । किन्तु भिन्न ही है ।

वास्तविक में तो आत्मा नित्य है किन्तु कर्म के संबन्ध से जन्म मरणादि होने की अपेक्षा से अनित्य माना जाता है । जैनशास्त्रकार द्रव्यमात्र को उत्पाद स्थिति व्ययात्मक मानते है । आत्मा भी एक

सच्चिदानन्दनय द्रव्य है वह भी स्थिति उत्पाद व्यय शब्द का भागी होता है । स्थिति कहने से द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से अच्छेदी, अमेदी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध आत्मा है । उत्पाद, व्यय, जन्म मरणादि को लेकर आत्मा में पर्यायार्थिकनय स्वीकार करना पड़ता है । क्योंकि उनका अन्यान्य कार्यकारणभाव है । वही अनादि काल का व्यवहार चित्त में रखकर तत्त्ववेत्ताओं ने आत्मा को ज्ञाता, द्रष्टा, भोक्ता, कर्ता और कायपरिमाण नाना है किन्तु वास्तविक में उसने कायपरिमाणत्व भी नहीं है क्योंकि वह तो अरूपी पदार्थ है । और परिमाण तो रूपी पदार्थ में ही होता है । आकाश में यह परिमाण जो माना जाता है वह वास्तविक नहीं है किन्तु औपचारिक है । वैसे ही आत्मा का परिमाण नहीं है किन्तु कर्मरूप शृङ्खला से बँधे हुए शरीर का संवन्धी होने से शरीरी कहा जाता है । याने कायपरिमाण जो माना हुआ है सो युक्तियुक्त है । व्यापक परिमाण मानने से अनेक आपत्तियाँ आती हैं, क्योंकि व्यापक परिमाण मानने से बटपट के नाश के समय आत्मा को व्यापक होने से दुःख सुख होना चाहिये किन्तु होता नहीं है । इसका उत्तर यही है कि ज्ञान होने का नियम शरीर मानना, 'शरीरावच्छेदेन ज्ञानमुत्पद्यते' ऐसा मानने से भी ठीक नहीं होता है । क्योंकि मोक्षावस्था में शरीर नहीं है इस लिये ज्ञान नहीं होना चाहिये । और मृतावस्था में शरीर के रहने पर ज्ञान होना चाहिये । इसके उत्तर में कदाचित् यह कहा जाय कि मृतावस्था में आत्मा नहीं है, वाह ! व्यापक परिमाणवाला आत्मा जब सर्वत्र है तब मृत शरीर में क्यों न हो ? मोक्षावस्था में ज्ञान है या नहीं है ? है तो वह हमको इष्ट है । वाह ! क्या कर्मों को छोड़ कर मुक्तिगामी जीव अज्ञान के भागी होते हैं, मुक्ति में ज्ञानादि यदि न मानाजाय तो पापाण और सुक्तात्मा का भेद क्या होगा ?, इत्यादि अनेक आपत्तियाँ आत्मा के व्यापक मानने में आती हैं । अतएव औपचारिक कायपरिणाम आत्मा में मानना ही उचित है, उस आत्मा के

दुःखी या क्लेशी अथवा प्राणमुक्त करने से हिंसा होती है । उस हिंसा का त्याग रूप अहिंसा धर्म संपूर्ण प्राणियों को शुभावह है ।

बहुत से लोग तो केवल शब्दशास्त्र को ही पढकर अपने को बड़ा पण्डित मानते हैं, उनसे कोई जिज्ञासु पुरुष पूछे कि— हे महाराज ! जैनधर्म कैसा है ? तो उसके उत्तर देने के लिये और अपने पाण्डित्य की रक्षा करने के लिये तथा संसार समुद्र की वृद्धि करने के लिये जैनधर्म का स्वरूप न जानकर कहते हैं कि ईश्वर को जैनी लोग नहीं मानते हैं, और आत्मा को अनित्य मानते हैं, तथा श्राद्धादि कृत्यों को भी वे लोग मिथ्या मानते हैं । इत्यादि अपने मन का जवाब देकर जिज्ञासु मनुष्यको उसकी कल्याणेच्छा से अस्त व्यस्तकर देते हैं । ऐसी उनलोगों कि बनावटें अब भी प्रत्यक्ष दिखाई पडती हैं ।

पाठक महाशय ! जहां तक जैनशास्त्र नहीं देखा जायगा और पक्षपात रूप चरमा नहीं हटाया जायगा वहाँ तक धर्मक्रिया भी विडम्बना रूपही है, जैनोंने रागद्वेषादि अठारह दूषण रहित, ज्ञान, दर्शन, चारित्रमय, शुद्ध, बुद्ध निरञ्जन, वीतराग देव, जो कि अर्हन् अरिहन्तादि शब्दों से प्रसिद्ध है उसी को ईश्वर माना है । आत्मा के सबन्ध में जैन शास्त्रकारों ने जो खोज की है वह दूसरे दर्शनों में कहीं भी देखने में नहीं आती है । जैनों का नित्यानित्य का स्वरूप जो पक्षपातरहित देखा जाय तो अवश्य ही एकान्तपक्ष बुद्धिमानों से तिरस्कारदृष्टि से देखा जायगा ।

आत्मा मूलरीति से नित्य है किन्तु जन्म मरणादि धर्मों को लेकर नये नये पर्यायान्तर को धारण करता है इसलिये अनित्य दिखलाया है । सापेक्षित आशयों को न जानकर जो पण्डितलोग अण्ड बण्ड कहने को साहस करते हैं वह उनकी बड़ी भारी भूल है । हिंसा कर्म से युक्त श्राद्धादि जो है उसको ही जैन नहीं मानते हैं, इतनाही नहीं, किन्तु उस श्राद्ध करनेवाले को भी निषेध करते हैं । यथा—

“ एकस्थानचरोऽपि कोऽपि सुहृदा दत्तेन जीवन्नपि

प्रीतिं याति न पिण्डकेन, तदिदं प्रत्यक्षमालोक्यते ।

जातः क्वाप्यपजीवितश्च किल यो, विभ्रन्नलक्षां तनुं

मुग्धैः श्वेव स तर्प्यते प्रियजनः पिण्डेन कोऽयं नयः" ? ॥१॥

भावार्थ—एक स्थान में रहनेवाला हो तथा जीता भी हो तो

भी वह मित्र के दिये हुए कल्पित अन्न से तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है । यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है, अर्थात् स्वयं भोजन करने से ही तृप्ति होती है । मृत्यु पाकरके कहीं पर उत्पन्न भये हुए तथा परोक्ष शरीर को धारण करनेवाले प्रियजन अर्थात् माता पितादि कुत्ते की माफिक मूर्ख लोगों से भोजन कराकरके तृप्त किये जाते हैं । यह कौनसा न्याय है ? । दूसरी बात यह है कि मास विना श्राद्धक्रिया ठीक नहीं होती है वैसीही कल्पित युक्तियाँ देकरके ब्राह्मणों की मांसद्वारा तृप्ति की जाती है । किन्तु ऐसे श्राद्ध करने की सम्मति कौन धर्मप्रिय देगा ? । एक दफे ऐसा हुआ था कि पिताके श्राद्ध के रोज पुत्र ने एक भैसा खरीदा, जोकि पिता का जीव था, उसको मारकर उसने श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया उसके बाद खुद जब भोजन करने बैठा, तब एक ज्ञानी महात्मा भिक्षा के निमित्त वहाँ गये किन्तु महात्मा जी भिक्षा न लेकर ही चले गये, इससे वह श्राद्ध करनेवाला मुनि जी के पीछे चला और पैरपर पड़कर बोला कि हे पूज्य-वर्य ! मेरे घर पर आप पधार कर भी विना भिक्षा लिये ही क्यों चले आये ? । मुनि ने शान्त स्वभाव से तब जवाब दिया कि जहा मासाहार हो ॥ हो वहा से भिक्षा लेनेका मुनियों का आचार नहीं है । मुझे तुम्हारे घर में आने से वैराग्य की वृद्धि हुई है । तब उसने कहा कि मेरे घर जाने से आपकी वैराग्य वृद्धि का क्या कारण है सो कृपाकरके कहिये । उसके उत्तर में मुनि ने उपकारवृद्धि से कहा कि जिसका श्राद्ध तुमने किया है उसी का जीव जो महिष था उसे तुमने मारा है । और जो कुत्ती मासमिश्रित दूड़ी को खाती है वह तेरी माता है, और जिसको तू गोद में बैठा कर मासयुक्त कवल देता है वही तेरा

पक्का दुःखान है इत्यादि कारणों को देख करके मुझे वैराग्य हुआ है । तब उसने कहा कि यह बात सत्य है कि नहीं इसमें निश्चय कैसे हो ? । मुनि ने कहा कि कुत्ती जहा ज़मीन खनती है वहां पर द्रव्य है अर्थात् कुत्ती तुझे गडा हुआ धन बतावेगी । कुत्तों के स्वभावानुसार कुत्तीने उस ज़मीनको खनडाला, तदनन्तर उसमें से द्रव्य प्राप्त हुआ । और उसको निश्चय हुआ कि श्राद्ध करने से यह अनर्थ हुआ । अर्थात् हिंसा हुई । श्राद्ध करने से पिता को पहुँचता है यह बात झूठी है क्योंकि अपना क्रिया हुआ ही अपने को मिलता है । श्राद्धादिकृत्य स्वार्थान्ध मनुष्योंने अपनी जीविका के लिये ही चलाया है । यह समझकरके, उसने प्रतिज्ञा की कि आज से कभी श्राद्ध नहीं करना । यह बात जान करके भी मांसाहार के लोभ्य बहुत से ब्राह्मणाभासों ने मिलकर विचार किया कि श्राद्ध में साधुओं को भिक्षा नहीं देनी चाहिये । जो बात आज भी पर्वदेश में प्रचलित है । कर्मपुराण में लिखा है कि अतिथि-साधु वगैरह को भोजन कराकर श्राद्धकरनेवाले को भोजन करना चाहिये । तथा उनको न खिलाकर खानेवाले को बड़ा पातक कहा है ।

यथा—

“भिक्षुको ब्रह्मचारी वा भोजनार्थमुपस्थितः ।

उपविष्टस्तु यः श्राद्धे कामं तमपि भोजयेत् ॥ १ ॥

अतिथिर्यस्य नाश्नाति न तत् श्राद्धं प्रशस्यते ।

तस्मात् प्रयत्नात् श्राद्धेषु पूज्या ह्यतिथयो द्विजैः ॥ २ ॥

आतिथ्यरहिते श्राद्धे भुञ्जते ये द्विजातयः ।

काकयोनिं व्रजन्त्येते दाता चैव न संशयः ॥ ३ ॥

कर्मपुराण २२ अध्याय पृ० ६०८


वर्तमान समय में उपरोक्तलेख से विपरीत ही प्रवृत्ति दिखाई देती है । अतएव पूर्वोक्त बात से श्राद्ध में साधुओं को भिक्षा न देने की प्रवृत्ति चलाई गई है ।

अब अन्त में जैनलोग ईश्वर तथा आत्मा इत्यादिको पूर्वोक्त रीतिसे मानते हैं किन्तु श्राद्धको नहीं मानते । क्योंकि अहिंसा से उत्पन्न होनेवाला घर्म क्या हिंसासे हो सकता है ? । जलसे उत्पन्न होनेवाला कमल क्या अग्निसे हो सकता है ? । मृत्युदेनेवाला विष अगर जीवनवृद्धिसे खाया जाय तो क्या वह जीवन दे सकता है ? । वैसेही पापका हेतुमृत वध क्या कथनमात्रसे अवध हो सकता है ? ।

सज्जनो ! अपने अन्तःकरण में मैत्री भावको धारण करो, आतृभावशब्द को आगे करके कितनेही लोग मैत्री को भूल गये है । आतृभाव यह है कि मनुष्यों के साथ प्रेमभाव रखना, और क्षुद्र-जन्तुओंसे लेकरके इन्द्रतक प्रेमभाव को ही मैत्रीभाव कहते है जब इस मैत्रीभाव को याद करोगे तबही तो मांसाहार छूटेगा और मांसाहार के छूट जाने पर ही वास्तविक में परमेश्वर के भक्त बनोगे ॥



मांसाहारनिषेध के विषय में पाश्चात्य विद्वानों के अभिप्रायों का संग्रह ।



(१)

अंग्रेजी के प्रसिद्ध विश्वकोश इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में मांसाहारपरित्याग के विषय में जो कुछ लिखा है उसका सारांग नीचे दिया जाता है ।

“ मांसाहार परित्याग के लाभ अनेक बतलाये जाते हैं जिनमें प्रसिद्ध केवल ये ही हैं—

- (१) स्वास्थ्यसम्बन्धी लाभ—जो लोग मांसाहार करते हैं सभव है कि उन्हें वे रोग पकड़ें जो कि उस पशुके शरीरमें रहे हों जिसका मांस वे खाते हैं । इसके अतिरिक्त जो पशु अपने नैसर्गिक भोजन घासके अतिरिक्त और २ पदार्थ खाते हैं उनका मांस खानेवाले बहुधा गठिया, वात, पक्षाघात प्रभृति वात-विकारोंमें उत्पन्न हुए रोगों से आक्रान्त होते हैं ।
- (२) अर्थ शास्त्र सम्बन्धी लाभ—फलाहार की अपेक्षा मांसाहार अधिक खर्चीला होता है । जितने में दो चार आदमी खा सकते हैं मांसाहार की व्यवस्था करने से उतनेमें एक आदमीको भी पूरा नहीं पड़ेगा ।
- (३) सामाजिक लाभ—एक एकड़ भूमि में धान, गेहूँ आदि बोये जाय तो उसमें उत्पन्न हुए अन्नको जितने मनुष्य भोजन कर सकेंगे वही पैदावार यदि आहारोपयोगी पशुओंको खिला दी जाय तो उन पशुओंके मांस से उतने मनुष्यों का पेट नहीं भरेगा । जैसे, मान लीजिये कि एक एकड़ भूमि में सौमन धान पैदा हुआ उसे एक मनुष्य सालभर अपने सारे परिवारवर्गों के साथ खाता है लेकिन यदि हम दस पशु पालते हैं और उनके लिये उतनी भूमि निकाल दी है तो देखते हैं कि वे जानवर शीघ्रही उसे खा जाते हैं और उनके मांससे एक आदमी का भी साल भर तक भोजन निर्वाह होना मुश्किल है ।
- (४) जातीय उन्नति—सभी सभ्य जातियों का यह उद्देश्य होना चाहिये कि हमारी जाति में अधिक परिश्रमी, और कार्यक्षम व्यक्ति उत्पन्न हों

और उनकी संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि हो यह तभी संभव है जब कि लोग अधिक शाकाहार करें। ऐसा करने से यह होगा कि ज्यों २ निरामिष भोजन करनेवालों की संख्या बढ़ेगी त्यों २ कृषक लोग अधिक परिश्रम करके अन्न उत्पन्न करनेकी चेष्टा करेंगे और इस प्रकार से उस जाति या समाज में अधिक परिश्रमी लोग उत्पन्न होंगे।

- (५) चारित्रिक उन्नति—जिस मनुष्य में साहस, वीरता और निर्भयता आदिके गुण आरम्भ में आ चुके हों उसे उचित है कि ज्यों २ उसका ज्ञान बढ़ता जाय त्यों २ मनुष्यता सीखे और पीड़ित जीवोंके साथ सहानुभूति करनेका अभ्यास पैदा करे। अतएव चूँकि निरामिष आहार करने से, मांसाहारद्वारा पशुओं पर जो अत्याचार किया जाता है और उन्हें पीड़ा पहुँचायी जाती है वह दूर हो जायगी इसलिये मांसाहारकी प्रवृत्तिका अवरोध करनाही सर्वथा उचित है।

(२)

खोराक, आरोग्य और बल.

१३०

लंडनकी काउन्टीकौंसिलका प्रयोग.

इ० स० १९०८ में ' लंडन वेजीटेरियन एसोसीएशन ' के सेक्रेटरी मिस, एफ, आइ, निकलसनने १०००० लड़कोंको छ महीने तक वनस्पति के खोराक पर रक्खा था, और ' लंडन काउन्टीकौंसिल ' ने इतनेही लड़कोंको छ महीने तक मांसाहार पर रक्खा था छ महीने पश्चात् इन दोनों विभाग के बालकों की परीक्षा वहाँ के वैद्यकशास्त्रके जाननेवाले विद्वानोंने की थी, और उसमें यह सिद्ध हुआ था कि ' वनस्पति के आहार करनेवाले बालक मांसाहारी बालकों से अधिक तन्दुरुस्त, वजन में विशेष, और स्वच्छ चमड़ीवाले थे '

' लंडन काउन्टीकौंसिल ' की विनती से उसी के प्रबन्धमें लंडनकी ' वेजीटेरियन एसोसीएशन सभा ' लंडन के हजारों गरीब बालकोंको वनस्पति के आहार पर रखती है।

(३)

प्रॉ. एच शाफहोक्षेन महाशय कथन करते हैं कि मांस खाने का स्वभाव यह कोई मनुष्य की मूल प्रेरणा नहीं है कारण कि पूँछ रहित वन्दरों की भाँति वह उसके दाँतों पर से मेवा खाने वाला है और इसी लिये मांस खाने के वास्ते तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है

डा मिल्वेस्टर ग्रेहाम महाशय कहते हैं कि- शरीर मंत्रन्धि बनावट के सुहावले की विद्या सिद्ध करती है कि मनुष्य स्वाभाविक रीति से फल, अन्न, फल, वीज मेवा और अनाज के दानों के ऊपर निर्वाह करने वाला प्राणी है।

प्रमाणभूत डॉक्टरों का डंडोरा (उद्घोषणा)

बहुत दफे ऐसा पूछा जाता है कि, वेजीटेरियन याने अन्न, फल और वनस्पति के भोजन के विषय में कौनसे प्रसिद्ध डॉक्टरों का मत है? उनलोगों के लिये यह जाते सूचना बहुत ही उपयोगी होगी यह सूचना प्रसिद्ध डॉक्टरों ने प्रकट की है, और लन्दन के पत्रों में भी छपी थी, इन डॉक्टरों ने स्वयं वेजीटेरियन भोजन पर राह करके अपने रोगियों पर प्रयोग करने के पश्चात् ही प्रसिद्ध किया है कि 'मनुष्यों की संपूर्ण तन्दुरस्ती के लाभ को अत्यन्त उपयोगी खोराक वेजीटेरियन है, न कि मांस मछली का।

“ हम नीचे इलाखर करने वाले डॉक्टरों ने वेजीटेरियनीयम याने अन्न, फल, वनस्पति के खोराक को विद्याकी सूक्ष्मता से अन्वेषण किया है और उनके मूल तत्त्वोंको अनुभव में लेनेके बाद यह सूचना करके प्रसिद्ध करते हैं कि- 'वेजीटेरियन खोराक की रूढि विद्याके दृढ सिद्धान्त पर रची हुई है इनना ही नहीं किन्तु वह मनुष्य की जिन्दगी को उत्तम दशाकी ओर लेजाने-वाली है।

अन्न, फल, वनस्पति का खोराक, शरीर के बन्धनों को उपयोगी तत्त्व देता है, और रसायनिक तथा पदार्थ-विज्ञान शास्त्र की प्रयोगशाला के प्रयोगों पर से नहीं किन्तु बहुत से मनुष्योंने नियमित रीति से जी करके अपने उदाहरण से ऐसा सिद्ध कर दिखाया है कि, वे तत्त्व, मांस में से मिलते हुए तत्त्व से बहुत ही शिघ्र पाचन होते हैं।

हम वेजीटेरियनीयम को, विद्या की दृष्टि से संपूर्ण और संतोषकारक रूढि कहते हैं, तदुपरान्त पशु और जानवर दुखों के आधीन होते हैं इस बात को ध्यान में लेनेसे और अन्न, फल, वनस्पति में से प्राप्त होनेवाले भोजन का स्वच्छ हाल देखने से निश्चय से मानते हैं कि मांसका भोजन छोड़ देनेसे तदुरुस्ती को लाभ होता है तथा सुन्दरता की दृष्टिसे देखने से वेजीटेरियन भोजन अत्यन्त उँचे दर्जे का है ”।

(इस सूचना में तेरह हस्ताक्षर देखने में आते हैं ।)

रोवर्ट वेल, एम, डी.

जीयोज़ व्लेक, एम, वी, (एडिन)

ए, जे, एच, केस्पी, एम, आर, सी एस्.

एच, एच, एस्, डोरमन, एम, डी.

ओगस्टस जोन्स्टन, एम, वी, आर, सी, एस्.

एच, वेलेन्टाइन, नेग्स, एम, आर, सी, एस्. एल्, आर, सी, पी.

ओल्वर्ट प्रेसवेल, एम, ए, एम, डी.

रोवर्ट, एच पक्र्स, एम, डी, एफ, आर, सी, एस्.

वोल्टर भार, हेडवेन, एम, डी, एल्, आर, सी, पी, एम, आर, सी, एस्.

जे, स्टेन्सन हुकर, एम, डी.

ओफ्रेड वोल्सेन, एम, डी.

जोन रीड, एम. डी. सी. एम.

ज्योज़ वी, वोल्टर्स एम, डी.

(६)

प्रमाणभूत रसायन शास्त्रियों का ढँढोरा.

उपरोक्त ढँढोरे के उपरान्त एक दूसरा ढँढोरा सायन्टिस्टो का है जो कि अन्न, फल, वनस्पति के खोराक की लोगों में प्रचार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह खोराक मजबूती और तन्दुरस्ती को देनेवाला तथा सस्ता भी है, यह सूचना इस तरह की है:—

“ प्रजाकी शारीरिक हानि की नोंधके लिये ‘ इन्टर-डिपार्टमेंटल ’ कमेटी नियत की थी, उसीके रीपोर्ट में जो मत दिया है उसको हम लोग अनुमोदन देते हैं कि— शरीर के वन्धनों को बिगाडनेवाले बहुत कार्यों में एक खास कारण ‘ खराब रीति से लिया हुआ और संपूर्ण जल्ये में नहीं लिया हुआ भोजन है ’ और यही रीति शराब पीने को प्रेरणा करती है ।

युनः इस रीपोर्ट द्वारा, मालूम होता है कि— खोराक को बराबर रीति से तैयार करने में बहुतसा अज्ञानपना देखने में आता है जो खोराक थोडे खर्च में संपूर्ण पोषण देता है वह खोराक ज्ञानसे बहुत दुःख कम हो, इस लिये लंडन के दूसरे शहरों के लार्डमेयरो, और मेयरो, विगौरह को ऐसे ज्ञानके प्रचार करने के लिये सूचना करते हैं ।

इस में खोराक की मांसरूढी की हिमायत नहीं करके कहते हैं कि— गेहूँ

का आटा, जव, चावल, मकई, मटर, दाल, सुप्ता मेवा, ताजी और सुखी फ्रुट, हरी वनस्पति विगैरह "वेजीटेरियन खोराकों की फरकसर की रीतिसे और पुष्टि देनेवाली चावत में, वास्तविक तत्त्वकी योग्यता पहचानना सिखलाओ, क्योंकि इस अन्न, फल, वनस्पति के खोराक के उपयोग से समस्त वर्गकी तन्दुरस्ती बढा सकोगे "

इस सूचना में प्रसिद्ध नामों के अतिरिक्त और भी
हस्ताक्षर हैं:-

सर जेम्स, फ्रिचटन ब्राउन, एफ, आर, एस.

सर विल्यम, फुकस, एफ, आर, एस.

सर लोडर वान्टन एफ, आर, एस

डॉ रोबर्ट हचीन्सन.

डॉ जॉन घरडो एफ, आर, एस.

डॉ- राबर्ट मीलर.

मि. एडवर्ड घेरटो

डॉ डब्ल्यु, आर, स्मिथ.

मि. ए, टी, क्रीप, के, सी, वी, ओ, सी, वी.

मि डब्ल्यु, पी, तेगेटमीयर एफ, एल, एस.

मि ए, पियर्स गोलव्ड.

डॉ. सीम्स बुडहेट.

मि. ज्यॉर्ज हेन्डसलो.

सर म्युथल, विल्कस, घेरोनेट, एफ, आर, एस.

(७)

वेरन क्युवियर महाशय कहते हैं कि-मनुष्य संबन्धि शरीर की वनावट हरएक सूक्ष्मता में, फकत अन्न-फल-शाक के भोजन के लिये योग्यता सिद्ध करती है यह ठीक है कि मांस के भोजनको छोड देने के लिये इतना कठिन प्रतिबन्ध लेने में आता है कि कितनेक मनुष्य कि जो कठिन मनवाले नहीं होते हैं वे कदाचित ही तिसको हटा सकते हैं परन्तु यह कोई उसके पक्ष में जाने वाला सिद्ध नहीं हो सकता है, इस भाँति तो एक मेंढे को नाविकों ने कितनेक समयतक मांसाहार पर पाला था उस मेंढे ने मुसाफरी पूरी होने पर अपने स्वाभाविक भोजन (शाकाहार) लेने की मनाही की और इसी भाँति घोडे, कुत्ते और कबूतरों के भी उदाहरण मिलते हैं कि जिन्हों ने दीर्घकाल तक मांसाहार करने पर भी अन्त में अपने स्वाभाविक भोजन के मिलने पर मांसाहार के भोजन पर तिरस्कार दिखलाया ।

(८)

प्रो० लीनियस कहते हैं कि— मेवा फल और अनाज का भोजन मनुष्य के लिये सबसे विशेष योग्यता वाला है कि जो चौपायों, 'एनालोजी' के नियमों, जगली मनुष्यों को, बन्दरों, मुखे होजरी और हाथों का घनावट पर से सिद्ध होती है ।

(९)

प्रॉ. सर रीचर्ड अविन महाशय कथन करते हैं कि— बन्दरों को कि जिसके साथ दांत की वनावट में सब प्राणियों की अपेक्षा विशेष रूपसे मनुष्य मिलता आता है वे, फल, अनाज, गुठली वाले फलोंके बीज और दूसरे आकार कि जिसमें वनस्पति-वर्ग के सबसे पुष्टिकारक और रसकसवाले सोह-रम धारण करनेवाले तत्व आते हैं वैसी वस्तुओं में से अपने नियमित भोजन को प्राप्त करते हैं और मनुष्यों और बन्दरों के दांतों के बीच का घनिष्ठ संबन्ध सिद्ध करते हैं कि मनुष्य दुनियाँ के प्रारम्भ काल से ही बगीचे के दरखतों के फल खाने के लिये ही उत्पन्न किये गये थे

(१०)

प्रो. पीयरगेसेन्डी—कि जो सतरसीसदी के सब विद्वानों से श्रेष्ठ और सबसे नामाङ्कित तत्त्वज्ञानी होगये हैं वे कहते हैं कि— मैं यहां पर पुनः कहता हूँ कि अपने स्वभाव की असली वनावट के उपर से अपने दांत मासाहार करने के लिये नहीं परन्तु फल मेवा खाने के लिये बनाये थे.

(११)

जगत्प्रसिद्ध महान् विद्वान् चार्ल्स डारविन स्पष्ट रीति से कहते हैं कि— उस काल में और उस स्थल में (फिर चाहे जो काल और जो स्थान हो) कि जब मनुष्य ने पहले पहल अपने बलका ढकना नष्ट करदिया तब वह अनुमान से गरम देशका रहनेवाला था यह वृत्तान्त फल फलोंदिकी तर्फ जाता है कि जिस फल फलादि के भोजन पर मुकावले के नियम द्वारा अन्वेषण करते हुए वह उस समय निर्वाह करता था ।

(१२)

प्रॉ. सर चार्ल्स वेल, एफ आर एम. महाशय कहते हैं कि— मेरा ऐसा अनुमान है कि इस भाँति कथन करने में जरा भी आश्चर्य नहीं है कि मनुष्य की वनावट के साथ संबन्ध रखने वाला हरएक वृत्तान्त सिद्ध कर देता है कि मनुष्य मूल से ही फल-फल खाने वाला प्राणी तरीके उत्पन्न हुआ था यह मत दांतों और पाचन करने वाले अङ्गों की वनावट पर से तथा चमड़ी की वनावट अवयवों की रचना के उपर से मुराय करके बनाने में आया है ।

